



सत्यमेव जयते

389

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
(आर्थिक क्षेत्र)

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए




हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
(आर्थिक क्षेत्र)

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 2



अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-x
अध्याय-I: परिचय		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में	1.1-1.3	1
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.4-1.6	1
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.7-1.9	2-3
बजटीय निकास, अनुदान/इमदाद, गारंटियां एवं ऋण	1.10-1.12	3-5
विद्युत क्षेत्र में सुधार	1.13-1.14	5-7
सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	1.15	7-8
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.16-1.18	8-9
लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया	1.19-1.23	9-10
अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन	1.24	10
लेखा टिप्पणियां	1.25-1.29	10-13
आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा	1.30	13-14
लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां	1.31	14
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री के प्रति विभाग की प्रतिक्रिया	1.32	14
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना	1.33	14-16
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की प्रास्थिति	1.34	16
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	1.35	16
इस प्रतिवेदन की व्याप्ति	1.36	16
अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा		
सावड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना		
कार्यकारी सारांश		17-18
परिचय	2.1	18
संगठनात्मक ढांचा	2.2	18-19
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.3	19
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	2.4	19
लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.5	19-20

लेखापरीक्षा परिणाम	2.6 - 2.13	20-36
वित्तीय प्रबन्धन	2.6	20-22
समय एवं लागत आधिक्य	2.7 - 2.7.2	22-25
सिविल कार्यों का अधिनिर्णय एवं कार्यान्वयन	2.8	25-30
विद्युत यांत्रिक कार्यों का अधिनिर्णय एवं कार्यान्वयन	2.9	30-33
श्रमशक्ति प्रबन्धन	2.10	33
गुणवत्ता नियंत्रण	2.11	34-35
पर्यावरणीय मामले	2.12	35
संचारण लाईन की अपूर्णता	2.13	35-36
निष्कर्ष		36
सिफारिशें		36
अध्याय-III: लेन-देन की लेखापरीक्षा		
सरकारी कम्पनियां		
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित		
राज्य इमदादी स्कीम के अंतर्गत खाद्य मदों का प्रापण एवं वितरण	3.1	37-41
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से अधिक वसूली	3.2	41-42
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित		
निर्धारित मांग प्रभारों की अवसूली से हानि	3.3	42-43
कार्य प्रभारित स्टॉफ पर निष्फल व्यय	3.4	43-44
परिहार्य व्यय	3.5	44-45
ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाना	3.6	45-46
आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाना	3.7	46-48
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.8	48-49
विद्युत अनुबंध मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान	3.9	49-50
हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित		
भूमि क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान	3.10	50-51

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
1.1	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष के लिए सारांशित वित्तीय परिणाम जिस के लिये लेखों को 30 सितम्बर 2014 को अंतिम रूप दिया गया।	1.1, 1.16 & 1.30	53-57
1.2	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2014 तक अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋण तथा श्रमशक्ति के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.1 & 1.7	58-61
1.3	मार्च 2014 के अन्त में प्राप्त/प्राप्ति योग्य अनुदान एवं इमदाद, प्राप्त गारंटियों, देयताओं के अधित्याग, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों और वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋणों और गारंटी वचनबद्धता को दर्शाने वाली विवरणी	1.10 & 1.12	62-64
1.4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी	1.22	65
1.5	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.30	66
1.6	विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और परिच्छेदों को दर्शाने वाली विवरणी	1.33	67
2.1	निर्धारित पूर्णता अवधि के बाद समय आधिक्य के साथ-साथ मुख्य कार्यों का विवरण	2.7	68
2.2	मार्च 2014 तक मुख्य कार्य के साथ-साथ लागत आधिक्य का विवरण	2.7	69

2014 का प्रतिवेदन संख्या 2 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

2.3	संस्वीकृत संख्या के आधिक्य में प्रतिनियुक्त स्टाफ पर अनियमित व्यय का विवरण	2.10 (i)	70
3.1	उच्च दरों पर निजी प्रयोगशालाओं से प्रतिदर्श जांच के आधार पर परिहार्य भुगतान का विवरण	3.1.3.2	71
3.2	उपभोक्ताओं से निर्धारित मांग प्रभारों की वसूली न होने के कारण हुई हानि के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी	3.3	72-74
3.3	अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2013 तक भुगतान किये गए परिहार्य मांग प्रभारों का विवरण दर्शाती विवरणी	3.9	75-76

प्रस्तावना


यह प्रतिवेदन मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कम्पनियों में निर्णित होने वाली कम्पनियां भी सम्मिलित हैं) के लेखों की कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है।


सरकारी कम्पनी अथवा निगम से सम्बंधित लेखों से सम्बंधित प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के प्रावधानों के अन्तर्गत विधान सभा के समक्ष नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत करने होते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बंध में, जो एक सांविधिक निगम है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमेव लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के सम्बंध में उसे निगम द्वारा चयनित सनदी लेखाकारों द्वारा संचालित की जाने वाली लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के सम्बंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमेव लेखापरीक्षक है। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पृथक रूप से राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित उदाहरण वे हैं जो वर्ष 2013-14 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए और इसके साथ-साथ वे हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे, जहां कहीं अनिवार्य है 2013-14 से तद्नन्तर अवधि से सम्बंधित मामले भी सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।



विहंगावलोकन



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में नियमों/विनियमों और संविदा अनुबंधों की शर्तों तथा निबंधनों की गैर-अनुपालना के कारण अवसूली/अल्पवसूली, निश्चित मांग प्रभारों का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, परियोजनाओं की प्रगति के अपर्याप्त/कमी से युक्त अनुश्रवण आदि से सम्बंधित ₹ 434.81 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त 10 परिच्छेद और 'सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना' (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा निष्पादित) पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। कुछ प्रमुख निष्कर्षों का नीचे उल्लेख किया गया है:

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में

हिमाचल प्रदेश राज्य में 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (17 कम्पनियां और दो सांविधिक निगम) और दो अक्रियाशील कम्पनियां थी जिनमें 34,992 कर्मचारी कार्यरत थे। 31 मार्च 2014 को 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (पूंजी और दीर्घावधि ऋण) ₹ 8,909.84 करोड़ था। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश में 99.12 प्रतिशत क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था और शेष 0.88 प्रतिशत अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। कुल निवेश में 33.56 प्रतिशत पूंजी रूप में और 66.44 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों के रूप में सम्मिलित था। इक्विटी 2009-10 में ₹ 1,948.65 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 2,990.47 करोड़ हो गई। 2013-14 में कुल निवेश में विद्युत क्षेत्र का योगदान 85.87 प्रतिशत से ऊपर था। सरकार ने 2013-14 के दौरान इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/इमदादों के प्रति ₹ 728.81 करोड़ का अंशदान किया था।

(परिच्छेद 1.1, 1.2, 1.7 से 1.10)

विद्युत क्षेत्र में सुधार

वित्तीय पुनर्संरचना योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत राज्य सरकार ने ऋणों की पुनर्संरचना के लिए संदर्भ तिथि 31.03.2012 के विपरीत 31.07.2013 ली है। ₹ 1,398.35 करोड़ (31.03.2012 को संचित हानियां) के प्रति कम्पनी ने राज्य सरकार से वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अंतर्गत ₹ 1,462.50 करोड़ की राशि अनुमोदित करवाई थी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अग्रिम उपदान के भुगतान, नियमित चूककर्ताओं के भवनों में प्रीपेड मीटरों के अधिष्ठापन और कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के साथ लेखा को तैयार करने (वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए लेखा को तैयार किया जाना बाकी था) से सम्बंधित विद्युत पुनर्संरचना योजना की प्रमुख आवश्यक शर्तों की अनुपालना नहीं की गई है (नवंबर 2014)।

(परिच्छेद 1.14)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से जिनके लिए लेखा सितंबर 2014 तक प्राप्त हो गए थे, नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 23.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया और छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 646.30 करोड़ की हानि हुई। तीन क्रियाशील सरकारी कम्पनियों ने अपने लाभ तथा हानि लेखा तैयार नहीं किए हैं जबकि एक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मामले में आय पर व्यय आधिक्य राज्य सरकार द्वारा पुनर्प्राप्ति योग्य था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की लाभांश नीति के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य सरकार द्वारा अंशदान किए गए प्रदत्त पूंजीगत शेयर पर पांच प्रतिशत की न्यूनतम रिटर्न का भुगतान अपेक्षित है। ₹ 23.62 करोड़ का कुल लाभ अर्जित करने वाले नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से मात्र हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित ने ₹ 1.54 करोड़ का लाभांश घोषित किया था जो कि इसके प्रदत्त पूंजीगत शेयर का 10 प्रतिशत था।

(परिच्छेद 1.16 तथा 1.18)

लेखा को अंतिम रूप दिये जाने में बकाया

सितंबर 2014 तक पंद्रह क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास 23 लेखा बकाया था। लेखा और उसके तदनंतर लेखापरीक्षा न होने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या निवेशों तथा किए गए व्यय की गणना उचित प्रकार से की गई है और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया था, वो प्राप्त हुआ या नहीं। अतः, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश राज्य विधानसभा की संवीक्षा से बाहर रहा।

(परिच्छेद 1.19 से 1.23)

II. हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा निष्पादित 'सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना' की निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रारम्भ में प्राकलित ₹558.53 करोड़ की लागत वाली परियोजना अब ₹5.03 करोड़ से ₹10.50 करोड़ प्रति मेगा वाट तथा ₹2.34 से ₹6.95 प्रति यूनिट लागत की अनुवर्ती वृद्धि सहित ₹606.57 करोड़ की अधिक लागत से अंतर्ग्रस्त जुलाई 2017 तक ₹1,165.10 करोड़ की लागत से पूर्ण की जानी प्रत्याशित है। औसतन ₹3.43 प्रति यूनिट की विक्रय दर की तुलना में प्रत्याशित उत्पादन लागत बहुत अधिक होगी तथा इस दृष्टि से परियोजना आरम्भ होने पर वाणिज्यिक रूप से अव्यवहारिक बन जाएगी।

(परिच्छेद 2.1 तथा 2.7)

भारत सरकार ने ₹491.16 करोड़ के बराबर निधियों का हस्तांतरण किया जो इस परियोजना हेतु राज्य सरकार को एशियन विकास बैंक से 90:10 के अनुपात में अनुदान एवं ऋण के रूप में प्राप्त हुई जिसे राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर लगाने वाले ऋण में परिवर्तित

कर दिया गया था। अनुदान को ऋण में परिवर्तित करने से परियोजना लागत पर ₹126.04 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा।

(परिच्छेद 2.6.2)

अपवर्तन बांध के परिरूप परिवर्तन से परियोजना की समग्र लागत पर ₹100.73 करोड़ का प्रभाव पड़ा।

{परिच्छेद 2.7.2 (i)}

कम्पनी ने ठेका निरस्त करने से पूर्व कार्यों की पूर्णता में विलम्बार्थ ठेकेदार से अनुबन्ध के आधार पर ₹11.59 करोड़ राशि की परिसमापन क्षतियों की वसूली नहीं की।

{परिच्छेद 2.8.2 (iv) (क)}

कम्पनी द्वारा हैड रेस टनल के कार्य के निरसन में विलम्ब के कारण अपवर्तन बांध, अंतर्ग्रहण संरचना तथा अवरोही व्यवस्थाओं एवं विद्युत गृह पैकेजों की दोष देयता अवधि के लाभ की अप्राप्ति के अतिरिक्त जल विद्युत परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब हुआ।

{परिच्छेद 2.8.2(v)}

बोली दस्तावेजों में आपूर्ति की प्रत्येक खेप पर 20 प्रतिशत की मूल्य भिन्नता को प्रतिबंधित न करने के परिणामस्वरूप ₹8.79 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(परिच्छेद 2.9.1)

III. लेन-देन की लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन-देन लेखापरीक्षा प्रेक्षण राज्य सरकार की कम्पनियों के प्रबंधन में कमियां उजागर करते हैं जिसके गम्भीर वित्तीय संकेत थे। प्रमुख लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सार निम्नवत् दिया गया है:

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ने राज्य सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के प्रति खुदरा दुकानों/डिपो को खाद्य मदों की कम प्रमात्रा वितरित की। ₹ 14.48 करोड़ मूल्य की खाद्य मदों (अप्रैल 2011 से मार्च 2014) के नमूने जांच में खराब पाए गए तथा प्रतिवेदन तीन से चार महीनों के विलम्ब से प्राप्त हुए। कम्पनी द्वारा दावों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के साथ राज्य सरकार द्वारा भुगतान जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से मार्च 2014 के दौरान कम्पनी को ₹ 8.80 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

(परिच्छेद 3.1)

विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 के प्रावधानों की अनुपालना में **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित** की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.90 करोड़ के निश्चित मांग प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.3)


माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यथा अनुमत निर्धारित समय के भीतर अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन मान बकाया के भुगतान जारी करने में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 37.51 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.8)

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित ने सड़क की निर्माण सीमा के बाहर सीमांकित भूमि के सम्बंध में भू-क्षतिपूर्ति के भुगतान को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप भू-मालिकों को ₹ 29.33 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.10)

अध्याय-I
परिचय



अध्याय-I परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत राज्य की सरकारी कम्पनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित होते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2014 तक निवेश ₹ 8,909.84 करोड़ था। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सितम्बर 2014 तक अपने अद्यतन अंतिम रूप दिये गए वार्षिक लेखों के अनुसार ₹ 5,952.79 करोड़ (परिशिष्ट 1.1) की कुल बिक्री पूंजीबद्ध की। हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मुख्य गतिविधियां ऊर्जा क्षेत्र में केन्द्रित हैं। राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 31 मार्च 2014 तक 34,992 कर्मचारियों को रोजगार दिया था (परिशिष्ट 1.2)।

1.2 31 मार्च 2014 तक 19 सरकारी कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम थे जिनमें से हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है (अप्रैल 1995)।

1.3 कोई भी कम्पनी वर्ष 2013-14 के दौरान सृजित/विलय अथवा बंद नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के द्वारा संचालित की जाती है। धारा 617 के अनुसार सरकारी कम्पनी वह है जिसमें सरकार (सरकारों) की प्रदत्त पूंजी 51 प्रतिशत से कम नहीं होती। सरकारी कम्पनी में एक सहायक सरकारी कम्पनी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त पूंजी का 51 प्रतिशत सरकार (सरकारों), सरकारी कम्पनियों तथा सरकार (सरकारों) द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा किसी भी संयोजन में लगा होता है, उसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ख के अनुसार एक सरकारी कम्पनी (सरकारी कम्पनी के तुल्य) ही समझा जाता है।

1.5 राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखों (जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। ये लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु भी बाध्य होते हैं।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बंधित विधानों के अंतर्गत की जाती है। दो सांविधिक निगमों में से हिमाचल पथ परिवहन निगम का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमेव लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के सम्बंध में लेखापरीक्षा सनदी लेखापालों द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.7 31 मार्च 2014 तक 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (619-ख कम्पनियों सहित) में निम्न तालिका-1.1 में दिये गए विवरण के अनुसार ₹ 8,909.84 करोड़ का निवेश (पूंजी तथा दीर्घावधि ऋण) था।

तालिका-1.1

(राशि: ₹ करोड़)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	प्रकार	संख्या	पूंजी	ऋण	कुल
क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	सरकारी कम्पनियां ¹	17	2,330.92	5,664.02	7,994.94
	सांविधिक निगम ²	2	640.91	195.20	836.11
	कुल	19	2,971.83	5,859.22	8,831.05
अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ³	सरकारी कम्पनियां	2 ⁴	18.64	60.15	78.79
	सांविधिक निगम	-	-	-	-
	कुल	2	18.64	60.15	78.79
	सकल योग	21	2,990.47	5,919.37	8,909.84

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश की सारांशित स्थिति परिशिष्ट-1.2 में वर्णित है।

1.8 31 मार्च 2014 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का 99.12 प्रतिशत क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा शेष 0.88 प्रतिशत अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। कुल निवेश का 33.56 प्रतिशत पूंजी तथा 66.44 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों के रूप में सम्मिलित था। इक्विटी 2009-10 में ₹ 1,948.65 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 3,260.73 करोड़ हो गई किन्तु 2013-14 में ₹ 2,990.47 करोड़ तक घट गई तथा दीर्घावधि ऋण 2009-10 में ₹ 2,672.18 करोड़ से 2013-14 में ₹ 5,919.37 करोड़ बढ़ गए जैसाकि चार्ट -1.1

¹ तीन 619-ख कम्पनियां (ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित) सम्मिलित हैं।

² हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।


³ अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे हैं जिन्होंने अपने प्रचालनों को बंद कर रखा है।

⁴ एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड तथा हिमाचल वर्सटिड मिल्ल लिमिटेड।

में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1


(₹ करोड़)



1.9 31 मार्च 2010 तथा 31 मार्च 2014 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता निम्नवत् दण्ड चार्ट-1.2 में इंगित है।

चार्ट-1.2

(₹ करोड़)



(कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े कुल निवेश की क्षेत्र प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

वर्ष 2009-14 के दौरान मुख्य निवेश विद्युत क्षेत्र में था। हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में मुख्यतया निवेश में वृद्धि के कारण विद्युत क्षेत्र में कुल निवेश में निवेश की प्रतिशतता 2009-10 के 74.13 प्रतिशत से 2013-14 में 85.87 प्रतिशत बढ़ गई।

बजटीय निकास, अनुदान/इमदाद, गारंटियां एवं ऋण

1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में इक्विटी के प्रति बजटीय निकास, ऋणों, अनुदानों/इमदादों, जारी गारंटियों, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों, इक्विटी में परिवर्तित किए

गए ऋणों तथा माफ किए गए ब्याज के ब्यौरे परिशिष्ट-1.3 में दिये गये हैं। 31 मार्च 2014 को समाप्त विगत तीन वर्षों के सारांशित विवरण तालिका-1.2 में दिये गए हैं।

तालिका-1.2

(राशि: ₹ करोड़)


क्रमांक	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूंजी का विकास	5	227.19	6	303.23	6	261.77
2.	बजट से दिये गए ऋण	-	-	1	5.00	1	49.20
3.	प्राप्त अनुदान/इमदाद	7	495.50	7	710.37	7	417.84
4.	कुल विकास (1+2+3)	10 ⁵	722.69	10 ⁵	1,018.60	9 ⁵	728.81
5.	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	1	0.50	1	7.05 ⁶
6.	जारी की गई गारंटियां	6	1,278.60	7	1,567.31	9	2,332.54
7.	गारंटी प्रतिबद्धता	8	1,159.87	9	1,534.08	9	2,768.03
8.	गारंटी फीस	1	0.01	2	0.07	2	0.09

वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान/इमदाद में कमी का मुख्य कारण हिमाचल प्रदेश सड़क तथा अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बंध में अनुदान/इमदाद में कमी थी। इसके अतिरिक्त, 2013-14 के दौरान गारंटियों को जारी करने में वृद्धि मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश वित्त निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बंध में ऋण गारंटियों के कारण थी।

1.11 विगत पांच वर्षों में इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/इमदादों के प्रति बजटीय विकास के विवरण चार्ट-1.3 में दिये गये हैं।

चार्ट-1.3

(₹ करोड़)



⁵ सम्बंधित वर्षों के दौरान राज्य सरकार से कम्पनियों/निगमों की वास्तविक संख्या को दर्शाता है जिन्होंने इक्विटी, ऋणों, अनुदानों तथा इमदादों के रूप में बजटीय समर्थन प्राप्त किया।

⁶ राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम सीमित के सम्बंध में 2008-09 के दौरान ऋणों तथा ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया था किन्तु कम्पनी ने 2013-14 के दौरान अंतिम रूप दिये गए वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक लेखों में अंश प्रयोज्य मुद्रा के रूप में इसे शामिल किया है।

2009-10 से 2013-14 वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/इमदादों के रूप में बजटीय सहयोग एक भिन्न प्रवृत्ति को दर्शाता है। बजटीय निकास जो 2009-10 में ₹ 661.38 करोड़ पर स्थिर था, 2012-13 में ₹ 1,018.60 करोड़ बढ़ गया, किन्तु 2013-14 में ₹ 728.81 करोड़ तक घट गया। कमी का कारण मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अवसंरचना विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम को कम इक्विटी/ऋण तथा अनुदान/इमदाद था।

1.12 सरकार ने 2013-14 के दौरान नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त किये गए कुल ₹ 2,332.54 करोड़ के ऋण की गारंटी दी थी जैसाकि परिशिष्ट-1.3 में दिया गया है। 2013-14 के अंत में 2012-13 के दौरान गारंटी प्रतिबद्धता ₹ 1,534.08 करोड़ (नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के प्रति ₹ 2,768.03 करोड़ (नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) थी। वृद्धि मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बंध में गारंटी प्रतिबद्धता में हुई वृद्धि के कारण थी।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

1.13 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विघटन

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुवर्तन में हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीन कम्पनियों अर्थात् एक उत्सर्जन उपकारिता हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, एक संचरण उपकारिता हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित तथा एक वितरण उपकारिता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का क्रमशः दिसम्बर 2006, अगस्त 2008 तथा दिसम्बर 2009 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विघटन कर गठन किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीनों कम्पनियों के मध्य परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार हस्तांतरण स्कीम, 2010 (जून 2010) अधिसूचित की।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित को हस्तांतरित की गई सभी परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, सम्पत्तियों पर ब्याज तथा आकस्मिकताएं हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित में ही निहित रहेंगी। तथापि, वितरण गतिविधियों सहित 477.450 मेगा वाट की कुल उत्सर्जन प्रतिष्ठापन क्षमता वाली 21 जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा अनुरक्षित की जाएंगी तथा केवल 986 मेगा वाट उत्सर्जन क्षमता वाली छः नई जल विद्युत परियोजनाएं ही निर्माणार्थ हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित को हस्तांतरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के पास प्रचालनाधीन 10 मेगा वाट क्षमता वाली एक परियोजना है तथा राज्य सरकार ने अप्रैल 2013 में निर्माणार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को 70.50 मेगा वाट कुल प्रतिष्ठापन क्षमता वाली चार नई जल विद्युत परियोजनाएं भी आवंटित की हैं।

संचरण लाइनों से सम्बंधित (सभी परिसम्पत्तियां तथा देयताएं वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग न होते हुए अथवा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के वर्तमान अथवा भविष्य के बिजली घर की अनावृत लाइनें) हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित के पास निहित/हस्तांतरित रहेंगी। तदनुसार, 66 किलो वोल्ट तथा उससे ऊपर (278.860 सी के एम)की 14 वर्तमान संचरण लाइनें 2009-11 के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित को हस्तांतरित की गई थी। अतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित अभी भी वितरण गतिविधियों के साथ-साथ पूर्वोक्त 14

संचरण लाइनों को छोड़कर सारा अपना वर्तमान का उत्सर्जन तथा संचरण नेटवर्क प्रबंधित/ प्रचालित कर रहा है, इसलिए बोर्ड के विघटन का परम उद्देश्य सही अर्थों में जैसी विद्युत अधिनियम, 2003 में परिकल्पित था, प्राप्त नहीं हुआ है।

1.14 वित्तीय पुनर्संरचना योजना का कार्यान्वयन

अक्टूबर, 2012 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऋण ग्रस्त राज्य वितरण कम्पनियों के लिए उनके ऋण की पुनर्संरचना द्वारा उनके वित्तीय परिवर्तन को शुलभ करने के लिए एक वित्तीय पुनर्संरचना योजना अधिसूचित की थी।

स्कीम 31.03.2012 तक वितरण कम्पनियों की समेकित हानियों के सम्बंध में वितरण कम्पनियों की शेष लघु अवधि वाली देयताओं (शेष लघु अवधि के ऋणों तथा विद्युत क्रय के लिए अदायगी योग्य के आधार पर) को अन्य बातों के साथ-साथ 50 प्रतिशत आवृत करती है। यह सर्वप्रथम वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिभागी ऋण दाताओं को राज्य सरकार की गारंटी द्वारा यथावत जारी किये जाने वाले बंद पत्रों में परिवर्तित किया जाना था। उपलब्ध राजकोषीय अंतराल को ध्यान में रखते हुए एक पूर्वबद्ध तरीके से प्रतिभागी ऋणदाताओं के पक्ष में विशेष प्रतिभूतियों के जारीकरण द्वारा आगामी 2-5 वर्षों के दौरान सरकार को देयताओं का उत्तरदायित्व लेना था। मूलधन पर तीन वर्ष की विलम्ब अवधि सहित ऋणदाताओं द्वारा अल्पावधि दायिताओं के 50 प्रतिशत शेष का पुनर्निधारण तथा राज्य सरकार की गारंटियों द्वारा पूर्णतः प्रत्याभूत मूलधन तथा ब्याज का पुनर्भुगतान किया जाना है।

वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अनुसार ऋण की पुनर्संरचना की संदर्भित तिथि 31.03.2012 थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उद्देश्यार्थ संदर्भ तिथि 31.07.2013 मान ली गई थी। यह भारत सरकार की नियमावलियों का उल्लंघन था तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को अनुमत नहीं किया गया था।

स्कीम के अनुसार पुनर्संरचना की जाने वाली राशि 31.03.2012 तक अल्पावधि दायिताओं के 50 प्रतिशत से सीमित तथा 31.03.2012 तक समेकित हानियों की राशि से सीमित था। क्योंकि 31.03.2012 तक समेकित हानियां ₹ 1,398.35 करोड़ थी, पुनर्संरचना की जाने वाली अल्पावधि दायिताओं की राशि ₹ 1,398.35 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कम्पनी को राज्य सरकार ने अनुमत कर दिया, वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अंतर्गत ₹ 1,462.50 करोड़, इस राशि का 50 प्रतिशत (₹ 731.25 करोड़) आरम्भ में कम्पनी द्वारा बंधपत्रों के रूप में जारी किया जाना था जिसका प्रतिभागी ऋणदाताओं के पक्ष में विशेष प्रतिभूति के जारीकरण द्वारा 2 से पांच वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा उत्तरदायित्व लिया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि राज्य सरकार ने केवल ₹ 564.25 करोड़ के बंधपत्रों को जारी करने का अनुमोदन दिया जिसमें से निर्धारित तिथि तक ₹ 265.29 करोड़ मूल्य के बंधपत्र जारी किये। अतः कम्पनी को ₹ 429.27 करोड़ की (₹ 1,462.50-₹ 767.94-₹ 265.29) अभी भी पुनर्संरचना करनी है। ₹ 731.25 करोड़ की राशि के प्रति, ₹ 1,462.50 करोड़ का 50 प्रतिशत, कम्पनी ने ₹ 767.94 करोड़ की राशि के लिए बैंक से ऋणों की पुनर्संरचना की थी।

लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया था कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अग्रिम दिये गए उपदान के भुगतान के सम्बंध में निरंतर चूककर्ताओं के भवनों में पूर्वभुगतान किये जाने वाले मीटरों का प्रतिष्ठापन करने तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों

के संरेखण में लेखों (वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए लेखे अभी तैयार किये जाने थे) को तैयार करने की अनिवार्य शर्तों का आज्ञापालन नहीं किया गया है (नवम्बर 2014)। टैरिफ आदेश प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक अधिसूचित किया जाना अपेक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए टैरिफ आदेश क्रमशः मई 2013 तथा जून 2014 में जारी किये गए थे।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कम्पनी ने भारत सरकार द्वारा अनुमत स्कीम के अनुसार वित्तीय पुनर्संरचना योजना को संचालित नहीं किया था तथा परिणामस्वरूप स्कीम में प्रावधान किये गए प्रणोदनों की प्राप्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय संतुलन लाने तथा वितरण कम्पनियों के कार्यचालन के लिए वाणिज्यिक निर्धारण के लिए स्कीम के बताए गए उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2014) कि 31 मार्च 2013 तक बकाया तकरीबन अल्पावधि दायिताओं का कम्पनी द्वारा पुनर्भुगतान किया गया था, इसलिए 31 जुलाई 2013 तक बकाया अल्पावधि दायिताओं को पुनर्संरचना के लिए लिया गया था। अगस्त 2014 तक ₹ 1,462.50 करोड़ की अनुमोदित राशि में से ₹ 1,033.23 करोड़ के ऋणों की बंधपत्रों के रूप में पुनर्संरचना/परिवर्तन किया गया है तथा बैंकों से नए ऋण प्राप्त किये गए हैं। तथ्य यह है कि वित्तीय पुनर्संरचना योजना भारत सरकार की स्कीम के अनुसार नहीं है तथा अनिवार्य शर्तों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

1.15 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋणों तथा गारंटियों से सम्बंधित आंकड़े सरकार के वित्त लेखों में आने वाले आंकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आंकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभाग को भिन्नताओं का मिलान करना चाहिए। इस सम्बंध में 31 मार्च 2014 की स्थिति **तालिका-1.3** में इंगित है।

तालिका-1.3

(राशि: ₹ करोड़)

से सम्बंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	भिन्नता
इक्विटी	1,830.50	1,897.86	(-)67.36
ऋण	- ⁷	1,759.18	-
गारंटियां	2,755.12	2,768.03	(-)12.91

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि आठ⁸ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में ₹ 67.36 करोड़ की भिन्नता आई। तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम तथा हिमाचल वित्त

⁷ 2013-14 के लिए वित्त लेखों में बकाया ऋण का सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों वार विवरण शामिल नहीं है।

⁸ हिमाचल प्रदेश एग्री उद्योग निगम, हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, हिमाचल प्रदेश वित्त निगम

निगम सीमित के सम्बंध में भी गारंटियों में भिन्नता प्रेक्षित की गई थी। सम्बंधित प्रशासनिक विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभागों से भिन्नताएं मिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक तिमाही में निवेदन किया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.16 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁹ जिनके अद्यतन लेखों को 30 सितम्बर 2014 तक अंतिम रूप दिया गया था, में से नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 23.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 646.30 करोड़ की हानि उठाई। तीन¹⁰ क्रियाशील सरकारी कम्पनियों ने अपने लाभ तथा हानि के लेखे नहीं बनाए जबकि एक सरकारी क्रियाशील कम्पनी अर्थात् (हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित) के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी है। लाभ में अंशदान मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹ 6.53 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (₹ 3.89 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित (₹ 3.66 करोड़) का रहा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 512.76 करोड़), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹ 110.95 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (₹ 16.49 करोड़) द्वारा भारी हानियां उठाई गईं। इसके अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2014 को अंतिम रूप दिए गए लेखों के वर्ष हेतु सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के निवल लाभ/हानि, कुल बिक्री, पूंजी नियोजित प्रतिफल, आदि, सहित सारांशित वित्तीय परिणामों को परिशिष्ट-1.1 में दिया गया है।

1.17 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के नवीनतम तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 2,053.29 करोड़ का नियंत्रण योग्य/ परिहार्य निवेश किया, ₹ 128.82 करोड़ व्यय जो वसूलने योग्य नहीं था तथा ₹ 2.42 करोड़ का निष्फल निवेश जो बेहतर प्रबंधन से नियंत्रण योग्य था। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण तालिका 1.4 में नीचे दिये गए हैं।

तालिका-1.4

(राशि: ₹ करोड़)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	योग
वसूल न किया जाने वाला व्यय	10.05	95.01	23.76	128.82
नियंत्रण योग्य/परिहार्य व्यय	1,323.52	318.72	411.05	2,053.29
निष्फल निवेश	1.91	0.51	-	2.42
योग	1,335.48	414.24	434.81	2,184.53

1.18 राज्य सरकार ने लाभांश नीति को सूत्रबद्ध (अप्रैल 2011) किया जिसके अंतर्गत सभी लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जो कल्याण तथा उपकारिता क्षेत्र में हैं) को छोड़कर) के

⁹ वर्ष 2010-11 के लिए (दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), 2011-12 (चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), 2012-13 (नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) तथा 2013-14 (चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

¹⁰ ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित

लिए सरकारी इक्विटी पर, इस शर्त पर की कर के बाद लाभ की 50 प्रतिशत की सीलिंग हो, पांच प्रतिशत की दर पर एक प्रत्यावर्तन का भुगतान करना अपेक्षित है। उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गए लेखों के अनुसार, नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 23.62 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से केवल एक कम्पनी अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित ने अपने भुगतान की गई पूंजी (₹ 30.82 करोड़) के 5 प्रतिशत की दर पर ₹ 1.54 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया।

लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

1.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619-ख के अंतर्गत प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंत से छः महीने के भीतर कम्पनियों के लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप दिये जाने अपेक्षित हैं। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामले में उनसे सम्बंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सम्बंधित वर्ष के सितम्बर तक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रगति का विवरण **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5

क्रमांक	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	21	19	19	19	19
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखों की संख्या	22	21	15	15	16
3.	बकाया में लेखों की संख्या	14	12	16	20	23
4.	प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का औसत बकाया (3/1)	0.67	0.63	0.84	1.05	1.21
5.	बकाया लेखों सहित क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	12	10	10	12	15
6.	बकाया की सीमा	1 से 2 वर्ष	1 से 2 वर्ष	1 से 2 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष

1.20 प्रत्येक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लेखों की औसत संख्या 2009-10 में 0.67 से घटकर 2010-11 में 0.63 रह गई किन्तु पुनः 2011-12 में 0.84 से बढ़कर 2013-14 में 1.21 हो गई। बकाया लेखों वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संग्रह की शीघ्र समाशोधन तथा 2013-14 तक के लेखों को अंतिम रूप देने हेतु प्रभावशाली उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

1.21 दो अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से हिमाचल वर्सटिड मिल्लज लिमिटेड परिसमापन प्रक्रिया के अंतर्गत तथा एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड ने अपने लेखों को अंतिम रूप देते हुए अद्यतन कर लिया था।

1.22 राज्य सरकार ने उन वर्षों के दौरान जिनमें लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जैसा कि **परिशिष्ट 1.4** में वर्णित है, नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 363.81 करोड़

(इक्विटी: ₹ 133.79 करोड़, ऋण: ₹ 49.20 करोड़ तथा अनुदान: ₹ 180.82 करोड़) का निवेश किया था। लेखों की अनुपलब्धता एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या किया गया निवेश तथा व्यय उचित ढंग से लेखाबद्ध कर लिया गया है और जिस प्रयोजन हेतु निवेश किया गया था उसे प्राप्त कर लिया गया है अथवा नहीं। अतः, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा किया गया निवेश राज्य विधान सभा की समीक्षा से बाहर रहता है।

1.23 प्रशासकीय विभागों पर इन इकाइयों के कार्यकलापों की निगरानी करने तथा निर्धारित समयावधि के भीतर इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिया जाना तथा उन्हें अपनाया गया को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है। यद्यपि सम्बंधित प्रशासकीय विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया रहे मामलों के बारे में प्रत्येक तिमाही में सूचित किया गया था, तथापि सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका। लेखों के बकाया के संग्रह को समयबद्ध ढंग से शीघ्रतापूर्वक निपटाने हेतु लेखों के बकाया का मामला मुख्य सचिव/निदेशक, संस्थागत वित्त एवं लोक उद्यम के साथ भी उठाया गया था (अक्टूबर 2014)।

अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का समापन

1.24 31 मार्च 2014 तक दो अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सभी कम्पनियां) थे। अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में बंद किए जाने के चरणों को **तालिका-1.6** में दिया गया है।

तालिका-1.6

क्रमांक	विवरण	कम्पनीयां
1.	अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	2 ¹¹
2.	उपरोक्त (1) के अंतर्गत संख्या:	
(क)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त किया गया)	-
(ख)	स्वैच्छिक परिसमापन (परिसमापक नियुक्त किया गया)	1
(ग)	समापन, अर्थात् समापन आदेश/अनुदेश जारी किए गए किन्तु परिसमापन प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं की गई।	1

इनमें से हिमाचल वर्सटिड मिल्लज लिमिटेड ने परिसमापन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।

लेखा टिप्पणियां

1.25 पंद्रह क्रियाशील कम्पनियों ने अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा को अपने 16 लेखे अग्रेषित किए थे। इनमें से 13 क्रियाशील कम्पनियों के 14 लेखे

¹¹ एग्रो इण्डस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड तथा हिमाचल वर्सटिड मिल्लज लिमिटेड

अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के सकल धन मूल्य का विवरण **तालिका-1.7** में दिया गया है।

तालिका-1.7

(राशि: ₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखा की संख्या	राशि	लेखा की संख्या	राशि	लेखा की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	56.40	3	32.81	5	92.42
2	हानि में वृद्धि	3	12.49	2	370.13	4	636.59
3.	हानि में कमी	-	-	1	0.63	-	-
4	लाभ में वृद्धि	-	-	2	1.06	1	0.85
	योग	5	68.89	8	404.63	10	729.86

यह देखा जा सकता है कि 'लाभ/हानि में वृद्धि' अथवा 'लाभ/हानि में कमी' करने वाले प्रत्येक लेखा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का औसत प्रभाव ₹ 13.78 करोड़ (2011-12) से बढ़कर ₹ 72.99 करोड़ (2013-14) हो गया। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा यह इंगित करती है कि लेखों के अनुरक्षण की गुणवत्ता को व्यापक रूप से सुधारने की आवश्यकता है।

1.26 वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 15 लेखों के सम्बंध में योग्यता प्रमाणपत्र दिए थे। इनमें से सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा छः लेखों के सम्बंध में प्रतिकूल प्रमाणपत्र (जिसका अर्थ है कि लेखे स्पष्ट तथा सही स्थिति नहीं दर्शाते) दिए गये थे। कम्पनियों की लेखाकरण मानकों के प्रति अनुपालना असंतोषजनक रही, क्योंकि अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान आठ वार्षिक लेखों में अनुपालना न किए जाने के 59 उदाहरण थे।

1.27 अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिये गए कम्पनियों के वार्षिक लेखों से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे बताई गई हैं:

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (2010-11)

- वन कार्य मण्डल, शिमला के सम्बंध में वर्ष 2011-12 के लिए 13 टिम्बर लाट्स की रायल्टी के रूप में ₹ 2.54 करोड़ कार्य प्रगति में शामिल हैं। इन लाट्स की गणना 2010-11 के बजाए 2011-12 के दौरान की जानी चाहिए थी।
- जीर्णशीर्ण/खोखले पेड़ जिनसे टिम्बर का उद्धरण नहीं किया जा सकता था के मूल्य को दर्शाने वाली ₹ 2.40 करोड़ की राशि भी कार्य प्रगति में शामिल है। इन जीर्णशीर्ण/खोखले पेड़ों का

मूल्य राज्य सरकार को अदा की जाने वाली रायल्टी के प्रति समायोजित किया जाना था। गैर-समायोजन का परिणाम चालू परिसम्पत्तियों-कार्य प्रगति पर के साथ-साथ चालू देयताओं-विविध ऋणदाताओं की अत्योक्ति के रूप में हुआ है।

- विविध ऋणदाताओं ने देय तिथियों पर रायल्टी के भुगतान न किये जाने के कारण वन विभाग को भुगतान योग्य ब्याज वाली ₹ 2.91 करोड़ की राशि को शामिल नहीं किया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (2011-12)

- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित (₹ 11.71 करोड़) तथा भारतीय विद्युत ग्रिड निगम सीमित (₹ 4.37 करोड़) को व्यापार भुगतान योग्य संचरण प्रभारों के आधार पर ₹ 16.08 करोड़ भी भुगतान योग्य व्यापार में सम्मिलित नहीं है, तथा
- राष्ट्रीय जल विद्युत निगम सीमित से विद्युत के क्रय के आधार पर ₹ 16.39 करोड़।
- विद्युत व्यापार निगम को दिये गए ऊर्जा बिलों के भुगतान में विलम्ब पर भुगतान योग्य ₹ 1.36 करोड़ अन्य चालू देयताओं में सम्मिलित नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (2012-13)

- 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान सेवानिवृत्ति पर कम्पनी के कर्मचारियों को अदा किए गए उपदान के आधार पर जीवन बीमा निगम से वसूलने योग्य ₹ 85.32 लाख की राशि अन्य अप्रचलित परिसम्पत्तियों में सम्मिलित नहीं है।
- कोलतार की आपूर्ति के लिए भारतीय तेल निगम को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किए अग्रिम भुगतान वाली ₹ 11.43 करोड़ की राशि आपूर्ति के लिए विविध ऋणदाताओं के पास निहित है। कम्पनी ने इस राशि को लेखों में अन्य वसूलने योग्य अग्रिमों तथा लघु अवधि के ऋणों के सम्बंधित व्यकलन सहित आपूर्ति के लिए विविध ऋणदाताओं को भुगतान योग्य व्यापार शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप आपूर्तियों के लिए विविध ऋणदाताओं को भुगतान योग्य व्यापार के साथ-साथ ₹ 11.43 करोड़ तक के अन्य वसूली योग्य ऋण व अग्रिमों की अत्योक्ति हुई।

1.28 इसी तरह दो क्रियाशील सांविधिक निगमों में से, हिमाचल प्रदेश वित्त निगम ने अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा को वर्ष 2013-14 के लिए अपने लेखे अग्रेषित किये तथा उसी अवधि के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम (2012-13) के सम्बंध में एक लेखे को अंतिम रूप दिया गया था। इनमें से एक सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) का एक लेखा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई एकमेव लेखापरीक्षा से सम्बंधित है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई एकमेव/अनुपूरक लेखापरीक्षा तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाते हैं कि लेखों के अनुरक्षण की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से सुधारने

की आवश्यकता है। सांविधिक निगमों के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों का सकल मुद्रा मूल्य विवरण **तालिका-1.8** में दिया गया है।

तालिका-1.8

(मोद्रिक मूल्य: ₹करोड़)

क्रमांक	हानि में वृद्धि	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखों की संख्या	मुद्रा मूल्य	लेखों की संख्या	मुद्रा मूल्य	लेखों की संख्या	मुद्रा मूल्य
1.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	-	-	-	-	1	-
2.	नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	1	2.74	2	70.32	2	0.47
	कुल	1	2.74	2	70.32	3	0.47

लेखापरीक्षा टिप्पणियों का मुख्य प्रभाव 2011-12 के दौरान हिमाचल प्रदेश वित्त निगम तथा 2012-13 के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम से सम्बंधित था।

1.29 अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 तक वर्ष 2013-14 के लिए हिमाचल प्रदेश वित्त निगम तथा वर्ष 2012-13 के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के लेखों की लेखापरीक्षा पूर्ण कर ली गई थी। इन सांविधिक निगमों के लेखों से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

हिमाचल पथ परिवहन निगम (2012-13)

- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत प्रचालित बसों के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा छूट स्वीकृत करने के बावजूद यात्रियों से वसूल हिमाचल प्रदेश विशेष पथ कर वाले ₹ 2.12 करोड़ चालू देयताओं में सम्मिलित नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (2013-14)

- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निगम के माध्यम से हिमाचल पथ परिवहन निगम को अदा की गई शेयर प्रयुक्त मुद्रा में ₹ 3.00 करोड़ की राशि इमदाद के रूप में सम्मिलित है। इसे इमदाद के बजाए निवेश मानने के परिणामस्वरूप दोनो शेयर प्रयोज्य मुद्रा तथा निवेश में अत्योक्ति हुई।

आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा

1.30 सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखापालों) को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (क) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उन्हें जारी किये गए निदेशों के अनुसार लेखापरीक्षित कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धतियों सहित विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजना तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना, जहां सुधार की आवश्यकता हो, अपेक्षित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2010-11¹² के लिए एक कम्पनी, 2011-12¹³ के

¹² परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या 6

¹³ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या 1,3,5 तथा 13

लिए चार कम्पनियों, वर्ष 2012-13 के लिए सात कम्पनियों¹⁴ तथा वर्ष 2013-14 के लिए तीन कम्पनियों¹⁵ की आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण तंत्र में सम्भावित सुधार पर की गई टिप्पणियों के निदिर्शी सारांश का विवरण परिशिष्ट-1.5 में दिया गया है। यह दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेहतर परिणामों के लिए व्यापार की प्रकृति एवं आकार, सेवानिवृति देय राशि के प्रावधान हेतु उपयुक्त प्रणालियां बनाने, वस्तुसूची प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी के आरम्भ आदि की समानुपातिकता में अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों में सुधार करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां

1.31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लेखों की नमूना जांच की अवधि में ध्यान में आई वसूलियों से अंतर्ग्रस्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी जांच हेतु लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकार को संदर्भित किया गया था और अधिक भुगतान/अतिरिक्त भुगतान के मामले में इसकी वसूली लेखापरीक्षा को सूचनाधीन थी।

वर्ष 2013-14 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ₹ 63.41 करोड़ की वसूलियां विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन को इंगित की गई थी जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने स्वीकार कर लिया था। इसके प्रति वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 5.30 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री के प्रति विभाग की प्रतिक्रिया

1.32 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु ₹ 401.38 करोड़ से अंतर्ग्रस्त एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 33.43 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 10 लेखापरीक्षा परिच्छेद सम्बंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को छः सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किये गए थे। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा और ₹ 4.07 करोड़ के मुद्रा मूल्य से अंतर्ग्रस्त चार लेनदेन लेखापरीक्षा परिच्छेदों से सम्बंधित उत्तर राज्य सरकार से प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना

व्याख्यात्मक बकाया टिप्पणियां

1.33 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में अनुरक्षित लेखों और अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ आरम्भ की जाने वाली संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा दर्शाते हैं। इसलिये, यह आवश्यक है कि वे कार्यपालक से उपयुक्त और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करें। राज्य के वित्त विभाग ने समस्त प्रशासकीय विभागों की सार्वजनिक उपक्रमों की समिति से किसी सूचना अथवा बुलावे की प्रतीक्षा किये बिना लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधान सभा में उनके प्रस्तुत करने के तीन महीनों के भीतर इनमें सम्मिलित परिच्छेदों

¹⁴ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या 2,8,11,12,14,16 तथा 17

¹⁵ परिशिष्ट 1.1 की क्रम संख्या 7,10 तथा 15

और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर लिए गए अथवा लेने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक/प्रतिकारी कार्रवाई दर्शाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के अनुदेश जारी किये थे (फरवरी 1994)। यद्यपि वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष क्रमशः अप्रैल 2013 तथा फरवरी 2014 में प्रस्तुत किये गए थे, तथापि, चार विभागों ने 30 सितम्बर 2014 तक 28 परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 19 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी जैसाकि **तालिका 1.9** में इंगित किया गया है।

तालिका-1.9

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (आर्थिक क्षेत्र) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल परिच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी
2011-12	अप्रैल 2013	14	6
2012-13	फरवरी 2014	14	13
कुल		28	19

विभागवार विश्लेषण **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका-1.10

विभाग का नाम	2011-12	2012-13
विद्युत	5	7
खाद्य एवं आपूर्ति	1	1
वन	-	4
उद्योग	-	1
कुल	6	13

व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत न करने हेतु अधिकांशतः विद्युत विभाग उत्तरदायी था, क्योंकि इसने 19 परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 12 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी।

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से छः महीनों के भीतर सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां भेजना अपेक्षित है। अगस्त 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के 9 प्रतिवेदनों से सम्बंधित 14 परिच्छेदों के उत्तर सितम्बर 2014 तक प्राप्त नहीं हुए थे जैसाकि **तालिका 1.11** में इंगित है।

तालिका-1.11

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति का प्रतिवेदन वर्ष	अंतर्ग्रस्त प्रतिवेदनों की कुल संख्या	परिच्छेदों की संख्या जहां उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2013-14 (30.09.2014 तक)	9	14
कुल	9	14

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा के दौरान किये गए तथा कार्यस्थल पर बिना निपटान के लेखापरीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों तथा राज्य सरकार के सम्बंधित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रेषित किये गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर चार सप्ताह की अवधि में सम्बंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से प्रेषित किये जाने थे। 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित मार्च 2014 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्घाटित हुआ कि 1,054 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित 4,522 परिच्छेद 30 सितम्बर 2014 की समाप्ति तक बकाया रहे थे। 30 सितम्बर 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभागवार विघटन परिशिष्ट-1.6 में दिया गया है।

इसी तरह से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा प्रारूप परिच्छेदों को सम्बंधित प्रशासकीय विभाग के सचिव को अर्धशासकीय रूप से छः सप्ताह की अवधि के भीतर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि और उन पर टिप्पणियां करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। तथापि, चार विभागों को अप्रैल 2014 तथा अगस्त 2014 के मध्य अग्रेषित एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा चार प्रारूप परिच्छेदों के उत्तर अभी तक नहीं दिये गए थे (नवम्बर 2014)।

यह भी सिफारिश की गई है कि सरकार सुनिश्चित करें (क) सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की सिफारिश पर निर्धारित समयसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप परिच्छेदों/ टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के उत्तर भेजना, (ख) निर्धारित समयसूची के भीतर हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक अदायगियों की वसूली तथा (ग) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया की प्रणाली का जीर्णोद्धार।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की प्रास्थिति

1.34 2012-13 तक की अवधि के लिए दो सांविधिक निगमों के लेखों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं (दिसम्बर 2013)।


सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

1.35 वर्ष 2013-14 के दौरान सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों में विनिवेश और निजीकरण का कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेशार्थ कोई योजना नहीं बनाई गई थी।

इस प्रतिवेदन की व्याप्ति

1.36 इस प्रतिवेदन में 10 परिच्छेद तथा ₹ 434.81 करोड़ के एक वित्तीय प्रभाव से अंतर्विष्ट 'सावड़ा कुड्डु' जल विद्युत परियोजना (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा प्रचालित) पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा निहित है।

अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा



अध्याय-II निष्पादन लेखापरीक्षा

2 सावड़ा कुड़डू जल विद्युत परियोजना

कार्यकारी सारांश

सावड़ा कुड़डू जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयनार्थ अगस्त 2004 में पब्लर घाटी विद्युत निगम सीमित को सृजित किया गया था। बाद में हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित के गठन (जुलाई 2007) के साथ अगस्त 2007 में पब्लर घाटी विद्युत निगम सीमित को हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित में विलीन कर दिया गया।

मुख्य विशेषताएं

प्रारम्भ में प्राकलित ₹558.53 करोड़ की लागत वाली परियोजना अब ₹5.03 करोड़ से ₹10.50 करोड़ प्रति मेगा वाट तथा ₹2.34 से ₹6.95 प्रति यूनिट लागत की अनुवर्ती वृद्धि सहित ₹606.57 करोड़ की अधिक लागत से अंतर्ग्रस्त जुलाई 2017 तक ₹1,165.10 करोड़ की लागत से पूर्ण की जानी प्रत्याशित है। औसतन ₹3.43 प्रति यूनिट की विक्रय दर की तुलना में प्रत्याशित उत्पादन लागत बहुत अधिक होगी तथा इस दृष्टि से परियोजना आरम्भ होने पर वाणिज्यिक रूप से अव्यवहारिक बन जाएगी।

(परिच्छेद 2.1 तथा 2.7)

भारत सरकार ने ₹491.16 करोड़ के बराबर निधियों का हस्तांतरण किया जो इस परियोजना हेतु राज्य सरकार को एशियन विकास बैंक से 90:10 के अनुपात में अनुदान एवं ऋण के रूप में प्राप्त हुई जिसे राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर लगने वाले ऋण में परिवर्तित कर दिया गया था। अनुदान को ऋण में परिवर्तित करने से परियोजना लागत पर ₹126.04 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा।

(परिच्छेद 2.6.2)

अपवर्तन बांध के परिरूप परिवर्तन से परियोजना की समग्र लागत पर ₹100.73 करोड़ का प्रभाव पड़ा।

{परिच्छेद 2.7.2 (i)}

कम्पनी ने टेका निरस्त करने से पूर्व कार्यों की पूर्णता में विलम्बार्थ टेकेदार से अनुबन्ध के आधार पर ₹11.59 करोड़ राशि की परिसमापन क्षतियों की वसूली नहीं की।

{परिच्छेद 2.8.2 (iv) (क)}

कम्पनी द्वारा हैड रेस टनल के कार्य के निरसन में विलम्ब के कारण अपवर्तन बांध, अंतर्ग्रहण संरचना तथा अवरोही व्यवस्थाओं एवं विद्युत गृह पैकेजों की दोष देयता अवधि के लाभ की अप्राप्ति के अतिरिक्त जल विद्युत परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब हुआ।

{परिच्छेद 2.8.2 (v)}

बोली दस्तावेजों में आपूर्ति की प्रत्येक खेप पर 20 प्रतिशत की मूल्य भिन्नता को प्रतिबंधित न करने के परिणामस्वरूप ₹8.79 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(परिच्छेद 2.9.1)

परिचय

2.1 हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में पब्वर नदी (यमुना नदी की सहायक नदी) पर सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का नदी प्रवाह के विकास के रूप में विचार किया गया। पब्वर घाटी में जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयनार्थ पब्वर घाटी विद्युत निगम सीमित के नाम से विशेष प्रयोजन वाहन सृजित (अगस्त 2004) किया गया और तदनन्तर पब्वर घाटी विद्युत निगम सीमित इसके गठन (जुलाई 2007) पर हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित में विलीन कर दिया गया था (अगस्त 2007)।

₹63.29 करोड़ के निर्माण दौरान ब्याज सहित 110 मेगा वाट (अब 111 मेगा वाट) की प्रतिस्थापित क्षमता की परियोजना हेतु ₹558.53 करोड़ की (मार्च 2003 मूल्य स्तर) तकनीकी आर्थिक अनुमति प्रदान (नवम्बर 2004) की गई। परियोजना की लागत सितम्बर 2009 में ₹1,165.10 करोड़ संशोधित की गई थी। परियोजना को 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष के दौरान 385.78 मिलियन यूनिटों तथा 50 प्रतिशत औसत वर्ष¹ के दौरान 506.61 मिलियन यूनिटों के उत्सर्जन को व्यस्ततम स्टेशन के रूप में परिचालनार्थ अभिकल्पित किया गया था। परियोजना के कार्यान्वयन को चार पैकेजों² में बांटा गया था तथा सभी कार्यान्वयनाधीन (अगस्त 2014) हैं।

परियोजना दिसम्बर 2011 में चालू की जानी निर्धारित थी किन्तु विभिन्न निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण अब जुलाई 2017 तक पूर्ण की जानी प्रत्याशित है। विलम्ब के कारणों का विश्लेषण तथा परियोजना व्यवहारिकता पर इसके प्रभाव के लिए निर्माण चरण पर इस परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

संगठनात्मक ढांचा

2.2 अनुश्रवण एवं नियंत्रण सरकारी स्तर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (बहुदेशीय परियोजना एवं विद्युत) द्वारा किया जाता है। परियोजना के सिविल एवं विद्युत-यांत्रिक कार्यों का समग्र नियंत्रण महाप्रबंधक, सावड़ा कुड्डू (जल विद्युत परियोजना)के अधीन

¹ मध्यम एवं विश्वसनीय वर्षों हेतु, किन्ही वर्षों हेतु एकत्रित बड़े हुए नदी आंकड़े को अवरोही क्रम में रखा जाता है। औसत वर्ष मध्यम वर्ष है। 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष एकत्रित किए गए आंकड़े हेतु कुल वर्षों का 90/100 है।

² हैड रेस टनल, अपवर्तन बांध तथा अंतर्ग्रहण, विद्युत गृह एवं विद्युत-यांत्रिक उपकरण।

था, जिसकी सहायता के लिए तीन सहायक महाप्रबंधक, (सिविल/यांत्रिक) तथा एक सहायक महाप्रबंधक (विद्युत) है। प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित महाप्रबंधक को सूचित करता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों द्वारा यह निर्धारण करना था कि:

- परियोजना पर विचार किया गया तथा किफायती ढंग से विद्युत आपूर्ति को अभिकल्पित किया गया;
- परियोजना का अधिनिर्णय एवं कार्यान्वयन मितव्ययी, प्रभावपूर्ण तथा दक्षतापूर्वक किया गया;
- श्रमशक्ति आवश्यकता वास्तविक तथा इसकी प्रयुक्ति इष्टतम थी; और
- परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उपयुक्त अनुश्रवण तंत्र विद्यमान था।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2.4 सावड़ा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना के आरम्भ से कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 तक की गई। लेखापरीक्षा जांच में इस परियोजना के निगम कार्यालय, शिमला तथा हाटकोटी स्थित महाप्रबंधक सावड़ा-कुड्डू से सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा सम्मिलित थी। अनुमोदन सम्बंधी अभिलेख, सांविधिक समाशोधनों, अधिनिर्णय, कार्यान्वयन एवं पर्यावरणीय प्रभाव की संवीक्षा की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रधान सचिव (विद्युत), हिमाचल प्रदेश सरकार तथा कम्पनी के प्रबंध निदेशक के साथ 23 अप्रैल 2014 को आरंभिक सम्मेलन से शुरू हुई, जिसमें लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्यों व मानदण्डों की व्याख्या की गई। लेखापरीक्षा परिणामों को प्रारूप प्रतिवेदन के रूप में 28 अगस्त 2014 को प्रबंधन/सरकार को उनकी टिप्पणियों हेतु जारी किया गया। समापन सम्मेलन प्रबंधन के साथ 15 अक्टूबर 2014 को हुआ तथा 27 अक्टूबर 2014 को प्राप्त उनके उत्तर उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिए गए।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करने हेतु अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नवत थे:

- पर्यावरण एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों से सम्बंधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय एवं केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सरकार, विधि द्वारा जारी दिशा-निर्देश।
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन; परियोजना तथा गुणवत्ता नियंत्रण की छानबीन हेतु विशेषज्ञों के प्रतिवेदन।

- टेकों के अधिनिर्णय हेतु मानक प्रक्रियाएं और एशियन विकास बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश।
- विभिन्न ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबन्ध।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.6 वित्तीय प्रबन्धन

2.6.1 निधियन

इस परियोजना के कार्यान्वयनार्थ विद्युत वित्त निगम द्वारा ₹453.00 करोड़ का ऋण तथा हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के माध्यम से एशियन विकास बैंक से ₹587.85 करोड़ का ऋण (बांध का ठेका मूल्य, विद्युत गृह से सम्बद्ध सिविल एवं विद्युत यांत्रिक कार्य) स्वीकृत किया गया (मार्च 2003)। कम्पनी द्वारा अभी तक (मई 2014) इस परियोजना पर ₹851.62 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी थी।

वर्षवार बजट आवंटन तथा इसके प्रति अंतिम पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय को तालिका-2.1 में दिया गया है:

तालिका-2.1

वर्ष	सिविल कार्य			विद्युत यांत्रिक कार्य		
	बजट	व्यय	प्रयुक्ति प्रतिशतता	बजट	व्यय	प्रयुक्ति प्रतिशतता
	(₹ लाख)			(₹ लाख)		
2009-10	-- ³	4287.85		-- ³	00.00	
2010-11	8582.00	10095.43	117.63	5170.00	1307.75	25.29
2011-12	20850.00	11638.53	55.82	9994.22	6416.13	64.20
2012-13	14060.00	8392.45	59.69	5091.00	4788.31	94.05
2013-14	10417.56	8802.30	84.49	2697.01	2469.91	91.58

यह देखा जा सकता है कि सिविल कार्यों की बजट की प्रयुक्ति प्रतिशतता 55.82 तथा 117.63 प्रतिशत के मध्य और विद्युत यांत्रिक कार्यों के मामले में 25.29 व 94.05 प्रतिशत के मध्य रही। बजट प्रयुक्ति में गिरावट के मुख्य कारण ठेकेदार को नक्शों का विलम्ब से देना, सिविल फ्रण्टों को उपलब्ध करवाने में विलम्ब तथा प्रबन्धन द्वारा अनुश्रवण की कमी थी।

³ कम्पनी द्वारा वर्ष 2009-10 हेतु बजट आवंटित नहीं किया गया।

2.6.2 अनुदान पर ब्याज लगाना

भारत सरकार ने राज्य सरकार को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 90:10 के अनुपात में अनुदान एवं ऋण⁴ के रूप में ₹587.85 करोड़ (एशियन विकास बैंक से स्वीकृत ऋण) के प्रति ₹491.16 करोड़ (मार्च 2014 तक) के समकक्ष निधियों का हस्तांतरण किया। तथापि, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित को समूची राशि ऋण के रूप में मानकर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रभारित किया जैसाकि राज्य सरकार ने कम्पनी के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया था (नवम्बर 2008)। अतः, मार्च 2014 तक आहरित ₹442.04 करोड़ के अनुदान को ऋण में परिवर्तित करने से परियोजना लागत पर ₹126.04 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एशियन विकास बैंक द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया।

प्रबन्धन ने बताया कि मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है (मई 2014) तथा उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (अक्टूबर 2014)।

2.6.3 स्थापना लागत पुस्तांकित न करना

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि ₹137.86 करोड़ (स्थापना लागत ₹112.61 करोड़ तथा डाटा केन्द्र से सम्बंधित खर्च ₹25.25 करोड़) के कुल संचित व्यय में से मार्च 2014 तक इसकी चल रही 11 परियोजनाओं पर खर्च की गई ₹44.89 करोड़ की राशि निगम कार्यालय, परिरूप कार्यालयों तथा डाटा केन्द्र की अनुपातिक स्थापना लागत परियोजना को पुस्तांकित नहीं की गई थी। इस लागत को परियोजना को पुस्तांकित करने पर समग्र परियोजना लागत प्रति यूनिट उत्पादन लागत में अनुवर्ती वृद्धि सहित बढ़ जाएगी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि प्रत्येक परियोजना के प्रति किए गए कुल व्यय के आधार पर लागत के आवंटनार्थ निर्णय वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लिया जाएगा।

2.6.4 असम्बंधित लागत का अनियमित पुस्तांकन

पब्बर घाटी विद्युत निगम सीमित द्वारा सावड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना हेतु प्रारम्भ में निर्मित (मई 2007) कार्यालय एवं आवासीय स्थान को अन्य परियोजना (चिड़गांव-मझगांव जल विद्युत परियोजना) के निर्माणार्थ प्रयुक्त किया जा रहा है तथा कम्पनी ने ₹1.04 करोड़ की सावड़ा कुड़ू जल विद्युत परियोजना के प्रति समस्त निर्माण लागत पुस्तांकित की थी। सम्बंधित परियोजना को लागत के हस्तांतरण न होने के परिणामस्वरूप ₹1.04 करोड़ की परियोजना लागत में परिहार्य वृद्धि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि चिड़गांव-मझगांव जल विद्युत परियोजना का उपरोक्त व्यय के पुस्तांकन सम्बंधी मामला विचाराधीन था।

⁴

9 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर

2.6.5 स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यकलापों को ₹30.32 करोड़ का कम पुस्तांकन

राज्य सरकार द्वारा जारी जल विद्युत नीति, 2006 के प्रावधानानुसार कम्पनी ने परियोजना के प्रति स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को ₹16.92 करोड़ का प्रावधान किया। कम्पनी ने स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की ओर से मई 2014 तक ₹2.75 करोड़ का व्यय करके कुछ कार्यों का कार्यान्वयन किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2014) कि कम्पनी द्वारा स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित कार्यों पर किए गए व्यय (₹2.75 करोड़) पर 11 प्रतिशत की दर से ₹30.32 लाख की राशि के विभागीय प्रभारों को नहीं लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को ₹30.32 लाख कम पुस्तांकित हुआ तथा कम्पनी को यह राशि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रति इस अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की वर्तमान नीति, जो स्थानीय क्षेत्र विकास निधि पर सभी पिछली नीतियों/दिशा-निर्देशों का प्रतिस्थापन करती है, विभागीय प्रभारों को लगाना विशेष रूप से नियत नहीं करती। इसके अतिरिक्त, विभागीय प्रभारों के सम्बंध में स्वीकार्य सिद्धान्त था कि अन्य विभागों हेतु निक्षेप कार्य आधार पर किए गये कार्यों पर विभागीय प्रभार लगाए जाते थे।

उत्तर स्वतः अन्य विभागों की ओर से निक्षेप कार्यों पर विभागीय प्रभार लगाने को इंगित करता है। इन कार्यों को कम्पनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की ओर से निक्षेप कार्य के रूप में कार्यान्वित किया गया था, अतः विभागीय प्रभार वसूल किए जाने चाहिए।

समय एवं लागत आधिक्य

2.7 सिविल कार्यों के अधिनिर्णय पश्चात 54 महीनों की अवधि में चालू करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने ₹ 390.97 करोड़ का ऋण व ₹ 167.56 करोड़ की इक्विटी सहित परियोजना निर्माणार्थ तकनीकी-आर्थिक अनुमति प्रदान (नवम्बर 2004) की। सिविल कार्यों का अधिनिर्णय दिसम्बर 2011 में किया गया तथा परियोजना को ₹ 606.57 करोड़ की अधिक लागत से अंतर्ग्रस्त ₹ 1,165.10 करोड़ की लागत पर जुलाई 2017 तक पूर्ण किया जाना प्रत्याशित है। मार्च 2014 को समाप्त प्रत्येक घटकों के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के अधिनिर्णय की तिथि, पूर्णता की देय तिथि, वर्तमान कार्य स्थिति और विलम्ब/लिया गया अधिक समय परिशिष्ट 2.1 में विवरणित है जो दर्शाता है कि कार्यों की पूर्णता में विलम्ब 27 से 69 महीनों के मध्य रहा। मुख्य घटकों की लागत में वृद्धि प्रतिशतता 31 व 1,692 प्रतिशत के मध्य रही जैसाकि परिशिष्ट 2.2 में ब्यौरा दिया गया है तथा लागत में समग्र वृद्धि 109 प्रतिशत थी। अधिक समय व लागत के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा ₹ 3.43 प्रति यूनिट पर विद्युत व्यापार निगम के माध्यम से विक्रय की जा रही विद्युत की विक्रय दर औसत के प्रति ₹ 1,165.10 करोड़ की संशोधित लागत पर प्रति मेगा वाट लागत वृद्धि ₹ 5.03 करोड़ से ₹ 10.50 करोड़ तथा प्रति यूनिट लागत वृद्धि (रायल्टी पर विचार किए बिना) ₹ 2.34 से ₹ 6.95 तक हुई। उत्पादन लागत

⁵ 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान

बहुत अधिक थी तथा रायल्टी व व्हीलिंग प्रभारों को जोड़ने के पश्चात् और वृद्धि होगी। अतः, यह परियोजना कम्पनी के लिए वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य परियोजना बन जाएगी।

कार्यों की पूर्णता में विलम्ब के कारण ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कार्यों की कुछ मदों की अपर्याप्तता/प्रावधान न करना, कार्य के परिरूप/क्षेत्र में तदनन्तर परिवर्तन तथा कम्पनी द्वारा ठेकेदारों को कार्यस्थलों को विलम्ब से सौंपना थे। लागत में ₹ 1,165.10 करोड़ के संशोधन की दृष्टि से भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी आर्थिक अनुमति अपेक्षित थी जिसे कम्पनी ने अब तक (अक्टूबर 2014) प्राप्त नहीं किया।

परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब से न केवल उत्सर्जन हानि/प्रति मेगा वाट लागत वृद्धि हुई अपितु परियोजना लागत में परिहार्य वृद्धि भी हुई जैसाकि आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.7.1 उत्सर्जन हानि

परियोजना पूर्णता में पांच वर्षों (जनवरी 2012 से जून 2017) से अधिक के विलम्ब से न केवल लागत में वृद्धि हुई अपितु लोगों को अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध करवाने के सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति न होने के अतिरिक्त राज्य सरकार को ₹ 87.33 करोड़ के मुफ्त विद्युतांश के स्थगन सहित ₹ 727.77 करोड़⁶ की उत्सर्जन हानि भी हुई।

2.7.2 परियोजना लागत में वृद्धि करने वाले अन्य घटक

(i) परिरूप में परिवर्तन

अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में पारम्परिक अपवर्तन बांध एवं अंतर्ग्रहण संरचनाओं के निर्माणार्थ क्रमशः ₹ 43.19 करोड़ तथा ₹ 11.10 करोड़ के प्रावधान थे जिसे 3,000 क्यूमिक्स के अधिकतम बाढ़ स्तर पर स्वीकार किया गया। इस स्तर पर बांध की लम्बाई 118 मीटर उत्थापन पर बांध का शीर्षभाग 1,426.00 मीटर तथा चार घण्टे की चरम सीमा हेतु 136 हेक्टेयर मीटर की भण्डारण क्षमता की पर्याप्तता सहित उत्थापन पर पूर्ण जलाशय स्तर 1,423.50 मीटर नियत किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि बांध का परिरूप तथा अंतर्ग्रहण पारम्परिक से 6,880 क्यूमिक्स संशोधित बाढ़ स्तर पर आधारित पिआनों की वीयर में परिवर्तित कर दिया जिसके कारण कार्यान्वयन की मदों की मात्राओं में वृद्धि हुई। परिरूप परिवर्तन के कारण बांध का शीर्षभाग उत्थापन 1,426.00 मीटर से कम करके 1,424.00 कर दिया, परिणामतः पूर्ण जलाशय स्तर उत्थापन 1,423.50 मीटर से कम करके 1,417.95 मीटर कर दिया जबकि भण्डारण क्षमता में 140.45 हेक्टेयर मीटर की वृद्धि दर्शाई गई, जो सम्भव नहीं क्योंकि जलाशय की भण्डारण क्षमता पूर्ण जलाशय स्तर में घटती ही गई। परिरूप में इस परिवर्तन से परियोजना की समग्र लागत

⁶ 385.78 मेगा यूनिटें x 5.5 वर्ष x ₹3.43 = ₹ 727.77 करोड़ (विद्युत व्यापार निगम की औसत विक्रय दर पर)

पर ₹ 100.73 करोड़ का प्रभाव पड़ा जिसके लिए अगस्त 2009 के दौरान ठेकेदार⁷ को कार्य का अधिनिर्णय दिया गया।

इसके अतिरिक्त, पूर्व के पूर्ण जलाशय स्तर तथा भण्डारण क्षमता के आधार पर, 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष के दौरान 385.78 मिलियन यूनियों के उत्सर्जन को परिकल्पित किया गया था। पूर्ण जलाशय स्तर तथा जलाशय की भण्डारण क्षमता में कमी अब परियोजना को कमी के मौसम के दौरान कम उत्सर्जन के कारण आवर्ती हानि उठानी पड़ेगी। कम्पनी द्वारा परिरूप में परिवर्तन हेतु अनुमोदन प्रदान करते समय उत्सर्जन पर भण्डारण क्षमता में कमी के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में अपनाया गया परिरूप 1997 के दौरान देखे गए 3000 क्यूमिक्स के बाढ़ स्तर पर आधारित था। तथापि, 6,880 क्यूमिक्स के मानक परियोजना बाढ़ स्तर की गणना 'मध्यवर्ती' श्रेणी में आने वाली अर्थात् 12 एम से 30 एम के द्रवचालित शीर्षभाग वाली संरचना हेतु, केन्द्रीय जल आयोग तथा आई एस-11223 के दिशा-निर्देशों पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त, विस्तृत निर्माणावस्था सर्वेक्षण के दौरान नदी की चौड़ाई के आर-पार नदी तल स्तर एक समान नहीं पाया गया। इन चूकों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में जब परिशोधित किया गया तो परिणामतः ₹ 4.43 करोड़ मूल्य की 5,406 हेक्टेयर तक की भू-अर्जन आवश्यकता में कमी के अतिरिक्त पूर्ण जलाशय स्तर की कमी सहित भी समग्र भण्डारण में वृद्धि हुई।

उत्तर इस तथ्य को इंगित करता है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी अपेक्षित पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया। इसके अतिरिक्त, उत्तर में वर्णित दिशा-निर्देश तथा आई एस-11223 भण्डारण डैमों हेतु बाढ़ परिरूप की गणना हेतु थे जबकि इस मामले में परियोजना अपवर्तन बांध और वीयर के साथ परिरूपित थी जिसको आई एस-6966 (भाग-1)-1989 प्रयोज्य था।

(ii) मांग प्रभागों का परिहार्य भुगतान

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयनार्थ अपेक्षित 5,142.95 किलो वोल्ट एम्पीयर⁸ की संविदा मांग सहित 4,873.128 किलो वाट का विद्युत भार स्वीकृत किया। इसमें से 2,915 किलो वोल्ट एम्पीयर की संविदा मांग सहित 2,623.5 किलो वाट भार हैड रेस टनल के विद्युत निर्माण के लिए था। ठेकेदार⁹ द्वारा हैड रेस टनल के कार्य की धीमी प्रगति के कारण कार्य को जनवरी 2014 में निरस्त कर दिया गया। क्योंकि कम्पनी इस तथ्य से अवगत थी कि हैड रेस टनल के शेष कार्य नई निविदाओं को बनाने व आमंत्रित करने के पश्चात् दिए जाएंगे और सारी प्रक्रिया जुलाई 2014 से पहले पूर्ण नहीं की जा सकती, अतः कार्य के निरसन पर शीघ्रता से संविदा मांग को कम किया जाना चाहिए था।

⁷ मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड।

⁸ लेखा संख्या एस के पी बी एस-1

⁹ मैसर्स अबान कोस्टल ज्वाइंट वेंचर

संविदा मांग कम न करने के कारण फरवरी 2014 से अगस्त 2014 तक की अवधि के दौरान मांग प्रभारों के भुगतान पर ₹ 53.73 लाख¹⁰ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि संविदा मांग को कम करने की कार्रवाई जनवरी 2014 में प्रारम्भ की गई और विलम्ब हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के कारण हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी संविदा मांग की कमी हेतु अपेक्षित फीस जमा करवाने में विफल रही जो वास्तव में अगस्त 2014 में जमा करवाया गया था।

सिविल कार्यों का अधिनिर्णय एवं कार्यान्वयन

2.8 परियोजना के सिविल कार्यों में मुख्यतः जलाशय, ट्रैंच वीयर, डी-सैंडिंग प्रबन्ध, विद्युत अंतर्ग्रहण, हैड रेस टनल, सर्ज शॉफ्ट, प्रेशर शॉफ्ट, विद्युत गृह तथा टेल रेस टनल आदि के निर्माण सम्मिलित थे। इन कार्यों को तीन पैकेजों में बांटा गया था तथा ₹ 552.78 करोड़ की कुल लागत हेतु दो ठेकेदारों को दिये गये थे। इन ठेकेदारों के साथ किए गए संविदा अनुबंधों तथा कार्यान्वयन सम्बंधी अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा विभिन्न संविदात्मक प्रावधानों की अनुपालना के कारण, जैसाकि निम्नांकित परिच्छेदों में चर्चा की गई है, ₹ 55.28 करोड़ की परिसमापन क्षतियों की अवसूली के अतिरिक्त ₹ 12.10 करोड़ के अतिरिक्त/परिहार्य व्यय को दर्शाती है:

2.8.1 सिविल कार्यों का अधिनिर्णय

(i) बोली दस्तावेज में उपयुक्त खण्ड का सन्निवेश न करने से ब्याज की सम्भावित हानि

कम्पनी ने विद्युत गृह तथा अपवर्तन बांध, अंतर्ग्रहण संरचना पैकेजों हेतु बोली दस्तावेजों को बनाते हुए अग्रिम की वसूली को अपने वित्तीय हितों की अभिरक्षा हेतु समयबद्ध ढंग के स्थान पर कार्य प्रगति के साथ जोड़ दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2014) कि कम्पनी ने फरवरी 2009 से मई 2010 के दौरान ठेकेदार¹¹ को दो पैकेजों¹² के प्रति ₹ 21.85 करोड़ का ब्याज मुक्त अग्रिम इसकी वसूली को कार्य प्रगति से जोड़कर जारी कर दिया। कम्पनी द्वारा इन कार्यों हेतु निधियों को ब्याज की 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर जुटाया गया था, अतः कम्पनी की बुद्धिमता नहीं कि इसे ठेकेदार को अनिश्चित अवधि हेतु (कार्य प्रगति पर निर्भर) जारी कर दे।

¹⁰ हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा यथा गणित आवश्यकता 72 किलो वोल्ट एम्पीयर अर्थात्, 2,915 किलो वोल्ट एम्पीयर -72 किलो वोल्ट एम्पीयर = 2,843 किलो वोल्ट एम्पीयर x 90% x ₹ 300/- प्रति किलो वोल्ट एम्पीयर x 7 महीने

¹¹ मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग सीमित

¹² पावर हाऊस एण्ड डाइवर्सन बैराज, इंटेक स्ट्रक्चर एण्ड डी-सैंडिंग एरेंजमेंट्स पैकेजिज

अतः, कम्पनी के एशियन विकास बैंक से अनुमोदन प्राप्ति पूर्व बोली दस्तावेजों में उपयुक्त खण्ड सन्निविष्ट करने में विफल रहने के कारण फरवरी 2009 से नवम्बर 2011 की अवधि हेतु ₹ 3.96 करोड़¹³ के सम्भावित ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि समयबद्ध वसूली सम्बंधित खण्ड को अब कम्पनी के मानक दस्तावेज पर आधारित हैड रेस टनल पैकेज में सन्निविष्ट कर लिया गया है। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को उपरोक्त ठेकों के बोली दस्तावेजों में इसके मानक दस्तावेज के प्रावधान को सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (अप्रैल 2007) ने भी अग्रिमों की समयबद्ध वसूली हेतु इंगित किया है।

(ii) परिहार्य हानि

अपवर्तन बांध एवं अंतर्ग्रहण संरचना हेतु ठेकेदार¹⁴ के साथ निष्पादित (सितम्बर 2009) संविदा अनुबंध की विशेष शर्तों के खण्ड 12.3 में प्रावधान है कि 125 प्रतिशत से अधिक की प्रमात्रा हेतु दरों को चालू बाजारी दरों पर विश्लेषित किया जाएगा। तथापि, कुछ मदों की दरें यथा रॉक बोल्ट्स, वॉयर मेश, शार्ट क्रेट तथा डिवाटरिंग आदि उपरोक्त वर्णित खण्ड से बाहर रखी गई थी और 125 प्रतिशत की सीमा से आगे भी संविदात्मक दरों पर भुगतान को अनुमत की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2014) कि कार्यान्वयन के दौरान जल निकासी की प्रमात्रा (62वें चालू लेखा बिल तक) 1,018 प्रतिशत तक (अधिनिर्णय प्रमात्रा 4,45,600 किलो वाट घंटा के प्रति 49,81,814 किलो वाट घंटा) बढ़ गई थी। ठेकेदार को ₹ 11 प्रति किलो वाट घंटा की विश्लेषित बाजारी दर के प्रति संविदात्मक दर ₹ 30 प्रति किलो वाट घंटा पर भुगतान किया जा रहा था। यदि डिवाटरिंग की मद को उपरोक्त सीमा की परीधी के भीतर रखा गया होता तो ठेकेदार को ₹ 8.41 करोड़ के भुगतान से बचा जा सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि डिवाटरिंग प्रमात्रा अत्यधिक अनिश्चित होने से उसके लिए निर्धारित विचलन सीमा तर्कशील नहीं लगती, तथापि, लेखापरीक्षा का सुझाव भविष्य की परियोजनाओं में अनुपालनार्थ विचारा जाएगा।

उत्तर स्वतः तथ्य को इंगित करता है कि डिवाटरिंग प्रमात्रा अत्यंत अनिश्चित है तथा कम्पनी के हित की अभिरक्षा हेतु विचलन सीमा खण्ड में सम्मिलित किया जाना चाहिए। पुनः कम्पनी ने लारजी जल विद्युत परियोजना के अनुभव को ध्यान में नहीं रखा, जहां डिवाटरिंग प्रमात्रा 2,635 प्रतिशत तक बढ़ी थी।

2.8.2 सिविल कार्यों का कार्यान्वयन

सिविल कार्यों के कार्यान्वयन से सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि कम्पनी ने परिहार्य/अतिरिक्त व्यय किया जैसाकि निम्नांकित परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

¹³ ब्याज हानि की गणना इस परियोजना के लिए प्राप्त एशियन विकास बैंक ऋण पर भुगतान किये गए 10 प्रतिशत वार्षिक पर की गई है।

¹⁴ मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग

(i) बाजारी दरों के विश्लेषण बिना भुगतान

विद्युत गृह निर्माणार्थ ठेकेदार¹⁵ के साथ निष्पादित (फरवरी 2009) विशेष संविदा शर्त के उप खण्ड 12.3 (iv) (ग) के साथ पठित उप खण्ड 12.3 (i) में प्रावधान है कि प्रमात्रा सीमा से अधिक होने पर प्रचलित बाजारी दरों के आधार पर 125 प्रतिशत से अधिक की प्रमात्रा हेतु दरों को संशोधित किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि अगस्त 2009 के दौरान सर्ज शॉफ्ट की प्रमात्राएं 125 प्रतिशत से बढ़ गईं। इसी भांति क्रमशः फरवरी 2011 तथा नवम्बर 2012 के दौरान प्रेशर शॉफ्ट की भूमिगत खुदाई व कंकरीट की प्रमात्राएं उपरोक्त सीमा से बढ़ गईं किन्तु इन मदों का भुगतान अधिनिर्णित दरों पर किया जा रहा था। संविदात्मक प्रावधान के विपरीत बाजारी दरों का विश्लेषण किए बिना ठेकेदार को उपरोक्त वर्णित मदों के प्रति 125 प्रतिशत से अधिक प्रमात्राओं की ₹ 3.21 करोड़ की राशि अदा कर दी गई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि खण्ड में प्रयुक्त 'सम्भवतः' वाक्यांश के अनुसार ऐच्छिक था तथा ठेकेदार को चालू बाजार दरों पर गणना हेतु निवेशों की वास्तविक दरों को उपलब्ध करवाना अनिवार्य नहीं। इस मामले में ठेकेदार ने वास्तविक दरों को नहीं दिया अतः, दरों को विश्लेषित नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबन्ध के प्रावधान दोनों पक्षों को प्रयोज्य थे और कोई भी पक्ष अपने वित्तीय हितों की अभिरक्षा की दरों को संशोधित कर सकता था।

(ii) परिहार्य/अतिरिक्त भुगतान

125 प्रतिशत की सीमा से पार अपवर्तन बांध एवं अंतर्ग्रहण संरचना में खुली खुदाई की प्रमात्राओं में वृद्धि के कारण ₹ 220 प्रति क्युम की अधिनिर्णित दर के प्रति अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उन्हें चालू बाजार दरों पर ₹ 193 प्रति क्युम पर विश्लेषित किया। उसे प्रबन्धन ने सितम्बर 2012 के दौरान अनुमोदित किया तथा तदनुसार ठेकेदार को भुगतान किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि ₹ 193 प्रति क्युम की दरों को पुनः जून 2013 में ₹ 226 प्रति क्युम संशोधित किया गया। कार्य अधिनिर्णय से पूर्व ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निर्माण पद्धति में वर्णित मजदूरी, ढुलाई क्षमता तथा टिप्पर की गति के समयोपरि भुगतानों के पैरामीटरों को परिवर्तित करके दरों को संशोधित किया गया था।

अतः, बाजार की दरों के विश्लेषणार्थ सितम्बर 2012 तथा जून 2013 के दौरान दरों के संशोधन तथा विभिन्न मानदण्डों को अपनाने के कारण ठेकेदार को ₹ 34.00 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

¹⁵ मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग सीमित

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि दरों का संशोधन ठेकेदार के वास्तविक निवेश तथा गति, कार्यस्थल पर वस्तुतः देखे गए खाली हौल को ध्यान में रखते हुए किया गया। पुनः ठेकेदार द्वारा उसकी निर्माण पद्धति में पूर्व विचारित टिप्पर की गंदगी दुलाई क्षमता सिद्धान्ततः सम्भव नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दरों को निर्माण पद्धति में उल्लिखित पैरामीटरों को परिवर्तित करके संशोधित किया गया था और इसकी सिद्धान्ततः सम्भावना संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई।

(iii) प्रतिस्थापित मद पर अधिक भुगतान

अपवर्तन बांध, अंतर्ग्रहण संरचना एवं डी-सैंडिंग व्यवस्था पैकेज की विशिष्ट संविदा शर्तों के खण्ड 12.3 (iv) (क) में अनुबंधित है कि प्रतिस्थापित मदों की दरें प्रमात्राओं के बिल में उल्लिखित नजदीकी समान मद की दर से ली जानी चाहिए। कार्यान्वयन के दौरान एम-70 ग्रेड कंकरीट (800 किलोग्राम) को एम-55 ग्रेड कंकरीट (500 किलोग्राम) के साथ प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापित मदों की दर (₹ 5,320 प्रति क्युम) एम-70 (800 किलोग्राम) तथा एम-40 (650 किलोग्राम) की औसत दरों और अपेक्षित सीमेंट की प्रमात्रा में अंतर का मूल्य घटाकर ली गई।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि एम-55 ग्रेड कंकरीट हेतु अपेक्षित सीमेंट प्रमात्रा के अनुसार प्रमात्राओं के बिल में उपलब्ध निकटतम समान मदे ₹ 4,640 प्रति क्युम की दर पर एम-25 (450 किलोग्राम) थी और उक्त खण्ड के अनुसार प्रतिस्थापित मद एम-55 (500 किलोग्राम) की दरें एम-25 की दर से ली जानी अपेक्षित थी जिसमें ₹ 5.50 प्रति किलोग्राम (अनुबंध में प्रावधित) की दर पर सीमेंट प्रमात्रा में अंतर का मूल्य जोड़ा जाना था, जो ₹ 4,915 प्रति क्युम निकलता है। इसके परिणामस्वरूप जून 2014 में अदा किए गए 62वें चालू लेखा बिल तक 3,420.937 क्युम निष्पादन पर ₹ 13.85 लाख की अधिक अदायगी हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि एम-55 की दरें निकटतम कंकरीट मिश्रणों से ली गई थी तथा एम-55, एम-40 व एम-70 के मध्य आती हैं और दर को इन दो ग्रेडों की औसत को देखते हुए लिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम-55 ग्रेड हेतु सीमेंट की आवश्यकता 500 किलोग्राम थी जो एम-25 (450 किलोग्राम) के निकटतम थी इसलिए दरों को इससे लिया जाना चाहिए था न कि एम-40 (650 किलोग्राम) तथा एम-70 (800 किलोग्राम) से।

(iv) परिसमापन क्षतियों की अवसूली/अनुद्ग्रहण

(क) जुलाई 2011 की पूर्णता अवधि की शर्त पर जून 2007 के दौरान ठेकेदार¹⁶ को दी गई हैड रेस टनल पैकेज की संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 47 में अनुबद्ध है कि यदि ठेकेदार नियत समय में कार्य पूर्ण नहीं करता तो वह ऐसी चूक के लिए परिसमाप्त क्षतियों का भुगतान करेगा जो राशि कार्यों की पूर्णता में विलम्ब प्रत्येक सप्ताह अथवा सप्ताह के भाग हेतु संविदा

मूल्य के 0.5 प्रतिशत के समकक्ष होगा। कम्पनी को भुगतान योग्य परिसमाप्त क्षतियों की कुल राशि संविदा मूल्य की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2014) कि ठेकेदार कार्य को नियत अवधि के भीतर पूर्ण करने में विफल रहा तथा 31 मार्च 2014 तक का विस्तार समय (988 दिन) मांगा (अगस्त 2012)। विश्लेषण करने पर कम्पनी ने 440 दिनों का विलम्ब ठेकेदार पर डाला जिसके लिए सितम्बर 2012 के दौरान 10 प्रतिशत परिसमाप्त क्षतियों की सिफारिश की गई। वसूली हेतु निदेशक मण्डल के लम्बित निर्णय के होते हुए परिसमाप्त क्षतियों की वसूली किए बिना ठेकेदार से जनवरी 2014 में कार्य को निरस्त कर दिया गया। अब ठेकेदार से संविदा निरसनोपरांत ₹ 11.59 करोड़ की परिसमाप्त क्षतियों की वसूली की सम्भावना क्षीण थी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि संविदा प्रचलन के दौरान परिसमाप्त क्षतियों का उद्ग्रहण पूर्व प्रभावी पग होगा तथा कार्य के हित में नहीं है। अब चूंकि कार्य का निरसन कर दिया गया है, परिसमाप्त क्षतियां विवाचन प्रक्रिया की पूर्णता के पश्चात् ठेकेदार से वसूल कर ली जाएंगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ऐसी स्थिति से यदि संविदा निरस्त करने से पहले परिसमाप्त क्षतियों को समय पर ठेकेदार की बैंक गारंटी से अथवा उसके चालू बिलों से वसूल कर बचा जा सकता था।

(ख) इसी भांति ठेकेदार¹⁷ जून 2012 की अवधि में पूर्ण किए जाने वाले जनवरी 2009 और अगस्त 2009 में दिए गए विद्युत गृह तथा अपवर्तन बांध एवं अंतर्ग्रहण संरचना पैकेजों के कार्यों को पूर्ण करने में विफल रहा। कम्पनी ने परिसमाप्त क्षतियों का उद्ग्रहण किए बिना दोनों ठेकों में क्रमशः दिसम्बर 2013 व सितम्बर 2013 तक समय विस्तार अनुमत किया। संविदा के प्रावधानों (संविदाओं की सामान्य शर्त के खण्ड 8.7 के साथ पठित खण्ड 14.15 (ख)) के अनुसार ₹ 43.69 करोड़ की राशि की परिसमाप्त क्षतियों की वसूली के कम्पनी के अधिकार के पूर्वाग्रह बिना पूर्णतः अवधि पुनः सितम्बर 2014 तथा दिसम्बर 2014 तक अस्थायी रूप से बढ़ा दी गई थी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि परिसमाप्त क्षतियों की वसूली नहीं की गई थी क्योंकि यह कार्य की पूर्णता में बाधा पहुंचा सकती थी। तथापि, कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् परिसमाप्त क्षतियां विलम्ब के कारणों के निर्धारण पश्चात् ठेकेदार पर लगाई जाएंगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को अपने हितों की अभिरक्षा हेतु परिसमाप्त क्षतियों के उद्ग्रहणार्थ कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ठेकेदार तीन समय वृद्धियों के बावजूद कार्य पूर्ण करने में विफल रहा।

(v) ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाना

हैड रेस टनल तथा एडिट्स का निर्माण कार्य ठेकेदार¹⁸ को जुलाई 2011 की पूर्णता अवधि की शर्त पर प्राक्कलित लागत ₹ 154.60 करोड़ से 24.17 प्रतिशत कम ₹ 115.92 करोड़ में दिया

¹⁷ मैसर्ज पटेल इंजीनियरिंग सोमित

¹⁸ मैसर्ज अबान कोस्टल ज्वाइंट वेंचर

गया (जून 2007)। ठेकेदार आरम्भ (जून 2007) से ही अपेक्षित कार्य प्रगति प्राप्त करने में विफल रहा। कम्पनी ने कार्य निरसन के स्थान पर ठेकेदार को संविदात्मक प्रावधानों से ऊपर वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 29.53 करोड़ (अग्रिम, आपूर्तिकर्ताओं/मजदूरों को सीधे भुगतान) दिए। यद्यपि कम्पनी ने जून 2008 में कारण बताओ नोटिस जारी किया ताकि कार्य को तीसरी पार्टी के माध्यम से ठेकेदार के जोखिम व लागत पर करवाया जा सके, तथापि कार्य को वास्तव में जनवरी 2014 में निरस्त कर दिया गया था।

32 महीनों में पूर्ण किए जाने वाला शेष कार्य अभी तक (जुलाई 2014) नहीं दिया गया था यद्यपि अन्य घटक दिसम्बर 2014 तक तैयार होने की आशा है। समय पर संविदा निरसन तथा शेष कार्य को अन्य ठेकेदार को देने के निर्णय से कार्य दिसम्बर 2013 तक पूर्ण किया जा सकता था, पूर्णता हेतु 48 महीने (पुनर्निविदा व अधिनिर्णय हेतु 6 महीने सहित) मानकर जैसाकि पहले परिकल्पित था। यदि शेष कार्यों को अब दिया जाता है (अक्टूबर 2014) तो भी परियोजना को जुलाई 2017 से पहले चालू नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 2014 तक पूर्ण किए जाने वाले अपवर्तन बांध एवं अंतर्ग्रहण संरचना तथा विद्युत गृह कार्य को हैड रेस टनल की पूर्णता पश्चात् ही जांचा जा सकता था। दोनों कार्यों में दोष अधिसूचना अवधि कार्यों की पूर्णता पश्चात् बारह महीने थी। हैड रेस टनल की पूर्णता से पहले उन कार्यों की जांच सम्भव नहीं होती, अतः कम्पनी हैड रेस टनल की पूर्णता तक अवधि बढ़ाने के बिना अनुबंध के दोष दायित्व खण्ड के लाभ नहीं ले पाएगी।

अतः, कार्य निरसन में विलम्ब के कारण परियोजना की पूर्णता में व्यापक विलम्ब हुआ था तथा अपवर्तन बांध एवं अंतर्ग्रहण संरचना तथा विद्युत गृह पैकेजों की दोष दायित्व अवधि का लाभ भी नहीं मिल पाएगा।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि कार्य को पहली बार निरस्त नहीं किया गया था क्योंकि पुनः अधिनिर्णय की प्रक्रिया में बहुत समय लगता था तथा कम्पनी इस विलम्ब को रोकना चाहती थी।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी प्रत्याशित परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकी जिससे परियोजना की पूर्णता में विलम्ब हुआ।

विद्युत यांत्रिक कार्यों का अधिनिर्णय एवं कार्यान्वयन

2.9 परियोजना के विद्युत यांत्रिक कार्यों को ₹ 150.99 करोड़ की कुल लागत पर ठेकेदार¹⁹ को फरवरी 2009 में दिया गया था। इन कार्यों के अधिनिर्णय एवं कार्यान्वयन से सम्बंधित अभिलेखों की संविधा से ₹ 30.61 करोड़ के परिहार्य तथा अतिरिक्त व्यय के मामले उद्घाटित हुए जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

2.9.1 विद्युत यांत्रिक कार्यों का अधिनिर्णय

ठेकेदार को अधिनिर्णित विद्युत एवं यांत्रिक पैकेज के भाग-1 परिशिष्ट-2 की शर्त संख्या-3 में मूल्य समायोजनार्थ समुच्चय "संविदा मूल्य" की उच्चतम सीमा 20 प्रतिशत अनुबद्ध है। कम्पनी

¹⁹ मैसर्स एंड्रिज हाइड्रो प्राइवेट सीमित

ने उसी ठेकेदार को जल विद्युत परियोजना (काशंग जल विद्युत परियोजना) के विद्युत एवं यांत्रिक पैकेज का अधिनिर्णय (मार्च 2010) करते समय प्रत्येक खेप पर 20 प्रतिशत सीमा लगाई। इसी भांति, ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित ने भी भारत हैवी इलैक्ट्रिकल सीमित को प्रत्येक खेप पर 20 प्रतिशत सीमा के विचलन सीमा मूल्य सहित ऊहल-III जल विद्युत परियोजना हेतु विद्युत एवं यांत्रिक पैकेज (फरवरी 2007) का अधिनिर्णय किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि प्रत्येक मद पर मूल्य विचलन सीमा प्रतिबंध न लगाने से ठेकेदार ने ₹ 11.58 करोड़ लागत के 3 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति पर ₹ 11.11 करोड़ मूल्य विचलन का दावा किया। इसे ₹ 2.32 करोड़ तक सीमित किया जा सकता था यदि कम्पनी ने प्रत्येक खेप पर 20 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लगाई होती। इसके कारण ₹ 8.79 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि मूल सामग्री के मूल्य घातांकों में असामान्य वृद्धि के कारण तथा भारी सामग्री परिवहनार्थ आवश्यक संरचना की अनुपलब्धता के अतिरिक्त सिविल फ्रण्टों को सौंपने में विलम्ब के कारण ठेकेदार को उच्चतर मूल्य विचलन भुगतान लेने की स्थिति आई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसे बोली दस्तावेजों को बनाते समय प्रत्येक खेप पर मूल्य विचलन प्रतिबंधित करके रोका जा सकता था।

2.9.2 विद्युत यांत्रिक कार्यों का कार्यान्वयन

(i) सिविल फ्रण्टों को उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण दायित्वों का परिहार्य संचय

सहमति अनुसूचि के अनुसार (अगस्त 2010 तथा अक्टूबर 2011) कम्पनी द्वारा सिविल फ्रण्ट देरी से उपलब्ध करवाए जाने (416 दिनों तथा 1,088 दिनों के मध्य) के कारण ठेकेदार जून 2012 की अनुबद्ध पूर्णता अवधि के भीतर उत्सर्जन यूनटों (विद्युत एवं यांत्रिक पैकेज) को चालू नहीं कर पाया। विलम्ब के मुख्य कारण भारी तथा अधिक घेरे वाले उपकरण के परिवहनार्थ सड़क चौड़ी करने/पुराने पुलों को सुदृढ़ करने में विलम्ब थे। कम्पनी द्वारा सिविल फ्रण्टों को उपलब्ध करवाने हेतु संशोधित अनुसूचि के आधार पर जून 2014 तक तीन यूनटों को चालू करने की योजना थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि कम्पनी द्वारा सिविल फ्रण्टों को उपलब्ध करवाने में विलम्ब के कारण सामान्य संविदा शर्त के खण्ड 40.3 धारा-IV के अंतर्गत परियोजना अनुसूचि विस्तार के सम्बंध में ₹ 27.06 करोड़ का दायित्व संग्रहित हुआ। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कुल ₹ 27.06 करोड़ के दावे में से ₹ 10.48 करोड़ वारण्टी अवधि के विस्तार, बैंक गारण्टी तथा जून 2014 तक 24 महीनों हेतु मशीनरी के बीमा अच्छादन हेतु था। तथापि, ठेकेदार को भुगतान जारी नहीं (जुलाई 2014) किया गया था।

कम्पनी ने निर्धारित अवधि में पूर्णतः विकसित सिविल फ्रण्टों को उपलब्ध करवाने में विफलता तथा भारी उपकरण के परिवहन में विलम्ब को स्वीकार कर लिया (अक्टूबर 2012) तथा ठेकेदार

को दिसम्बर 2014 तक समय विस्तार अनुमत कर दिया। प्रबन्धन ने आगे बताया (अक्टूबर 2014) कि दावा विचाराधीन था और इसे संविदा प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ii) अधिक भुगतान के विलम्बित समायोजन पर ब्याज हानि

विद्युत एवं यांत्रिक पैकेज के दस्तावेज 3 ए के अध्याय 4 के खण्ड 4.1.2 के अनुसार 270 मीटर बस डक्ट का प्रावधान था। कम्पनी द्वारा कार्यस्थल के निरीक्षण पश्चात् 12 अक्टूबर 2012 को ठेकेदार को 270 मीटर सामग्री प्रेषण निकासी प्रमाण पत्र जारी किया गया। तथापि, ठेकेदार से प्राप्त उत्थापन की डॉयग्राम (25 अक्टूबर 2012) के पश्चात् बस डक्ट की लम्बाई 270 मीटर की जगह 173 मीटर पाई गई।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2014) कि सामग्री प्रेषण निकासी प्रमाणपत्र के आधार पर ठेकेदार ने सामग्री प्रेषण के प्रति 270 मीटर के मूल्य पर 60 प्रतिशत भुगतान अक्टूबर 2012 में वसूल कर लिया। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के अनुसार कुल मूल्य पर 15 प्रतिशत का अग्रिम मार्च 2009 के महीने में जारी किया गया जिसमें डक्ट का मूल्य सम्मिलित था। ठेकेदार को 270 मीटर पर मूल्य भिन्नता दावा भी अदा किया गया। ठेकेदार को 97 मीटर पर ₹ 87.91 लाख का अधिक भुगतान हुआ। तथापि, कम्पनी द्वारा बिना किसी ब्याज के ₹ 19.10 लाख फरवरी 2014 तथा ₹ 68.81 लाख मई 2014 में वसूल किए जा चुके हैं।

अतः, बिना समायोजन के अधिक भुगतान जारी करने के कारण ₹ 12.29 लाख²⁰ की ब्याज हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि सामग्रियों के प्रेषण/प्राप्ति की अधिक अथवा कम प्रमात्रा के लिए हस्त समायोजन सम्भव नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिक भुगतान को ठेकेदार को देय किसी अन्य भुगतान के प्रति समायोजित किया जा सकता था।

(iii) उपकरण के परिवहन में विलम्ब के कारण परिहार्य हानि

कम्पनी ने विद्युत यांत्रिक सामग्री की आपूर्ति हेतु ठेकेदार²¹ को आदेश दिया (फरवरी 2009)। सामग्री की आपूर्ति अगस्त 2011 तक की जानी थी जिसके लिए कुछ स्थानों पर सड़क/पुलों को छेला तथा परियोजना कार्यस्थल के मध्य सुदृढ़ किया जाना था। प्रेषण अनुदेशों के जारी होने के पश्चात् (नवम्बर 2010 व दिसम्बर 2011 के मध्य) ठेकेदार ने ₹ 34.82 करोड़ मूल्य की भारी मशीनरी की आपूर्ति की जो मार्च 2012 में चण्डीगढ़/परवाणु पहुंची। कम्पनी ने मशीनरी मूल्य के 75 प्रतिशत (15 प्रतिशत अनुबंध के समय तथा 60 प्रतिशत सामग्री प्रेषण के समय) का ₹ 26.11 करोड़ का भुगतान जारी किया। तथापि, इन उपकरणों का परियोजना कार्यस्थल तक कुछ स्थानों पर सड़क/पुलों के उन्नयन/सुदृढ़ न होने के कारण परिवहन नहीं किया जा सका और परवाणु व चण्डीगढ़ स्थित मालगौदामों में रखना पड़ा। कम्पनी को पट्टा किराया (मार्च 2012 से मार्च 2013), चढ़ाना/उतारना और उन्हें गोदाम में रखने की परिवहन लागत के प्रति ₹ 1.70 करोड़ का वहन करना पड़ा। सड़क का सुधार तथा पुलों को सुदृढ़ करने का अपेक्षित

²⁰ ₹ 19.10 लाख x 274 दिन x 10 प्रतिशत प्रति वर्ष + ₹ 68.81 लाख x 576 दिन x 10 प्रतिशत प्रति वर्ष
²¹ मैसर्ज एण्डीज हाईड्रो प्राईवेट लिमिटेड

कार्य कम्पनी द्वारा ₹ 65.21 लाख का व्यय करके ठेकेदार से मार्च व मई 2013 के मध्य करवाया गया। कार्यस्थल तक सामग्री का परिवहन दिसम्बर 2013 में पूर्ण किया गया।

अतः कम्पनी द्वारा समय पर सड़क सुधार तथा पुलों को सुदृढ़ करने की कार्रवाई में विफलता के कारण ₹ 1.70 करोड़ पट्टा किराया, निर्धारित पूर्णता अवधि पश्चात् उपकरणों को लगाने पर ₹ 4.12 करोड़ की मूल्य वृद्धि तथा 60 प्रतिशत भुगतान जारी करने पर ₹ 4.75 करोड़ की ब्याज हानि के अतिरिक्त मार्च 2012 से दिसम्बर 2013 तक की अवधि हेतु ₹ 26.11 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि मामला बहुविध विभागों के सम्मिलित होने तथा कम्पनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से प्रादुर्भूत हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को परियोजना कार्यस्थल तक इसकी परिवहन की सुनिश्चितता पश्चात् ही आपूर्ति आदेश देना चाहिए था।

श्रमशक्ति प्रबन्धन

2.10 परियोजना में श्रमशक्ति आवश्यकता की तुलना में वास्तव तैनाती के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नांकित उद्घाटित हुआ:

(i) संस्वीकृत संख्या से अधिक की स्टाफ तैनाती

स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों की संस्वीकृत संख्या की तुलना में वास्तविक तैनात श्रमशक्ति की संवीक्षा दर्शाती है कि कम्पनी ने अप्रैल 2008 से जून 2014 की अवधि के दौरान अधिक स्टाफ तैनात किया था जैसा कि परिशिष्ट-2.3 में दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान उपरोक्त स्टाफ को भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों के सम्बंध में ₹ 2.89 करोड़ की परियोजना लागत में परिहार्य वृद्धि हुई।

(ii) बिना आवश्यकता के स्टाफ की तैनाती

लेखापरीक्षा संवीक्षा यह भी दर्शाती है कि कम्पनी ने परियोजना कार्यस्थल पर सात फील्ड स्टाफ (मैसन, मिक्सर आप्रेटर तथा एयर कम्प्रेसर आप्रेटर) तैनात किए जबकि सभी कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे थे। उपरोक्त के अतिरिक्त, कम्पनी ने ऑटो कर्मशाला तथा भण्डार के बिना ही एक ऑटो सहायक और एक भण्डारपाल भी तैनात किए।

कम्पनी ने जनवरी 2006 से जून 2014 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.13 करोड़ खर्च किए जिसके कारण परियोजना लागत में ₹ 1.13 करोड़ की परिहार्य वृद्धि हुई।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2014) कि कुछ पद संस्वीकृत नहीं थे किन्तु विद्यमान स्टाफ की विभिन्न अन्य परियोजनाओं में लाभकारी तैनाती की गई और समग्र संस्वीकृत संख्या के भीतर श्रमशक्ति रखी गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि श्रमशक्ति की तैनाती श्रेणीवार संस्वीकृत संख्या/आवश्यकता के अनुसार की जानी चाहिए।

गुणवत्ता नियंत्रण

2.11 कार्यो के निरीक्षणार्थ तैनात सम्बंधित अभियन्ताओं द्वारा अनुश्रवण के अतिरिक्त कम्पनी ने परियोजना कार्यस्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष की स्थापना की थी ताकि कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। लेखापरीक्षा के दौरान (जुलाई 2014) निम्नांकित कमियां पाई गई:

(i) ओवर ब्रेकों के आधिक्य पर व्यय

हैड रेस टनल कार्यो के कार्यान्वयन के दौरान ठेकेदार हैड रेस टनल के अपेक्षित संरेखण को प्राप्त नहीं कर सका और सुरंग के ओवर्ट में ओवर ब्रेक 7.5 प्रतिशत की अनुमत सीमा (संविदा के तकनीकी विनिर्देशन के खण्ड 6.5 (iv)) से अधिक पाई गई। प्रारम्भिक चरणों में ओवर ब्रेक 20 प्रतिशत तक थी। इसी भांति सुरंग के इनवर्ट में अण्डरकट (अदा नहीं किए गए) पाए गए और परिणामतः सुरंग की अपेक्षित ढलान प्राप्त नहीं की जा सकी जिसे परिशोधन की आवश्यकता थी। उपरोक्त खण्ड के अनुसार, यदि किसी कारण हेतु, स्वीकार्य भूगोलीय कारणों के अतिरिक्त, उत्खनन पे लाईन से बाहर की गई तो ठेकेदार अपनी स्वयं की लागत पर अधिक सामग्री को हटाने और रिक्तियों के बैकफिल का उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि ओवर ब्रेक के आधिक्य का कारण ठेकेदार की निकृष्ट कारीगीरी के साथ हैड रेस टनल के उत्खनन के दौरान नामित स्टाफ द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण था। ठेकेदार ने रिक्तियों के बैकफिल के स्थान पर जनवरी 2014 में कार्य के निरसन से पूर्व निश्चित पहुंचों में स्थानों को भरे बिना छोड़ दिया। इसके कारण अधिनिर्णित की जाने वाली हैड रेस टनल के शेष कार्य हेतु प्रमात्रा के बिल में सम्मिलित कंकरीट लाईनिंग की प्रमात्राएं खुली लाईनिंग हेतु 25,340 क्यूम तक बढ़ी। इन अतिरिक्त प्रमात्राओं के कार्यान्वयनार्थ कम्पनी को ₹ 19.74 करोड़²² की अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि अब सभी कार्य ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर करवाए जायेंगे।

(ii) अवमानक कार्य का परिशोधन न होना

परियोजना परामर्शदाता²³ ने जनवरी 2011 में प्रस्तुत कार्यस्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में कम/अधिक कंकरीट कवर अथवा क्षतिग्रस्त जल ठहराव सीलें जैसे बांध एवं अंतर्ग्रहण के कुछ कार्यो की गुणवत्ता में कुछ कमियां इंगित की थी जो परियोजना की दीर्घावधि को प्रभावित कर सकती थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2014) कि ठेकेदार ने संविदा की शर्तों के अनुसार (दस्तावेज II की सामान्य शर्त के खण्ड 4.9) इन कमियों को परिशोधित नहीं किया था जो परामर्शदाता द्वारा अप्रैल 2014 में प्रस्तुत परियोजना निष्पादन अनुश्रवण प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है। तीन वर्षों के भीतर परामर्शदाता द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर न करने से कार्य की गुणवत्ता के प्रति गंभीरता की कमी प्रदर्शित होती थी।

²² उसी कार्य के लिए कम्पनी द्वारा विश्लेषित दरों के आधार पर परिकलित

²³ लेहमेयर इंटरनेशनल (इंडिया) सीमित

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि परामर्शदाता फर्म द्वारा बताई गई सभी कमियां दूर कर ली गई हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा को उसके दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिए गए थे।

पर्यावरणीय मामले

2.12 परामर्शदाता को परिहार्य भुगतान

कम्पनी ने सावड़ा-कुड़ू जल विद्युत परियोजना के सम्बंध में कार्बन क्रेडिट विक्रय हेतु अपेक्षित प्रलेखन एवं विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए परामर्शदाता²⁴ की सेवाएं प्राप्त की (दिसम्बर 2007) जिसमें परियोजना संकल्पना टिप्पणी तथा परियोजना प्रारूप प्रलेख सम्मिलित थे। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यकारी बोर्ड/जलवायु नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सम्मेलन सहित परियोजना कार्यकलापों के पंजीकरण के साथ-साथ वैधता के प्रति सारा व्यय जेनिथ एनर्जी सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन किया जाना था, जिसके लिए वे पहले तीन वर्षों के परिचालन के दौरान उत्पादित 10 प्रतिशत प्रमाणित उत्सर्जन कटौती के हकदार थे। परामर्शदाता परियोजना के जलवायु नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के साथ पंजीकरण तक स्वच्छ विकास तंत्र परियोजना चक्र हेतु उत्तरदायी था। परामर्शदाता के अनुरोध पर कम्पनी ने दिसम्बर 2012 के दौरान उसकी ओर से जलवायु नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को ₹ 28.24 लाख की पंजीकरण फीस का भुगतान किया। इस भुगतान को परामर्शदाता को ब्याज युक्त अग्रिम के रूप में वार्षिक 12.25 प्रतिशत मिश्रित की दर पर दिया गया। आगे अनुबंध की शर्त संख्या 3 में परामर्शदाता को ₹ 30.00 लाख की प्रतिपूर्ती का भुगतान करना नियत है यदि परियोजना चालू करने में दो वर्षों से आगे का विलम्ब होता है अथवा किसी अन्य कारण से परियोजना कार्यान्वयन बंद होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2014) कि परामर्शदाता की सेवाएं प्राप्त करने पर किया गया ₹ 30.00 लाख का सारा व्यय परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण निष्फल रहा क्योंकि कम्पनी को परियोजना की पूर्णता पर प्रमाणित उत्सर्जन कटौती विक्रय हेतु वही प्रक्रिया दोहराने के लिए पुनः परामर्शदाता को लगाना होगा।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि परामर्शदाता के प्रतिपूर्ती भुगतान को ठेकेदार के प्रति दायर किए जा रहे प्रतिदावे में सम्मिलित किया जाएगा।

संचारण लाईन की अपूर्णता

2.13 इस परियोजना द्वारा उत्पादित की जाने वाली विद्युत के निष्क्रमणार्थ कम्पनी ने अगस्त 2011 में हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित के पास ₹ 6.47 करोड़ जमा करवाए। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित द्वारा संचारण लाईन तथा सहायक कार्यों के निर्माण का काम सितम्बर 2012 तथा अक्टूबर 2013 के मध्य दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2014) कि अधिनिर्णयानुसार संचारण लाईनों की पूर्णता अवधि अनुसूची जून 2015 थी। वन विभाग की अनुमति के कारण अधिनिर्णित सभी कार्यों की प्रत्यक्ष

²⁴ मैसर्ज जेनिथ एनर्जी सर्विसिज प्राइवेट सीमित

प्रगति जुलाई 2014 तक शून्य थी। कम्पनी कार्य प्रगति का अनुश्रवण नहीं कर रही थी तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित से महीनेवार प्रगति की मांग भी नहीं की। अतः, कार्यों को आरम्भ करने के लिए अपेक्षित आवश्यक समाशोधनों को सुनिश्चित किए बिना अगस्त 2011 में ₹ 6.47 करोड़ के भुगतान के कारण अगस्त 2011 से मई 2014 तक ₹ 1.83 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि राशि को परियोजना से लाईन की आनुपातिक पूर्णता को जमा करवाया गया था तथा इस धारणा से नहीं रोका जा सका कि परियोजना में विलम्ब होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को आवश्यक समाशोधनों के पश्चात् ही राशि जमा करवानी चाहिए थी जिससे उधार निधियों का अवरोधन रोका जा सकता।

निष्कर्ष

मार्च 2012 में चालू किए जाने हेतु अनुसूचित परियोजना को पूर्ण नहीं किया जा सका तथा अब जुलाई 2017 तक चालू की जानी अपेक्षित है। पूर्णता में असामान्य विलम्ब से परियोजना की लागत ₹ 558.53 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,165.10 करोड़ हो गई। बोली प्रलेखों को बनाते हुए मानक संविदा खण्डों/प्रक्रियाओं तथा उपयुक्त खण्डों को न अपनाना, परिष्कार में उत्तरवर्ती परिवर्तन और ठेकेदारों द्वारा खराब कारीगरी आदि के कारण लागत वृद्धि हुई। विभिन्न सिविल संविदाओं को अधिनिर्णित एवं कार्यान्वित करते हुए कम्पनी ने विभिन्न संविदात्मक प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को परिहार्य भुगतान हुए। विलम्ब के मुख्य कारणों में ठेकेदार को सिविल फ्रण्टों को न सौंपना तथा दोषी ठेकेदार से कार्य के निरसन में विलम्ब थे। संविदा के निरसन में विलम्ब से जल विद्युत परियोजना को चालू करने में अनुवर्ती विलम्ब होगा। ठेकेदारों के कार्यों के अनुश्रवण में भी कम्पनी विफल रही। समग्रतः, सभी स्तरों पर निरीक्षण, नियंत्रण व सतत अनुश्रवण बनाए रखने की महतर आवश्यकता थी।


सिफारिशें

कम्पनी को ध्यान देना होगा:

- (i) संविदा खण्डों/दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करना;
- (ii) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के दौरान सिविल एवं विद्युत यांत्रिक कार्यों की समकालिक सुनिश्चितता ताकि निर्माण कार्यकलापों में बेमेल के कारण विलम्ब तथा अनुवर्ती वित्तीय हानियों को रोका जा सके; और
- (iii) अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ करना ताकि ठेकेदारों द्वारा निकृष्ट कारीगरी/अव-मानक कार्य को रोका जा सके और समय पर कार्रवाई की जा सके।

उपरोक्त बिन्दु राज्य सरकार को अगस्त 2014 में सूचित किए गए थे; उनका उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2014) था।

अध्याय-III
लेन-देन की लेखापरीक्षा



अध्याय-III लेन-देन की लेखापरीक्षा

राज्य सरकार की कम्पनियों/निगमों द्वारा किए गए लेन-देन की नमूना जांच से निकले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं।

सरकारी कम्पनियां

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित

3.1 राज्य इमदादी स्कीम के अंतर्गत खाद्य मदों का प्रापण एवं वितरण

कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के प्रति खुदरा दुकानों/डिपो को खाद्य मदों की कम प्रमात्रा वितरित की। ₹ 14.48 करोड़ मूल्य की खाद्य मदों (अप्रैल 2011 से मार्च 2014) के नमूने जांच में खराब पाए गए तथा प्रतिवेदन तीन से चार महीनों के विलम्ब से प्राप्त हुए। कम्पनी द्वारा दावों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के साथ राज्य सरकार द्वारा भुगतान जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से मार्च 2014 के दौरान कम्पनी को ₹ 8.80 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

3.1.1 परिचय

राज्य सरकार ने प्रथम अप्रैल 2007 से उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ को बढ़ाया। स्कीम के अंतर्गत, दालें, खाद्य तेल व आयोडाइज्ड नमक की सभी राशन कार्ड धारकों को निर्धारित परिमाणानुसार¹ इमदाद लागत पर आपूर्ति की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत खाद्य मदों का आवंटन प्रत्येक मास हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (कम्पनी) को निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला द्वारा निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले के पास पंजीकृत राशन कार्डों के आधार पर किया जाता है। आवंटित मदों का प्रापण कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को वितरणार्थ उचित मूल्य की दुकानों को किया जा रहा है। कम्पनी को प्रापण लागत तथा बिक्री लाभ के मध्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने कम्पनी के निगम कार्यालय, सात में से चार² क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कम्पनी की कुल 111 खुदरा दुकानों (चयनित यादृच्छिक) में से 15 दुकानों³ की 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान की नमूना जांच के माध्यम से फरवरी से अप्रैल 2014 के मध्य कम्पनी द्वारा कार्यान्वयन राज्य इमदादी स्कीम, 2007 की संवीक्षा की।

3.1.2 लेखापरीक्षा परिणाम

3.1.2.1 इमदादी मदों का आवंटन

धर्मशाला, मण्डी तथा शिमला के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कम्पनी की 15 खुदरा दुकानों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कम्पनी ने खुदरा दुकानों/डिपों को

¹ दो परिवार सदस्य: एक किलो ग्राम दाल, एक लीटर खाद्यन तेल तथा एक किलो ग्राम नमक; तीन और चार परिवार सदस्य: दो किलो ग्राम दाल, दो लीटर खाद्यन तेल तथा एक किलो ग्राम नमक; जबकि पांच और अधिक परिवार सदस्य: तीन किलो ग्राम दाल, दो लीटर खाद्यन तेल तथा एक किलो ग्राम नमक।

² भट्टाकुफर, सोलन, धर्मशाला और मण्डी।

³ कोतवाली बाजार, सिविल लाईज, शामनगर, ब्राकंहस्ट, कसुम्पटी, संजौली, छोटा शिमला, सलापड़, सालगी, कुनू, मण्डी, चतरोखड़ी, गोपालपुर, लड़भडोल और टिहरा।

1,228 क्वीटल (8.23 प्रतिशत) दालें, 1,26,478 लीटर (9.15 प्रतिशत) खाद्य तेल तथा 903 क्वीटल (17.24 प्रतिशत) आयोडाइज्ड नमक की कम आपूर्ति की। अतः, कम्पनी द्वारा खुदरा दुकानों/डिपो को राज्य सरकार द्वारा आवंटन के प्रति कम वितरण किया गया।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि जारी करने के आदेश निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा उनके पास पंजीकृत राशन कार्ड की संख्या के आधार पर दिए जाते हैं किन्तु खुदरा दुकानों द्वारा उनके पास महीने के अंतिम दिन विद्यमान स्टॉक को ध्यान में रखकर उठवाने का कार्य किया जाता है।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि खुदरा दुकानों द्वारा मासिक फीडबैक को अपने पास उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखने के पश्चात निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसलिए कम्पनी को कड़ाई से आवंटन के अनुसार खरीद को किया जाना चाहिए।

3.1.2.2 अव-मानक मदों की खरीद/वितरण

खाद्य मदों की आपूर्ति हेतु खरीद आदेशों की शर्तों एवं निबन्धनों में प्रावधान है कि आपूर्तिकर्ता को सुनिश्चित करना होगा कि आपूर्ति विदेश मामले, कीट क्षति एवं अन्य पैरामीटरों के सम्बंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके नीचे के विनियमों के अधीन निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार थी। यदि आपूर्ति की मदें अनुमोदित नमूनों के अनुसार नहीं पाई जाती तो आपूर्तिकर्ताओं से एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी लागत पर मदों को बदलना अपेक्षित था और उनकी बिक्री के कारण न बदलने के मामले में 20 प्रतिशत शास्ति आपूर्तिकर्ताओं से वसूली योग्य थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2010 से 2014 के दौरान ₹ 14.48 करोड़⁴ मूल्य के दालों (22,296 क्वीटल), सरसों/रिफाईड तेल (2,50,213 लीटर) तथा आयोडाइज्ड नमक (12,568 क्वीटल) के नमूने जांच में खराब निकले। इसमें ₹ 1.77 करोड़ मूल्य की 3,309 क्वीटल दालों की आपूर्ति सम्मिलित है जिसमें 2 से 290 प्रति नमूने के मध्य कीट (जीवित एवं मृत) पाए गए। इन नमूनों के जांच प्रतिवेदन तीन तथा चार महीने के मध्य के विलम्ब पश्चात प्राप्त हुए, तब तक सारी खेपों को बिना बदले उपभोक्ताओं के बीच वितरित किया जा चुका था। तथापि, कम्पनी ने सम्बंधित आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 2.90 करोड़ की शास्ति वसूल की जिसे राज्य सरकार को प्रत्यर्पित नहीं किया गया।

अतः कम्पनी की अव-मानक मदों को बदलवाने में विफलता के कारण न केवल आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया अपितु उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ उनको अव-मानक मदें वितरित करके समझौता भी किया गया।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि दालों की आपूर्ति यूनियों द्वारा उनको दृष्टतया स्टॉक निरीक्षण पश्चात उपलब्ध अनुमोदित नमूनों के अनुसार प्राप्त की जाती है और प्रतिवेदन प्राप्त होने तक बिक्री रोकने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। शास्ति राशि को सरकारी लेखे में प्रत्यर्पित करने का मामला विचाराधीन था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को वितरण से पूर्व जांच प्रतिवेदनों को प्राप्त करना चाहिए था, जिससे अव-मानक आपूर्ति को बदला जा सकता था।

⁴ (दालें: ₹ 11.96 करोड़; खाद्य तेल: ₹ 1.86 करोड़; आयोडाइज्ड नमक: ₹ 0.66 करोड़)

3.1.2.3 आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ

अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान 11 आपूर्तिकर्ताओं ने ₹ 5.59 करोड़ मूल्य की 11,198 क्वीटल दालों की आपूर्ति की। इन आपूर्तिकर्ताओं को उनकी पूर्व आपूर्ति निरीक्षणों में खराब निकलने के बावजूद बारम्बार आपूर्ति आदेश दिए गए। कम्पनी के पास नियमित रूप से उन फर्मों की पहचान हेतु जिनकी आपूर्तियां निरीक्षणों में खराब निकली, कोई तन्त्र नहीं है जिससे उन्हें निकाला/काली-सूचि में डाला जा सके। अतः, कम्पनी इन आपूर्तिकर्ताओं को अव-मानक खाद्य मदों हेतु बारम्बार खरीद आदेश देकर निरन्तर अनुचित लाभ पहुंचाती रही।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि अव-मानक प्रमात्राओं के न बदलने के मामले में आपूर्तिकर्ताओं से खेप मूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर की शास्ति वसूल कर ली गई थी। जहां तक फर्मों को काली-सूचि में डालने का सम्बन्ध है, काली-सूचि में डालना अच्छा हल नहीं है क्योंकि इससे भविष्य की निविदाओं की प्रतिस्पर्धा कम रह जाती है।

सरकार का उत्तर 20 प्रतिशत शास्ति के भुगतान पर अव-मानक मदों की बारम्बार आपूर्ति की प्राप्ति को सिद्ध करता है जिसे प्रत्येक दोषी स्वीकार करना पसंद करेगा।

3.1.3 इमदादी मदों का वितरण

3.1.3.1 दालों के दीर्घावधि भण्डारण से हानि

आपूर्ति आदेश की शर्तों एवं निबन्धनों में प्रावधान है कि दालों की गुणवत्ता पैकिंग की तिथि से चार महिनो हेतु वही रहनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2014) कि ₹ 5.56 लाख⁵ मूल्य का दालों (चना व उड़द) का स्टॉक कम्पनी के थोक गोदामों में विगत दो से छः वर्षों तक पड़ा हुआ था। अभिलेखों की संवीक्षा आगे यह भी दर्शाती है कि क्षेत्र में इन दालों की मांग नहीं थी जिसके कारण इनका वितरण नहीं किया जा सका। कम्पनी ने उसे राज्य के अन्य क्षेत्रों में अंतरण/अपवर्तन के प्रयत्न नहीं किए। परिणामतः ₹ 5.56 लाख का पूरा स्टॉक दीर्घ भण्डारण के कारण मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त हो गया।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि उक्त स्टॉक जनजातीय एवं बर्फ से ढके क्षेत्रों में पड़ा हुआ था इसलिए यह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त था और अक्टूबर 2014 से आगे वितरित किया जाएगा।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दालों पैकिंग तिथि से चार महिनो तक ही उपयोग हेतु उपयुक्त होती हैं। इसलिए विगत 2 से 6 वर्षों हेतु पड़ा हुआ स्टॉक वितरणार्थ उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

3.1.3.2 प्रतिदर्श की जांच पर परिहार्य व्यय

कम्पनी ने पर्याप्त एवं समय पर जांच सुविधाओं को उपलब्ध करवाने हेतु पांच प्रयोगशालाओं को सूचिबद्ध किया (अक्टूबर 2013)। एकमात्र मूल्यांकन मापदण्ड जांच तथा अशंशोधन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र थे। विभिन्न सामग्रियों के प्रतिदर्शों की जांच हेतु दरे आमंत्रित करने वाली अधिसूचना में कोई अन्य मूल्यांकन मापदण्ड उल्लिखित नहीं था। कम्पनी ने प्रति नमूना जांच हेतु दालों के ₹ 1,500 तथा ₹ 9,450 के मध्य,

⁵ ₹ 0.64 लाख के मूल्य का 23.30 क्वीटल दाल चना (थोक गोदाम काजा: 21.30 क्वीटल तथा टिक्कर: 2.00 क्वीटल) और ₹ 4.92 लाख के मूल्य की 113.90 क्वीटल उड़द (थोक गोदाम: साच: 50.29 क्वीटल; कुमार: 15.25 क्वीटल, साहली-24.22 क्वीटल तथा सैचू-24.14 क्वीटल)

रिफाईंड/सरसों तेल ₹ 2,300 से ₹ 9,450 के मध्य और आयोडाइज्ड नमक ₹ 2,500 तथा ₹ 11,250 की दरें अनुमोदित की।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल 2014) में पाया गया कि दरें आमंत्रित करने वाली अधिसूचना में कोई मापदण्ड नहीं था। इसके अतिरिक्त, पार्टियों से निम्नतम उद्धृत दरें मिलाने के लिए नहीं कहा गया था। पांच प्रयोगशालाओं की उद्धृत दरें अन्तिम रूप से स्वीकार की गई थी। आगे, इन प्रयोगशालाओं को प्रतिदर्श प्रेषित करते समय निम्नतम दरों पर विचार नहीं किया गया था और दरों पर विचार किये बिना प्रतिदर्श जांच के लिए भेजे गए थे। सूचिबद्ध प्रयोगशालाओं की न्यूनतम दरों के साथ प्रयोगशालाओं को भुगतान की गई दरों की तुलना पर नवम्बर 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान 775 नमूनों की जांच पर ₹ 18.86 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ जो **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

यह देखा जा सकता है कि केवल 32.78 प्रतिशत दालों, 30.07 प्रतिशत तेल, 42.17 प्रतिशत आयोडाइज्ड नमक तथा 8.26 प्रतिशत अन्य मदों के नमूने एल-1 दरों पर विश्लेषित किए गए थे। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को मदों के वितरण पश्चात प्रतिवेदनों को अभी तक प्राप्त किया जा रहा था। अतः, निजी प्रयोगशालाओं को नियुक्त करने के पश्चात भी खाद्य मदों का वितरण करने से पूर्व जांच प्रतिवेदनों को प्राप्त करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि प्रयोगशाला चयनार्थ एल-1 को एकमात्र कसौटी के रूप में नहीं लिया जा रहा था क्योंकि इससे तंत्र स्थापना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। लेखापरीक्षा की टिप्पणियों की सराहना करते हुए सरकार ने यह भी कहा कि नमूना प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों के भीतर प्रतिवेदनों को भेजने तथा विलम्ब के प्रत्येक सप्ताह हेतु 2 प्रतिशत जांच प्रभारों की कटौती सम्बन्धी प्रावधानों को सितम्बर 2014 से अगस्त 2015 के वर्ष हेतु सम्मिलित किया जा चुका था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को दरों तथा एल-1 दरों के उद्धरण देने वाली प्रयोगशाला को दिये गए वस्तु आपूर्ति आदेश विश्लेषित करने चाहिए थे अथवा प्रयोगशालाओं को निम्नतम उद्धृत दरों से मिलाने के लिए कहना चाहिए था। एल-1 दरों पर जांच किये जाने में असफलता के परिणाम स्वरूप ₹ 18.86 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। आगे, तंत्र की स्थापना के बावजूद इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि जांच प्रतिवेदनों की प्राप्ति के पश्चात ही खाद्य मदें संवितरित की जाएंगी।

3.1.4 राज्य इमदादी स्कीम के कार्यान्वयन में हानि

3.1.4.1 निविदा लागत के अल्प दावे के कारण हानि

निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की सिफारिश पर सरकार ने स्कीम के अंतर्गत खाद्य मदों के प्रापण पर निविदा लागत को ₹ 1.00 करोड़ प्रति वर्ष प्रतिबंधित (दिसम्बर 2007) कर दिया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल 2014) में पाया गया कि कम्पनी ने ₹ 7.00 करोड़ की अनुमत राशि के प्रति केवल ₹ 41.00 लाख (2007-08 से 2013-14) का दावा किया, परिणामतः ₹ 6.59 करोड़ का अल्प दावा किया गया।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि सभी पक्ष-विपक्ष पर उचित विचार के पश्चात एक करोड़ की सीमा शर्त पर ही निविदा लागत प्रतिपूर्ति को अनुमत किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित (दिसम्बर 2007) निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की सिफारिशों (नवम्बर 2007) में निविदा भरने के सम्बन्ध में अन्य खर्च सम्मिलित थे जो कम्पनी द्वारा दावा किए जाने चाहिए।

3.1.4.2 इमदादी दावों के निपटान में विलम्ब से ब्याज हानि

निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की समिति के सिफारिशों (अक्टूबर 2009) के अनुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को निधियों का आवंटन महीने के तीसरे सप्ताह को अथवा पहले सुनिश्चित करना था जिससे कम्पनी को प्रत्येक महीने की 30 तारीख से पहले निधियां जारी की जा सके। इसी भांति, कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रत्येक महीने की 30 तारीख से पहले भुगतानार्थ महीने की 22 तारीख से पहले मासिक प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करना होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2014) दर्शाती है कि यद्यपि कम्पनी इमदादी दावों को मासिक आधार पर बनाती है तथापि दावों को राज्य सरकार को आगामी महीने प्रस्तुत नहीं करती। दावों को पूर्व महिने हेतु बनाने/प्रस्तुत करने का एक महीना अनुमत करने के पश्चात भी इमदादी दावों को प्रस्तुत करने में दो से 71 दिनों के मध्य का विलम्ब हुआ। कम्पनी के पक्ष पर इमदादी दावों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ₹ 1.67 करोड़⁶ की ब्याज हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भी इन इमदादी दावों के प्रति भुगतान करने में विलम्ब किया। कम्पनी द्वारा मासिक दावों को प्रस्तुत करने के पश्चात भुगतान जारी करने में ₹ 7.13 करोड़ की अनुवर्ती ब्याज हानि सहित 5 से 128 दिनों के मध्य का सरकारी विलम्ब हुआ।

अतः, राज्य इमदादी स्कीम के कार्यान्वयन पर किए गए व्यय के सम्बंध में कम्पनी द्वारा भुगतानों की विलम्ब से प्राप्ति के कारण अप्रैल 2010 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ₹ 8.80 करोड़ की कुल ब्याज हानि हुई।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि कम्पनी ने इमदादी दावों को यथा सम्भव शीघ्र प्रस्तुत किया किन्तु किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियोंवश कुछ विलम्ब हुआ। जहां तक सरकार से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब का प्रश्न है तो यह कहा गया कि कम्पनी बजट की अनुपलब्धता के कारण भुगतान प्राप्त नहीं कर सकी।

3.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से अधिक वसूली

फरवरी 2010 से खाद्यान्नों के परिवहन पर सेवा कर छूट के शीघ्र पश्चात लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों की जारी दरों को कम न करने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से ₹1.00 करोड़ की अधिक वसूली की गई।

भारत सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को चावल तथा गेहूं उपलब्ध करवाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (कम्पनी) के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनवरी 2007 में गेहूं (₹525 प्रति क्वींटल) तथा चावल (₹685 प्रति क्वींटल) की जारी दर को निर्धारित करते समय राज्य सरकार ने खाद्यान्नों के परिवहन पर यथा प्रयोज्य 3.06 प्रतिशत की दर पर सेवा कर लगाया। उचित मूल्य की दुकान तक परिवहन प्रभार ₹60 प्रति क्वींटल नियत किए गए। इन दरों को तब से संशोधित नहीं किया गया

⁶ ब्याज हानि 8.5 प्रतिशत वार्षिक की औसत दर पर संगणित की गई जिस पर कम्पनी ने आवधिक जमा में अपनी अधिशेष निधियों का निवेश किया।

है। फरवरी 2010 में जारी अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार ने सेवा कर भुगतान से खाद्य छूट सूची में खाद्यान्नों को सम्मिलित कर लिया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2014) में पाया गया कि कम्पनी ने फरवरी 2010 में भारत सरकार द्वारा जारी छूट अधिसूचना के पश्चात दरों को कम नहीं किया जिससे उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दिया जा सकता और उनसे निरन्तर इस सेवा कर घटक को वसूल किया जा रहा था। छूट अधिसूचना जारी होने के पश्चात कम्पनी ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि हेतु ₹32.68 करोड़⁷ के परिवहन प्रभारों की वसूली द्वारा 54,47,063 क्वींटल चावल व गेहूं को वितरित किया। इन परिवहन प्रभारों पर कम्पनी ने गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं से ₹1.00 करोड़⁸ की सेवा कर राशि भी वसूल की। कम्पनी ने इस सेवा कर राशि को कर प्राधिकारियों के पास जमा नहीं करवाया और गलत रूप से इसकी आय में गणना की।

अतः, कम्पनी का सेवा कर छूट पश्चात जारी दरों को कम न करने से राज्य के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने के अतिरिक्त शास्ति दायित्व भी था जो कर प्राधिकारी मार्च 2010 से वसूल किए गए सेवा कर जमा नहीं करवाने हेतु वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V की धारा 75 व 76 के साथ पठित धारा 73 क (2) अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधान के अनुसार लगा सकते हैं।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि उपरोक्त ₹1.00 करोड़ की राशि मई 2014 में कर प्राधिकारियों के पास जमा करवा दी गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी ने अभी तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जारी दरों को संशोधित नहीं किया था जिससे उन्हें सेवा कर छूट का लाभ मिलता।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित

3.3 निर्धारित मांग प्रभारों की अवसूली से हानि

विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 के प्रावधानों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.90 करोड़ के निश्चित मांग प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता, 2009 (मई 2009 से लागू) के अध्याय 3 (खण्ड 3.9) में अनुबद्ध है कि उच्च वेग/अतिरिक्त उच्च वेग आपूर्ति के मामले में, जहां लाइसेंस धारक ने आवेदक को विद्युत आपूर्ति के लिए अपेक्षित कार्य पूर्ण कर लिया है किन्तु आवेदक विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने को तैयार नहीं अथवा विलम्ब करता है या पूर्ण अनुबद्ध मांग का उपयोग नहीं करता, लाइसेंस धारक साठ दिनों के नोटिस पश्चात अनुपातिक आधार पर संविदा शुल्क दर आदेश के अनुसार स्वीकृत संविदा मांग पर निर्धारित/मांग प्रभारों को प्रभारित करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2012 तथा दिसम्बर 2013 के मध्य) कि 39 मामलों में यद्यपि कम्पनी ने आवेदकों को अपेक्षित विद्युत आपूर्ति हेतु कार्यों को पूर्ण कर लिया था किन्तु कम्पनी के फील्ड यूनिट उपभोक्ताओं को अपेक्षित कार्यों की पूर्णता/अपेक्षित भार की तत्काल आपूर्ति

⁷ परिवहन प्रभार 54,47,063 क्वींटल × ₹60 प्रति क्वींटल = ₹32.68 करोड़

⁸ सेवा कर ₹32.68 करोड़ × 3.06 प्रतिशत = ₹1.00 करोड़

सम्बंधी नोटिस विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार सूचित/जारी करने में विफल रहे। ऐसे नोटिस जारी न करने के कारण कम्पनी सम्बंधित शुल्क दर आदेशों के अनुसार निर्धारित मांग प्रभारों को वसूल नहीं कर सकी। अतः उपभोक्ताओं को नोटिस जारी/सूचित करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप फरवरी 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान (नोटिस की 60 दिनों की अनुमत अवधि पश्चात) ₹1.90 करोड़ के निर्धारित मांग प्रभारों की वसूली नहीं हुई जिसका ब्यौरा परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है।

विद्युत मण्डल, मंडी ने उत्तर में बताया (जुलाई 2012) कि पांच उपभोक्ताओं के लेखों में विविध प्रभार पंजिका के माध्यम से ₹21.08 लाख डाल दिए गए हैं किन्तु वास्तविक वसूली अभी तक प्रतीक्षित थी बाकि उपभोक्ताओं के बारे, उत्तर/अनुपालना अभी भी प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

मामला सरकार को अप्रैल 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

3.4 कार्य प्रभारित स्टॉफ पर निष्फल व्यय

सतलुज जल विद्युत निगम सीमित में प्रतिनियुक्ति से दैनिक-भोगी कामगारों को वापस बुलाने अथवा उन्हें कार्य प्रभारित संवर्ग पर उन्नयन पश्चात उनकी प्रतिनियुक्ति शर्तें एवं निबन्धनों के व्यवस्थापन में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की विफलता के कारण ₹1.77 करोड़ का भुगतान निष्फल रहा।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने 1990-91 से, अर्थात् सतलुज जल विद्युत निगम सीमित को परियोजना के अंतरण से पूर्व, नाथपा झाकड़ी जलविद्युत परियोजना के निर्माण पर दैनिक भोगी कामगारों को तैनात किया। राज्य सरकार द्वारा परियोजना को सतलुज जल विद्युत निगम सीमित को अंतरण पश्चात इन दैनिक-भोगी कामगारों को दोनों संगठनों के मध्य सहमति के आधार पर रोके रखा तथा निक्षेप कार्य के प्रति समायोजित किया गया।

तद्नन्तर, राज्य सरकार की नीति के अनुशीलन में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड इन कामगारों को दिसम्बर 1997 तथा अक्टूबर 2000 के मध्य कार्य प्रभारित संवर्ग में लाया। किन्तु सतलुज जल विद्युत निगम सीमित प्राधिकारियों ने कार्य प्रभारित संवर्ग को उनके उन्नयन के परिणामस्वरूप वृद्धि प्रभाव को वहन करने से मना कर दिया और राज्य सरकार के हस्तक्षेप (अगस्त 2000) के पश्चात सतलुज जल विद्युत निगम सीमित इस शर्त पर उन्हें (64 कामगार) रखने को सहमत हो गया कि वेतन वृद्धि दरों के सम्बन्ध में अंतरीय राशि का वहन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड उपरोक्त वेतन अंतर के भुगतान को सतलुज जल विद्युत निगम सीमित द्वारा उठाए गए मासिक बिलों के प्रति निपटाने को सहमत (जनवरी 2001) हो गया।

तथापि सतलुज जल विद्युत निगम सीमित प्राधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के नियमित गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को अप्रैल 2001 से सामान्य प्रतिनियुक्ति की शर्तें एवं निबन्धन पर समायोजन की नीति आरम्भ की (मार्च 2002) बशर्तें सैकेंडमेंट आधार पर उनके निरन्तर बने रहने का विकल्प हो। निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति हेतु विकल्प न देने वाले कर्मचारियों को वापस बुलाया जाना था। इसके पश्चात रामपुर जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयनार्थ राज्य सरकार और सतलुज जल विद्युत निगम सीमित के मध्य अनुबन्ध किया गया (अक्टूबर 2004)। अनुबन्ध के खण्ड 7 व 8 के साथ पठित खण्ड 38 में हिमाचल प्रदेश राज्य

विद्युत बोर्ड के सभी कर्मचारियों को रखे रहने का प्रावधान है जो उस तिथि के साथ-साथ भविष्य में सतलुज जल विद्युत निगम सीमित में प्रतिनियुक्ति पर थे। इसके बावजूद, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड उपरोक्त प्रावधानों तथा बदलावों के अनुसार मामला उठाए बिना 31 मई 2008 तक सतलुज जल विद्युत निगम सीमित को उक्त अंतरीय राशि का भुगतान जारी करता रहा। तथापि, सतलुज जल विद्युत निगम सीमित नवम्बर 2008 के पश्चात अंतरीय राशि के बिल न देने पर सहमत हो गया और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने मई 2008 से आगे सतलुज जल विद्युत निगम सीमित को अंतरीय राशि का भुगतान जारी करना बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कम्पनी में परिवर्तित होने (जून 2010) के पश्चात सितम्बर 2001 से (नियमितीकरण की वास्तविक तिथि) मई 2008 तक 64 कामगारों को दिए गए बढ़े हुए वेतन के सम्बन्ध में ₹ 1.77 करोड़ के भुगतान के प्रत्यर्पण का मामला सतलुज जल विद्युत निगम सीमित के साथ उठाया (अक्टूबर 2011)। सतलुज जल विद्युत निगम सीमित ने इस आधार पर दावा स्वीकार करने से मना कर दिया (फरवरी 2012) कि मामला पहले ही उस समय की प्रचलित परिस्थितियों की दृष्टि से निपटाया और निर्णित किया जा चुका है।

अतः सतलुज जल विद्युत निगम सीमित में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए 64 कार्य प्रभारित स्टाफ के सम्बन्ध में अंतरीय वेतन का भुगतान अभूतपूर्व था क्योंकि स्टाफ तभी प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जा सकता है जब लेने वाले संगठन को उनकी वेतन तथा भत्तों से सम्बंधित सारे दायित्व स्वीकार्य हो अथवा अन्यथा सभी कामगारों को वापिस बुलाया जाना चाहिए तथा इसके अपने कार्यों पर तैनात करना चाहिए।

प्रत्युन्तर में सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि मामला सतलुज जल विद्युत निगम सीमित के साथ अक्टूबर 2010 में उठाया गया था लेकिन फरवरी 2012 के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम सीमित द्वारा निरस्त कर दिया गया था और मामला पुनः उठाया गया है (अक्टूबर 2013) लेकिन सतलुज जल विद्युत निगम सीमित से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस स्थिति से या तो समय पर प्राप्तकर्ता संगठन के व्यय प्रतिनियुक्ति शर्तों के व्यवस्थापन द्वारा अथवा उन्हें शर्तें एवं निबंधन स्वीकार न होने के मामले में उनको वापिस लेकर बचा जा सकता था।

3.5 परिहार्य व्यय

हिमाचल प्रदेश सरकार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी पैकेज के अंतर्गत भारत संचार निगम सीमित से कम्पनी को उपलब्ध वी पी न0 बी बी-512 के बी पी एस बैडविड्थ कनेक्टिविटी की सहमत दरों का लाभ लेने में विफलता के परिणामस्वरूप सितम्बर 2011 से मार्च 2014 की अवधि हेतु 109 कनेक्शनों के वार्षिक किराए के सम्बंध में ₹ 1.07 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी पैकेज के कार्यान्वयन का कार्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को अधिनिर्णित किया (अक्टूबर 2011)। अधिनिर्णय पत्र अन्य बातों के अतिरिक्त वी पी न0 बी बी-512 के बी पी एस बैडविड्थ के 270 कनेक्शनों हेतु कनेक्टिविटी सम्मिलित थी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को वी पी न0 बी बी-512 के बी पी एस हेतु भुगतान की जाने वाली कनेक्टिविटी दरें ₹ 54,000 प्रति वर्ष प्रति कनेक्शन थी। इसके अतिरिक्त, अधिनिर्णय पत्र की सामान्य शर्तों एवं निबंधनों के परिच्छेद 4 (ख) के अनुसार वी पी न0 बी बी कनेक्टिविटी हेतु दरों की सहमति सूचना एवं

प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत संचार निगम सीमित के साथ किया जाना था और उसका लाभ कम्पनी को दिया जाना था। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सितम्बर 2011 से अप्रैल 2013 की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानों पर कम्पनी के विभिन्न यूनिटों को 109 कनेक्शन उपलब्ध करवाए तथा शेष कनेक्शनों को अभी उपलब्ध करवाया जाना था।

इस सूचना एवं प्रौद्योगिकी पैकेज के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में जनवरी 2014 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ₹ 4.28 करोड़ के बिल दिए। कम्पनी ने अग्रिम भुगतानों के सम्बन्ध में ₹ 1.50 करोड़ तथा यूनिटों, जहां कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जानी थी, के सम्बन्ध में ₹ 1.07 करोड़ के समायोजन पश्चात ₹ 1.71 करोड़ की शेष राशि भुगतानार्थ पारित कर दी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2014) कि उपरोक्त राशि में मार्च 2014 तक ₹ 54,000 प्रति वर्ष प्रति कनेक्शन की दर पर 109 कनेक्शन के सम्बन्ध में ₹ 1.60 करोड़ का वार्षिक किराया सम्मिलित था। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत संचार निगम सीमित से ₹ 54,000 प्रति वर्ष प्रति कनेक्शन के प्रति ₹ 17,800 प्रति कनेक्शन के वार्षिक किराए पर वी पी न0 बी बी-512 के बी पी एस बैंडविड्थ की व्यवस्था की। उक्त अधिनिर्णय पत्र की शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यद्यपि इन सहमत दरों का लाभ कम्पनी को दिया जाना था किन्तु उसे कम्पनी को नहीं दिया गया। कम्पनी ने कभी भी भुगतान हेतु बिल पारित करने से पूर्व सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ दरों में कमी का मामला नहीं उठाया। इसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2011 से मार्च 2014 की अवधि हेतु 109 वीपीन0बीबी-512 केबीपीएस कनेक्शनों के वार्षिक किराए के सम्बन्ध में ₹ 1.07 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

अधीक्षण अभियंता (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) ने बताया (जून 2014) कि इन कनेक्शनों हेतु इसे भारत संचार निगम सीमित से ₹ 54,000 प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष की दर पर पूर्व में वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अन्य कनेक्शनों पर (एमपीएलएस 512 केबीपीएस) 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट की पेशकश की तथा भारत संचार निगम सीमित को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ₹ 17,800 के भुगतानार्थ कम्पनी के साथ उल्लेख नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से भुगतानों को जारी करने से पूर्व अधिनिर्णय पत्र के अनुसार सहमत दरों के सम्बन्ध में पूछताछ करनी चाहिए थी। मामला सरकार/प्रबन्धन को सूचित किया गया था (जून 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

3.6 ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाना

कम्पनी द्वारा अधिनिर्णय पत्र में मूल्य वर्धित कर के खण्ड को सम्मिलित न करके तीन ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 80.66 लाख की राशि के कार्य अनुबंधों हेतु स्रोत पर मूल्य वर्धित कर की कटौती नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 38 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 17(1) में अन्य बातों के अतिरिक्त प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार, निगम अथवा सरकारी उपक्रम आदि के किसी विभाग में वस्तुओं में

सम्पत्ति अंतरण हेतु भुगतान योग्य मूल्यवान प्रतिफल के सम्बंध में, चाहे वस्तुओं अथवा कुछ अन्य रूप में, कार्य अनुबंध के कार्यान्वयन अथवा किन्हीं कार्यों को करने हेतु किसी दायित्व को निभाते हुए उसके भुगतान के समय कर के प्रति ऐसी राशि के 2 प्रतिशत के समान राशि की कटौती करेगा। 'कार्य अनुबंध' को केन्द्रीय बिक्री कर, 1956 में किसी कार्य को करने हेतु अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें जोड़ना, निर्माण, गढ़ाई, उत्थापन, उपयुक्त अधिष्ठापन, किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति का सुधार या चालू करना सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2014) कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने अक्टूबर 2010 व मार्च 2012 के मध्य ₹ 42.95 करोड़⁹ की कुल लागत के परिरूप, आपूर्ति, नेटवर्क उपकरण लगाना और डाटा केन्द्र, शिमला तथा आपदा समुत्थान केन्द्र, पावंटा साहिब में अवसंरचना मदों के एकीकरण से सम्बंधित कार्यों को तीन फर्मों को अधिनिर्णित किया गया। कम्पनी ने मार्च 2014 तक किसी मूल्य वर्धित कर की कटौती किए बिना, जैसाकि कार्य अनुबंधों हेतु प्रयोज्य है, इन तीन ठेकेदारों को ₹ 40.33 करोड़ (मैसर्ज एच सी एल ₹ 34.23 करोड़, विप्रो: ₹ 2.22 करोड़ तथा हेवलेट पेकार्ड ₹ 3.88 करोड़) के कुल भुगतान जारी कर दिए थे। कम्पनी ने मूल्य वर्धित कर को स्रोत पर नहीं काटा क्योंकि अधिनिर्णय पत्र में मूल्य वर्धित कर की कटौती हेतु आवश्यक खण्ड विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था। मार्च 2014 तक इन ठेकेदारों को जारी ₹ 40.33 करोड़ के कुल भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर काटे जाने वाले मूल्य वर्धित कर की राशि ₹ 80.66 लाख बनती है।

अतः, कम्पनी द्वारा अधिनिर्णय पत्र में मूल्य वर्धित कर का खण्ड सम्मिलित न करके तीन ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार शास्ति लगाने के दायित्व के अतिरिक्त कार्यों के अनुबंध हेतु ₹ 80.66 लाख की राशि के स्रोत पर काटे जाने वाला मूल्य वर्धित कर नहीं लगा।

मामला सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

3.7 आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाना

आपूर्ति आदेश देने से पूर्व फर्म के प्रत्ययपत्रों के सत्यापन में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की विफलता के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2011 से मई 2014 के दौरान रन्नों की व्यवस्था न करने के कारण ₹ 7.18 करोड़ की उत्पादन हानि के अतिरिक्त ₹ 32.73 लाख के अग्रिम भुगतान की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) ने बिनवा जल विद्युत परियोजना हेतु रन्नों की आपूर्ति हेतु बोलियों (अक्टूबर 2009) के मूल्यांकन पश्चात् मैसर्ज टैकनिप गेंज मशीनरी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली तथा मैसर्ज गेंज इंजीनियरिंग एण्ड ऐनरजेटिक्स मशीनरी लिमिटेड, हंगरी को एल 1 के रूप में संयुक्त उद्यम घोषित किया। संयुक्त उद्यम ने कम्पनी से दो पृथक आदेशों को एक हंगरीयन पार्टनर (गेंज इंजीनियरिंग एण्ड ऐनरजेटिक्स

⁹ मार्च 2012 में मैसर्ज एच सी एल इनको सिस्टम लिमिटेड को: ₹ 36.76 करोड़, मार्च 2011 में मैसर्ज विरपो लिमिटेड को ₹ 2.32 करोड़ तथा अक्टूबर 2011 में मैसर्ज हेवलेट पैकार्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को ₹ 3.87 करोड़।

मशीनरी लिमिटेड) को आपूर्ति हेतु तथा अन्य इसके भारतीय पार्टनर (मैसर्ज टैकनिप गेंज मशिनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को सेवाओं हेतु देने का अनुरोध किया।

कम्पनी ने वार्ताएं की (मई 2010) जिसमें अन्य फर्म मैसर्ज गेंज ऐनरजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली के प्रतिनिधि ने भाग लिया। प्रतिनिधि ने हंगरीयन पार्टनर को आपूर्ति आदेश देने की पूर्व शर्तों को पलटते हुए प्रस्तावित किया कि रन्नों को उनके द्वारा आयात किया जाएगा तथा मोहाली में जांचार्थ रखा जाएगा। कम्पनी ने गेंज ऐनरजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोहाली के प्रत्ययपत्र जाने बिना, जो आवश्यक था, क्योंकि कम्पनी ने संयुक्त उद्यम (मैसर्ज टैकनिप गेंज मशिनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा गेंज ऐनरजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की बोलियों का मूल्यांकन किया था, उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

बिनवा जल विद्युत परियोजना हेतु शीघ्र आवश्यकता पूर्ति को एक अतिरिक्त फालतु रन्नर सहित दो रन्नों की आपूर्ति और लगाने हेतु गेंज ऐनरजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली को ₹ 2.59 करोड़ का अधिनिर्णय पत्र दिया गया (अगस्त 2010)। गेंज ऐनरजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली के साथ आपूर्ति और आरम्भ के 12 महीने की पूर्णता अवधि की शर्त पर अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया (सितम्बर 2010)। कम्पनी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार 12 सितम्बर 2011 तक बैंक प्रत्याभूति के प्रति दिसम्बर 2010 में ₹ 58.67 लाख के ब्याज वाला अग्रिम जारी किया। ठेकेदार ने 12 सितम्बर 2012 तक बैंक ₹ 25.94 लाख की अन्य बैंक प्रत्याभूति अनुबंध निष्पादन प्रतिभूति के रूप में दी (सितम्बर 2010)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसम्बर 2013) में पाया गया कि फर्म ने अगस्त 2012 तक सुपूर्दगी अनुसूची संशोधित करवाने के पश्चात् भी रन्नों की आपूर्ति नहीं की। सितम्बर 2011 तक बैंक प्रत्याभूति समाप्त हो गई क्योंकि कम्पनी ने बैंकता अवधि वृद्धि हेतु समय पर कार्रवाई नहीं की। तथापि, अनुबंध निष्पादन प्रतिभूति के बदले ₹ 25.94 लाख की बैंक प्रत्याभूति को सितम्बर 2014 तक बढ़ाया गया जिसे कम्पनी द्वारा जनवरी 2014 में भुनाया गया। इसके अतिरिक्त मामला उठाने पर मैसर्ज गेंज इंजीनियरिंग एण्ड ऐनरजेटिक्स मशीनरी लिमिटेड, हंगरी ने सूचित किया कि उनका गेंज ऐनरजेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली के साथ कारोबारी सम्बंध नहीं था। इसने स्पष्ट दर्शाया कि कम्पनी ने ऐसी फर्म से वार्ता की तथा खरीद आदेश दिए जिसने बोलियों में भाग नहीं लिया था।

अतः, पूर्व में जो कुछ हुआ की जांच किए बिना फर्म से वार्ता कराना तथा खरीद आदेश देना बैंक प्रत्याभूति को इसकी समाप्ति पूर्व भुनाने की समय पर कार्रवाई में विफलता से जोड़ता है जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2014 तक ₹ 22.10 लाख की ब्याज हानि के अतिरिक्त अक्टूबर 2011 से मई 2014 के दौरान ₹ 7.18 करोड़ की उत्सर्जन हानि तथा ₹ 32.73 लाख की हानि हुई।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि नई दिल्ली और मोहाली स्थित दोनों फर्मों मूल्य वार्ता (अप्रैल 2010) हेतु आमंत्रित की गई थी किन्तु मोहाली स्थित फर्म ने वार्ता में भाग लिया। बैंक प्रत्याभूति के नवीकरण न करने के सम्बंध में सरकार ने बताया कि भ्रान्त बैंक को, यदि सम्भव है, आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास मामले को उठाया गया है तथा उत्सर्जन हानि को विवाचक के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिदावे में दावा किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि फर्म को वार्ता के लिए बुलाने का औचित्य नहीं था जिसने बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी बैंक प्रत्याभुति नवीकरण/भुनाने हेतु समय पर कार्रवाई करने में विफल रही और बैंक की गलती नहीं थी जैसाकि उत्तर में आरोपित था।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित

3.8 ब्याज का परिहार्य भुगतान

माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यथा अनुमत निर्धारित समय के भीतर अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन मान बकाया के भुगतान जारी करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 37.51 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश (उच्च न्यायालय) ने सुख राम चन्देल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य नाम से सिविल समादेश-याचिका संख्या 2031/2008 में दिए गए अपने निर्णय दिनांक 6 जुलाई 2009 के अनुसार कम्पनी के चालकों को जनवरी 1986 ₹ 1025-2100 के विद्यमान वेतनमान के प्रति ₹ 1200-2100 का वेतनमान अनुमत किया। कम्पनी ने इस निर्णय के प्रति उच्च न्यायालय के डिविजन बैंच के सम्मुख याचिका¹⁰ दायर की। डिविजन बैंच ने अपने पूर्व के निर्णय में हस्तक्षेप से मना करते हुए कम्पनी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (मई 2012) कि माननीय एकाकी न्यायाधीश के निर्णयानुसार सभी चालकों को देय राशि अंततः 30 सितम्बर 2012 तक जारी की जाए अन्यथा कम्पनी को राशि के देय होने की तिथि से राशि के जारी होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। उच्च न्यायालय ने यह भी प्रेक्षण किया कि यदि राशि को अनुमित समय के भीतर नहीं दिया जाता तो यह अवमानना को अपवृद्धि करने वाला माना जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जनवरी 2014) कि कम्पनी ने न तो भारत के उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के प्रति याचिका दायर की न ही उक्त निर्देशों को 30 सितम्बर 2012 तक कार्यान्वित किया। कम्पनी ने दिसम्बर 2012 और जनवरी 2013 के मध्य 29 चालकों को ₹ 51.58 लाख की कुल वेतन बकाया की राशि जारी कर दी। क्योंकि प्रत्येक चालक को संशोधित वेतनमान अनुमत समयोपरान्त (सितम्बर 2012) जारी किया गया, कम्पनी को इस बकाया पर 9 प्रतिशत वार्षिक (जनवरी 1986 से) दर से ब्याज का भुगतान करना था। कम्पनी ने अगस्त 2013 में अपने 29 चालकों को इस सम्बंध में ब्याज के ₹ 37.51 लाख जारी किए।

अतः, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कम्पनी के अपने कर्मचारियों को सितम्बर 2012 तक संशोधित वेतनमान का बकाया जारी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 37.51 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2014) कि कार्यान्वयन से पूर्व उपलब्ध सभी विधिक विकल्पों/उपायों की छान-बीन के लिए मामले की फाईल उच्चतम न्यायालय में विशेष याचिका दायर करने हेतु अधिवक्ता को सौंपी गई थी। प्रबुद्ध अधिवक्ता ने सूचित किया (अक्टूबर 2012) कि विशेष याचिका हेतु यह उपयुक्त मामला नहीं था। अतः, ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए ताकि अवमानना प्रक्रिया को रोका जा सके जो अभी तक उच्च न्यायालय में लम्बित थी।

¹⁰ लेटर पेटेंट अपील (एल पी ए संख्या 2009 का 108)

राज्य सरकार का उत्तर (जून 2014) संतोषप्रद नहीं था क्योंकि कम्पनी को सितम्बर 2012 की निर्धारित तिथि से पहले सभी विधिक विकल्पों की छान-बीन कर लेनी चाहिए थी जिससे न केवल ब्याज का भुगतान बचता अपितु उच्च न्यायालय में लम्बित बताई गई अवमानना प्रक्रिया को भी रोका जा सकता था।

3.9 विद्युत अनुबंध मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

केन्द्रीय तापन प्रणाली की अप्रचालनीय अवधि के दौरान विद्युत की अनुबंध मांग को कम करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.88 लाख के मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 20 किलो वाट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं हेतु द्विभागीय शुल्क-सूची ढांचा अनुमोदित (अक्टूबर 2004) किया था। इस शुल्क-सूची ढांचे के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के पास उपभोक्ता द्वारा दर्ज कराए गए अनुबंध मांग पर अधिसूचित दरों पर समय-समय से अनुबंध मांग प्रभारों का उद्ग्रहण किया जाना था। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित बिक्री नियमावली (अगस्त 2007 में संशोधित) के अनुदेश संख्या 39 के अनुसार उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वर्ष में दो बार अनुबंध मांग को संशोधित करने की स्वतंत्रता थी। जून 2013 तक अनुबंध मांग की कटौती हेतु सीमा नहीं थी और इसके पश्चात् मई 2013 में जारी शुल्क-सूची अधिसूचना के अनुसार जुलाई 2013 से कुल अनुबंध मांग के 50 प्रतिशत से नीचे अनुबंध मांग में कटौती अनुमत्य नहीं थी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (कम्पनी) के पास 373 किलो वोल्ट एम्पीयर की अनुबंध मांग सहित होटल पीटरहॉफ, शिमला की केन्द्रीय तापन प्रणाली को चलाने हेतु विद्युत संयोजन (संयोजित भार 1,084 किलो वाट का) था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2014) में पाया गया कि अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2013 (69 महीने) की अवधि के दौरान केन्द्रीय तापन प्रणाली हेतु प्रतिस्थापित मीटर पर अधिकतम दर्ज मांग 30 महीनों के लिए शून्य किलो वोल्ट एम्पीयर, 34 महीनों हेतु 10 किलो वोल्ट एम्पीयर से कम और पांच महीनों के लिए 10 किलो वोल्ट एम्पीयर से वृहत्तर रही। केन्द्रीय तापन प्रणाली वर्ष में केवल दिसम्बर से मार्च के दौरान प्रचालित की गई और अप्रैल से नवम्बर तक प्रचालित नहीं की गई किन्तु कम्पनी ने 373 किलो वोल्ट एम्पीयर की पूर्ण अनुबंध मांग पर समूची अवधि हेतु मांग प्रभारों का भुगतान किया। प्रबंधन के पास तापन आवश्यकता के अनुसार वर्ष में दो बार अनुबंध मांग संशोधन का विकल्प था, यह इसे कम करने में विफल रहा जब केन्द्रीय तापन प्रणाली प्रचालित नहीं की गई थी और बावजूद इसके सहमत अनुबंध मांग के अनुसार समूची अवधि हेतु मांग प्रभारों का निरंतर भुगतान किया गया जो अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान ₹ 33,600 और ₹ 46,998 प्रति मास के मध्य रहा।

केन्द्रीय तापन प्रणाली के प्रचालनीय प्रतिमान को देखते हुए कम्पनी अप्रैल से नवम्बर की अवधि के दौरान जब केन्द्रीय तापन प्रणाली प्रचालित नहीं की जाती 10 किलो वोल्ट एम्पीयर तक अनुबंध मांग कम करके और दिसम्बर में मार्च तक ठण्ड के महीनों के दौरान पूर्ण अनुबंध मांग को चुन सकती थी। यदि कम्पनी ने अनुबंध मांग की इस कटौती का भी लाभ उठाया होता तो

अप्रैल 2008 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान भुगतान किए गए मांग प्रभारों के सम्बंध में ₹ 15.88 लाख (जैसाकि परिशिष्ट 3.3 में विवरणित है) की बचत की होती।

अतः वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुबंध मांग कम न करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.88 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2014) कि होटल पीटर हॉफ का वाणिज्यिक के अतिरिक्त राज्य अतिथि गृह के रूप में उपयोग किया जा रहा है। राज्य अतिथियों और अन्य ग्राहकों के आरामदायक ठहराव हेतु केन्द्रीय तापन प्रणाली तथा अन्य सुविधाएं तैयार रखी जानी अपेक्षित होती हैं।

राज्य सरकार का उत्तर (जून 2014) स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केन्द्रीय तापन प्रणाली हेतु अधिकतम दर्ज मांग अप्रैल 2008 से नवम्बर 2013 के दौरान (दिसम्बर से मार्च के ठण्ड के महीने निकालकर) कभी भी 10 किलो वोल्ट एम्पीयर से नहीं बढ़ी। यह स्पष्ट इंगित करता है कि प्रति वर्ष अप्रैल से नवम्बर के कम खपत वाले महीनों हेतु अनुबंध मांग को संशोधित करके बचत करने की पर्याप्त सम्भावना थी।

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित

3.10 भूमि क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान

सड़क के निर्माण सीमा क्षेत्र से बाहर सीमांकित भूमि के सम्बंध में भूमि क्षतिपूर्ति के भुगतान को रोकने की कार्रवाई प्रारंभ करने में कम्पनी की विफलता के कारण भूमि मालिकों को ₹ 29.33 लाख का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक सहायता के माध्यम से ऊना-नेर चौक सड़क भाग का उन्नयन तथा सुधार आरम्भ किया (अगस्त 2008)। यह कार्य हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित (कम्पनी) को सौंपा गया। इस सड़क के निर्माणार्थ अपेक्षित भूमि को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम) में निर्दिष्ट प्रक्रियानुसार सम्बंधित भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर प्राप्त किया जाना था।

इस सड़क के निर्माणार्थ भूमि प्राप्ति के लिए भू-अर्जन अधिकारी, मण्डी द्वारा अपेक्षित भूमि अधिसूचित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक भू-अर्जन प्रक्रिया आरम्भ (फरवरी 2007) कर दी। अधिसूचित खसरा नम्बरों में से खसरा नम्बर 408 (गांव हर), खसरा नम्बर 144/2/1 तथा खसरा नम्बर 662 (गांव मुडखर गेंदा) का अधिग्रहण नहीं किया जाना था क्योंकि वे निर्माण सीमा क्षेत्र से बाहर थे। इसलिए, इन खसरा नम्बरों को भू-अर्जन स्टाफ, कम्पनी अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल की संयुक्त रूप से की गई जांच व सीमांकन के दौरान (मार्च 2009, मई 2009 और जनवरी 2010) अर्जन सूची से निकालने का प्रस्ताव किया गया। तथापि, कम्पनी द्वारा इन खसरा नम्बरों को अर्जन सूची से निकालने की कार्रवाई नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गांव हर में ₹ 98.80 लाख हेतु (दिसम्बर 2009) और मुडखर गेंदा में ₹ 248.23 लाख हेतु (फरवरी 2010) ऊना-नेर चौक सड़क के उन्नयन/सुधार के सम्बंध में अधिनिर्णय प्रारूप अनुमोदित कर दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर 2011) कि अधिनिर्णय में निजी भूमि हेतु खसरा नम्बर 408 के लिए ₹ 1.78 लाख और खसरा नम्बर 144/2/1 तथा खसरा नम्बर 662 के लिए ₹ 27.55 लाख की क्षतिपूर्ति सम्मिलित थी, जिन्हें अधिनिर्णय से निकालने का प्रस्ताव रखा गया था। कम्पनी को यद्यपि ज्ञात था कि उपरोक्त खसरा नम्बर अधिनिर्णय में सम्मिलित थे फिर भी राशि को रोकने और निजी भूमि मालिकों में वितरणार्थ भू-अर्जन अधिकारी, मण्डी को कुल अधिनिर्णय राशि जारी करने (फरवरी 2010) की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई। सम्बंधित भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति के क्रमशः ₹ 1.22 लाख (खसरा नम्बर 662), ₹ 1.78 लाख (खसरा नम्बर 408) तथा ₹ 26.33 लाख (खसरा नम्बर 144/2/1) क्रमशः फरवरी 2010, मार्च 2010 व नवम्बर 2010 में जारी किए गए।

अतः कम्पनी की संयुक्त जांच तथा भूमि सीमांकन टीम की सिफारिशों के अनुसार अधिनिर्णय घोषणा से पहले अर्जन सूची से इन खसरा नम्बरों को निकालने में समय पर कार्रवाई प्रारम्भ करने में विफलता के परिणामस्वरूप सम्बंधित भूमि मालिकों को ₹ 29.33 लाख की क्षतिपूर्ति राशि का परिहार्य भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने अभी तक (नवम्बर 2014) इन खसरा नम्बरों को अधिसूचना से निकालकर भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अनुसार भूमि मालिकों से इस राशि की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी।

मामला राज्य सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

शिमला
दिनांक

23 MAR 2015

राम मोहन जौहरी

(आर0एम0जौहरी)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित


नई दिल्ली
दिनांक

27 MAR 2015


शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ परिच्छेद 1.1, 1.16 तथा 1.30)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष के लिए सारांशित वित्तीय परिणाम जिस के लिये लेखों को 30 सितम्बर 2014 को अंतिम रूप दिया गया।

(कॉलम 5 (क) से (11) आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	निवल लाभ/हानि (-)				कुल बिक्री	लेखा टिप्पणियों ¹ का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ/हानि (-)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि (-)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि (-)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क्रियाशील सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी														
1	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	2011-12	2013-14	1.52	0.07	0.07	1.38	39.46	(-)16.32	18.85	(-)17.37	(-)3.67	1.45	(-)39.51
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2012-13	2014-15	7.10	0.21	0.36	6.53	33.33	(-)10.88	38.76	(-)63.49	84.09	6.74	8.02
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2010-11	2013-14	14.11	2.20	0.57	11.34	167.37	(-) 64.14	11.71	(-) 31.66	124.29	13.54	10.89
		2011-12	2014-15	(-) 3.38	0.12	0.67	(-) 4.17	151.33	लेखापरीक्षा अधीन	11.71	(-) 35.83	(-) 23.72	(-) 4.05	(-) 17.07
क्षेत्रवार योग				5.24	0.40	1.10	3.74	224.12	(-) 27.20	69.32	(-)116.69	56.70	4.14	7.30
वित्त पोषण														
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2010-11	2013-14	0.67	0.26	0.01	0.40	1.79	-	10.00	4.74	24.95	0.66	2.65
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2011-12	2013-14	0.25	-	-	0.25	0.48	-	7.19	0.67	7.74	0.25	3.23
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2010-11	2012-13	0.01	0.32	0.02	(-)0.33	0.60	0.63	6.95	(-)3.11	16.94	(-)0.01	(-)0.06
क्षेत्रवार योग				0.93	0.58	0.03	0.32	2.87	0.63	24.14	2.30	49.63	0.90	1.81

(कॉलम 5 (क) से (11) आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	निवल लाभ (+) हानि (-)				कुल बिक्री	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ/हानि (-)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता
				व्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि (-)	व्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि (-)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
अवसंरचना														
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	2013-14	2014-15	-	-	-	-4	-	-	25.00	-	770.72	-	-
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2012-13	2013-14	4.02	-	0.13	3.89	16.66	0.85	30.82	21.13	48.70	3.89	7.99
क्षेत्रवार योग				4.02	-	0.13	3.89	16.66	0.85	55.82	21.13	819.42	3.89	0.47
विनिर्माण														
9	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2012-13	2013-14	3.95	0.21	0.08	3.66	33.08	-	7.16	0.19	11.19	3.87	34.58
क्षेत्रवार योग				3.95	0.21	0.08	3.66	33.08	-	7.16	0.19	11.19	3.87	34.58
विद्युत														
10	ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	2013-14	2014-15	-	-	-	-5	-	-	300.00	-	-	-	-
11	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2012-13	2013-14	-	-	-	-5	-	-	1002.89	-	-	-	-
12	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित	2012-13	2013-14	-	-	-	-5	-	-	172.49	-	-	-	-
13	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2011-12	2013-14	(-)51.89	261.11	199.76	(-)512.76	3830.56	(-)600.91	971.78	(-)1398.35	2318.15	(-)251.65	(-)10.86
क्षेत्रवार योग				(-)51.89	261.11	199.76	(-)512.76	3830.56	(-)600.91	2447.16	(-)1398.35	2318.15	(-)251.65	(-)10.86

(कॉलम 5 (क) से (11) आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	निवल लाभ (+) हानि (-)				कुल बिक्री	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+) हानि (-)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि (-)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि (-)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
सेवा														
14	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2012-13	2013-14	5.19	0.25	1.02	3.92	1121.92	0.27	3.51	25.14	32.54	4.17	12.81
15	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम सीमित	2013-14	2014-15	0.99	0.01	0.07	0.91	41.15	(-)1.06	3.72	2.11	8.10	0.92	11.36
16	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2012-13	2013-14	2.74	-	0.06	2.68	25.07	(-)0.02	9.25	(-)17.70	(-)1.83	2.68	(-)146.45
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2012-13	2013-14	1.02	0.26	2.76	(-)2.00	76.07	(-)35.21	12.30	(-)19.11	15.64	(-)1.74	(-)11.13
क्षेत्रवार योग				9.94	0.52	3.91	5.51	1264.21	(-)36.02	28.78	(-)9.56	54.45	6.03	11.07
योग क (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सरकारी कंपनियां)				(-)27.81	262.82	205.01	(-)495.64	5371.50	(-)662.65	2632.38	(-)1500.98	3309.54	(-)232.82	(-)7.03

(कॉलम 5 (क) से (10) आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	निवल लाभ (+) हानि (-)				कुल बिक्री	लेखा टिप्पणियों ¹ का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+) हानि (-)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि (-)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि (-)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ख. क्रियाशील सांविधिक निगम														
वित्त पोषण														
1.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2013-14	2014-15	(-)10.70	5.21	0.58	(-)16.49	4.91	(-) 0.18	99.57	(-)143.92	233.17	(-)11.28	(-)4.84
क्षेत्रवार योग				(-)10.70	5.21	0.58	(-)16.49	4.91	(-) 0.18	99.57	(-)143.92	233.17	(-)11.28	(-)4.84
सेवा														
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2012-13	2013-14	(-)78.03	12.34	20.58	(-)110.95	576.38 ⁶	(-)0.29	501.34	(-)764.40	(-)184.81	(-)98.61	(-)53.36
क्षेत्रवार योग				(-)78.03	12.34	20.58	(-)110.95	576.38 ⁶	(-)0.29	501.34	(-)764.40	(-)184.81	(-)98.61	(-)53.36
योग -ख (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सांविधिक निगम)				(-)88.73	17.55	21.16	(-)127.44	581.29	(-)0.47	600.91	(-)908.32	48.36	(-)109.89	(-)227.23
सकल योग (क+ ख)				(-)116.54	280.37	226.17	(-)623.08	5952.79	(-) 663.12	3233.29	(-)2409.30	3357.90	(-)342.71	(-)10.21
ग. अक्रियाशील सरकारी कंपनियां														
कृषि एवं समवर्गी														
1	कृषि औद्योगिक पैकेजिंग इंडिया सीमित	2013-14	2014-15	(-)0.04	-	-	(-)0.04	-	(-)5.58	17.72	(-)78.23	0.53	(-)0.04	(-)7.55
क्षेत्रवार योग				(-)0.04	-	-	(-)0.04	-	(-)5.58	17.72	(-)78.23	0.53	(-)0.04	(-)7.55

(कॉलम 5 (क) से (10) आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	निवल लाभ (+) हानि (-)				कुल बिक्री	लेखा टिप्पणियों ¹ का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+) हानि (-)	नियोजित ² पूंजी	नियोजित ³ पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल प्रतिशतता
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि (-)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि (-)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विनिर्माण														
2.	हिमाचल वर्सटिड मिल्लज सीमित	2000-01	2001-02	(-)0.01	-	-	(-)0.01	-	-	0.92	(-)5.44	(-)0.64	(-)0.01	(-)1.56
क्षेत्रवार योग				(-)0.01	-	-	(-)0.01	-	-	0.92	(-)5.44	(-)0.64	(-)0.01	(-)1.56
योग -ग (सभी क्षेत्रवार अक्रियाशील सरकारी कंपनियों)				(-)0.05			(-)0.05	-	(-)5.58	18.64	(-)83.67	(-)0.11	(-)0.05	(-)45.45
सकल योग (क+ख+ग)				(-)116.59	280.37	226.17	(-)623.13	5952.79	(-)668.70	3251.93	(-)2492.97	3357.79	(-)342.76	(-)10.21

- 1 लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का निवल प्रभाव शामिल है तथा लाभ (+) में वृद्धि/हानियों में कमी (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
- 2 वित्त कंपनियों/निगमों जिनमें नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, मुक्त रिजर्व, बॉण्ड, जमा एवं उधारों (पुनः निधियन सहित) के अथशेष एवं अंतिम शेष को सकल औसत के रूप में संगणित किया जाता है, के मामले के अतिरिक्त नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियां (पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों सहित) जमा क्रियाशील पूंजी को प्रदर्शित करती है।
- 3 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना लाभ एवं हानि लेखा को लाभ व प्रभारित ब्याज जमा करके की गई है।
- 4 आय से अधिक व्यय की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।
- 5 कंपनियों (क्रम संख्या क-10, 11, 12) ने लाभ व हानि लेखे तैयार नहीं किए हैं।
- 6 अमितव्ययी रास्तों पर चालू बसों तथा मुफ्त/रियायती अनुमति पत्र के जारी होने के आधार पर वर्ष के दौरान ₹ 155.00 करोड़ की इमदाद प्राप्त सम्मिलित है।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ परिच्छेद 1.1 तथा 1.7)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2014 तक अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋण तथा श्रमशक्ति के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(कॉलम 5 (क) से 6(घ) आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमीकरण का मास एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी ⁷				2013-14 के अन्त में बकाया ऋण ⁸				2013-14 हेतु ऋण इक्विटी अनुपात (विगत वर्ष)	श्रमशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) (31-03-2014 तक)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
क. क्रियाशील सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	बागवानी	सितम्बर 1970	16.89	1.96	-	18.85	2.50	1.19	-	3.69	0.20:1 (0.68:1)	143
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	बागवानी	जून 1974	31.19	1.50	6.07	38.76	12.00	-	0.11	12.11	0.31:1 (0.32:1)	279
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	वन	मार्च 1974	11.71	-	-	11.71	-	-	101.80	101.80	8.69:1 (8.69:1)	2,236
क्षेत्रवार योग				59.79	3.46	6.07	69.32	14.50	1.19	101.91	117.60	1.70:1 (1.96:1)	2,658
वित्त पोषण													
4.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	जनवरी 1994	11.00	-	-	11.00	-	-	14.81	14.81	1.35:1 (1.22:1)	19
5.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	अप्रैल 1989	7.69	0.10	-	7.79	-	-	-	-	-	5
6.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	सितम्बर 1996	9.39	-	-	9.39	-	-	18.09	18.09	1.93:1 (1.80:1)	14
क्षेत्रवार योग				28.08	0.10	-	28.18	-	-	32.90	32.90	1.17:1 (1.06:1)	38
अवसंरचना													
7.	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	लोक निर्माण कार्य	जून 1999	25.00	-	-	25.00	-	-	-	-	-	2
8.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	उद्योग	नवम्बर 1966	30.82	-	-	30.82	-	-	-	-	-	158
क्षेत्रवार योग				55.82	-	-	55.82	-	-	-	-	-	160

(कॉलम 5 (क) से 6(घ) आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमीकरण का मास एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी				2013-14 के अन्त में बकाया ऋण ⁸				2013-14 हेतु ऋण इक्विटी अनुपात (विगत वर्ष)	श्रमशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) (31-03-2014 तक)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
विनिर्माण													
9.	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	उद्योग	नवम्बर 1972	7.04	-	0.12	7.16	2.97	-	-	2.97	0.41:1 (0.41:1)	122
क्षेत्रवार योग				7.04	-	0.12	7.16	2.97	-	-	2.97	0.41:1 (0.41:1)	122
विद्युत													
10.	ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	बहु उद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	मार्च 2003	-	-	300.00	300.00	-	-	548.74	548.74	1.83:1 (1.87:1)	227
11.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	बहु उद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	दिसम्बर 2006	532.68	-	650.21	1182.89	1522.69	-	30.81	1553.50	1.31:1 (1.13:1)	753
12.	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित	बहु उद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	अगस्त 2008	71.79	-	108.70	180.49	110.56	-	39.84	150.40	0.83:1 (0.36:1)	113
13.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	बहु उद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	दिसम्बर 2009	478.28	-	-	478.28	19.11	-	3237.31	3256.42	6.81:1 (1.78:1)	19,763
क्षेत्रवार योग				1082.75	-	1058.91	2141.66	1652.36	-	3856.70	5509.06	2.57:1 (1.43:1)	20,856
सेवा													
14.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	खाद्य एवं आपूर्ति	सितम्बर 1980	3.51	-	-	3.51	-	-	-	-	- (-)	918
15.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	उद्योग	अक्टूबर 1984	3.72	-	-	3.72	1.49	-	-	1.49	0.40:1- (0.44:1)	66
16.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	उद्योग	मार्च 1974	9.22	0.03	-	9.25	-	-	-	-	- -	70
17.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	पर्यटन एवं नागरिक विमानन	सितम्बर 1972	12.30	-	-	12.30	-	-	-	-	- -	1,622
क्षेत्रवार योग				28.75	0.03	-	28.78	1.49	-	-	1.49	0.05:1 (0.06:1)	2,676
योग क (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील कम्पनियां)				1262.23	3.59	1065.10	2330.92	1671.32	1.19	3991.51	5664.02	2.43:1 (1.39:1)	26510

(कॉलम 5 (क) से 6 (घ) आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमीकरण का मास एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी ⁷				2013-14 के अन्त में बकाया ऋण ⁸				2013-14 हेतु ऋण इक्विटी अनुपात (विगत वर्ष)	श्रमशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) (31-03-2014 तक)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
ख. क्रियाशील सांविधिक निगम													
वित्त पोषण													
1.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	अप्रैल 1967	92.98	-	6.59	99.57	27.71	-	95.50	123.21	1.24:1 (1.30:1)	62
क्षेत्रवार योग				92.98	-	6.59	99.57	27.71	-	95.50	123.21	1.24:1 (1.30:1)	62
सेवा													
2.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	परिवहन	सितम्बर 1974	525.90	15.44	-	541.34	-	-	71.99	71.99	0.13:1 (0.09:1)	8,419
क्षेत्रवार योग				525.90	15.44	-	541.34	-	-	71.99	71.99	0.14:1 (0.09:1)	8,419
योग ख (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सांविधिक निगम)				618.88	15.44	6.59	640.91	27.71	-	167.49	195.20	0.30:1 (0.30:1)	8,481
सकल योग (क + ख)				1881.11	19.03	1071.69	2971.83	1699.03	1.19	4159.00	5859.22	1.97:1 (1.19:1)	34,991
ग. अक्रियाशील सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	एग्रो इण्डस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	बागवानी	फरवरी 1987	16.75	-	0.97	17.72	60.15	-	-	60.15	3.39:1 (3.39:1)	1
क्षेत्रवार योग				16.75	-	0.97	17.72	60.15	-	-	60.15	3.39:1 (3.39:1)	1

(कॉलम 5 (क) से 6 (घ) आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमीकरण का मास एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी ⁷				2013-14 के अन्त में बकाया ऋण ⁸				2013-14 हेतु ऋण इक्विटी अनुपात (विगत वर्ष)	श्रमशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) (31-03-2014 तक)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
विनिर्माण													
1.	हिमाचल वर्सटिड मिल्स सीमित	उद्योग	अक्टूबर 1974	-	-	0.92	0.92	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				-	-	0.92	0.92	-	-	-	-	-	-
योग ग (सभी क्षेत्रवार अक्रियाशील सरकारी कम्पनियां)				16.75	-	1.89	18.64	60.15	-	-	60.15	3.23:1 (3.23:1)	1
सकल योग (क + ख + ग)				1897.86	19.03	1073.58	2990.47	1759.18	1.19	4159.00	5919.37	1.98:1 (1.21:1)	34992

टिप्पणी: उपरोक्त क्रमांक क- 10 से क- 12 में तीन धारा 619-ख कम्पनियां शामिल हैं।

- 7 प्रदत्त पूंजी में शेयर एप्लीकेशन धन शामिल है।
8 2013-14 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ परिच्छेद 1.10 तथा 1.12)

मार्च 2014 के अन्त में प्राप्त/प्राप्ति योग्य अनुदान एवं इमदाद, प्राप्त गारंटियों, देयताओं के अधित्याग, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों और वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋणों और गारंटी वचनबद्धता को दर्शाने वाली विवरणी

(कॉलम 3 (क) से 6 (घ) आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान व इमदाद				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां तथा वर्ष के अन्त में वचनबद्धता		वर्ष के दौरान देयताओं का अधित्याग			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	वचनबद्धता	बट्टे खाते में डाली गई ऋण चुकोती	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	अधित्याग किया गया ब्याज/दण्डस्वरूप ब्याज	योग
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
क. क्रियाशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम सीमित	-	-	-	-	-	-	1.19	1.19	-	7.05	-	-
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	-	-	2.48	5.50	0.15	8.13	8.00	0.67	-	-	-	-
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	-	-	-	-	-	-	90.00	90.00	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	2.48	5.50	0.15	8.13	99.19	91.86	-	7.05	-	-
वित्त पोषण													
4.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	0.72	-	-	-	-	-	20.00	14.81	-	-	-	-
5.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम												
6.	हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम	1.30	-	-	0.12	-	0.12	20.00	20.01	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		2.02	-	-	0.12	-	0.12	40.00	34.82	-	-	-	-

(कॉलम 3 (क) से 6 (घ) आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान व इमदाद				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियों तथा वर्ष के अन्त में वचनबद्धता		वर्ष के दौरान देयताओं का अधित्याग			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	वचनबद्धता	बट्टे खाते में डाली गई ऋण चुकोती	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	अधित्याग किया गया ब्याज/दण्डस्वरूप ब्याज	योग
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
अवसंरचना													
7.	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	-	-	-	237.20	-	237.20	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	-	237.20	-	237.20	-	-	-	-	-	-
विद्युत													
8.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	180.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	8.00	49.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	31.75	-	1.10	18.54	6.25	25.89	1962.50	2531.19	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		219.75	49.20	1.10	18.54	6.25	25.89	1962.50	2531.19	-	-	-	-
सेवा													
11.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	-	-	3.56	0.67	-	4.23	0.60	0.60	-	-	-	-
12.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	-	-	8.64	0.81	-	9.45	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	12.20	1.48	-	13.68	0.60	0.60	-	-	-	-
योग क (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सरकारी कम्पनियां)		221.77	49.20	15.78	262.84	6.40	285.02	2102.29	2658.47	-	7.05	-	-

(कॉलम 3 (क) से 6 (घ) में आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान व इमदाद				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां तथा वर्ष के अन्त में वचनबद्धता		वर्ष के दौरान देयताओं का अधित्याग			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	वचनबद्धता	बट्टे खाते में डाला गया ऋण पुनर्भुगतान	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	अधित्याग किया गया ब्याज/दण्डस्वरूप ब्याज	योग
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
ख. क्रियाशील सांविधिक निगम													
वित्त पोषण													
1.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	-	95.25	47.23	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	-	-	-	-	95.25	47.23	-	-	-	-
सेवा													
2.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	40.00	-	-	155.00	-	155.00	135.00	62.33	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		40.00	-	-	155.00	-	155.00	135.00	62.33	-	-	-	-
योग ख (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सांविधिक निगम)		40.00	-	-	155.00	-	155.00	230.25	109.56	-	-	-	-
सकल योग (क + ख)		261.77	49.20	15.78	417.84	6.40	440.02	2332.54	2768.03	-	7.05	-	7.05

9. आंकड़े वर्ष के अन्त तक बकाया कुल गारंटियों को इंगित करते हैं।

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ परिच्छेद 1.22)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों के दौरान किया गया निवेश, जिनके लेखें बकाया हैं			
				इक्विटी	ऋण	अनुदान/इमदाद	अन्य
				₹ करोड़			
क्रियाशील कम्पनियां/निगम							
1	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2012-13	31.19	-	-	5.65	-
2	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2010-11	10.00	0.28 (2012-13) 0.72 (2013-14)	-	-	-
3	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2011-12	7.09	0.60 (2013-14)	-	-	-
4	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2010-11	6.95	0.50 (2011-12) 0.64 (2012-13) 1.30 (2013-14)	-	0.01 (2011-12) 0.02 (2012-13) 0.12 (2013-14)	-
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित	2012-13	63.49	8.00 (2013-14)	49.20	-	-
6	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	2011-12	971.78	50.00 (2012-13) 31.75 (2013-14)	-	18.54	-
7	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2012-13	9.22	-	-	0.67	-
8	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2012-13	12.30	-	-	0.81	-
9	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2012-13	485.90	40.00 (2013-14)		155.00	
योग			1597.92	133.79	49.20	180.82	

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ परिच्छेद 1.30)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहां सिफारिशों की गई थी	परिशिष्ट 1.1 के अनुसार कम्पनी की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	अल्प/दीर्घावधि व्यवसाय योजना की तैयारी की प्रणाली का गैर-अस्तित्व	3	1, 3 तथा 16
2.	बाह्य पार्टियों से शेष देयों के अनुश्रवण की अपर्याप्तता	9	1, 2, 3, 5, 12, 13, 15, 16 तथा 17
3.	ऋणधारियों से संपुष्टि प्राप्त करने तथा लेखों की विवरणी भेजने की प्रणाली का गैर-अस्तित्व	11	1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16 तथा 17
4.	ए एस-15 के अनुसार सेवानिवृति लाभों का गैर-प्रावधान	11	1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 तथा 17
5.	मात्रात्मक विवरणों, स्थितियों, पहचान संख्या, धारण करने की तिथि, अचल सम्पत्तियों का घटता मूल्य तथा उनकी अवस्थिति से अंतर्ग्रस्त सम्पूर्ण विवरणों को दर्शाते उचित अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण	10	2, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16 तथा 17
6.	भण्डार तथा परिमितों की निम्नतम/अधिकतम सीमाओं का गैर-निर्धारण	8	1, 2, 5, 13, 14, 15, 16 तथा 17
7.	कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति तथा आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की अनुपस्थिति	12	1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तथा 17
8.	आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली/प्रतिमानों /संदर्शिकाओं को तैयार न करना	11	2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16 तथा 17
9.	अनुमोदित सूचना प्रौद्योगिकी नीति/योजना का न होना	15	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तथा 17
10.	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का गैर-निरूपण	6	5, 7, 8, 10, 15 तथा 17

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ परिच्छेद 1.33)

विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और परिच्छेदों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया परिच्छेदों की संख्या	जिस वर्ष से बकाया हैं
1	बागवानी	3	16	53	2006-07
2	उद्योग	4	12	49	2005-06
3	वन	1	8	104	2005-06
4	लोक निर्माण कार्य	1	4	26	2009-10
5	कल्याण	3	5	18	2007-08
6	खाद्य एवं आपूर्ति	1	4	25	2009-10
7	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	1	4	10	2007-08
8	बहुउद्देशीय परियोजना तथा विद्युत	4	879	3738	2005-06
9	परिवहन	1	120	496	2005-06
10	सूचना प्रौद्योगिकी	1	2	3	2009-10
	योग	20	1,054	4,522	

परिशिष्ट 2.1

निर्धारित पूर्णता अवधि के बाद समय आधिक्य के साथ-साथ मुख्य कार्यों का विवरण

(संदर्भ परिच्छेद 2.7)

क्रमांक	कार्य का विवरण	सुपुर्दगी की तिथि	पूर्णता की निर्धारित तिथि	पूर्णता का समय महीनों में	पूर्णता की संशोधित तिथि	वर्तमान प्रास्थिति	सुपुर्दगी के अनुसार पूर्णता की तिथि के संदर्भ में समय आधिक्य (महीनों में)
1	हैड रेस टनल	18/06/2007	17/07/2011	48	अप्रैल 2017 ¹⁰	शेष कार्य अभी सुपुर्द किया जाना है	69
2	विद्युत गृह	22/01/2009	03/06/2012	39	सितम्बर 2014	कार्य प्रगति पर है	27
3	ई एंड एम वर्क्स	05/02/2009	28/06/2012	38	दिसम्बर 2014	कार्य प्रगति पर है	30
4	बांध/अंतर्ग्रहण	25/08/2009	07/06/2012	32	दिसम्बर 2014	कार्य प्रगति पर है	30

10 जनवरी 2014 में वास्तविक कार्य निरस्त कर दिया गया था।

परिशिष्ट 2.2

मार्च 2014 तक मुख्य कार्य के साथ-साथ लागत आधिक्य का विवरण

(संदर्भ परिच्छेद 2.7)

क्रमांक	संघटक	वास्तविक	संशोधित	लागत	वृद्धि
		लागत के	लागत के		
		अनुसार	अनुसार	आधिक्य	प्रतिशतता
		(₹ करोड़)			
1	हैड रेस टनल	94.24	125.90	31.66	34
2	विद्युत गृह	39.87	164.55	124.68	313
3	अपवर्तन, बांध, अंतर्ग्रहण, डिसांडिंग कार्य	84.54	283.81	199.27	236
4	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	10.14	19.46	9.32	92
5	स्थापना	21.40	55.17	33.77	158
6	संचारण कार्य	38.09	50.00	11.91	31
7	निर्माण के दौरान ब्याज	63.29	85.00	21.71	34
8	स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	नगण्य	16.92	16.92	1692

परिशिष्ट 2.3

संस्वीकृत संख्या के आधिक्य में प्रतिनियुक्त स्टाफ पर अनियमित व्यय का विवरण

(संदर्भ परिच्छेद 2.10. (i))

क्रमांक	पदनाम	आधिक्य/अधिशेष	नियुक्ति की तिथि से वर्षवार सकल वेतन							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	कुल
(₹ लाख)										
1	एजीएम/डीजीएम	1	-	-	-	2.09	16.39	15.81	7.90	42.19
2	सीएचडीएम	1	1.48	4.44	4.72	6.17	8.25	7.77	3.88	36.71
3	एचडीएम	1	-	3.88	4.24	5.29	6.96	6.60	3.30	30.27
4	डी/मैन	3	-	-	2.92	12.62	17.17	3.24	2.78	38.73
5	कानूनगो	1	-	-	2.06	3.81	3.57	4.99	2.58	17.01
6	पटवारी	2	-	1.37	0.46	-	-	-	-	1.83
7	पटवारी	1	-	-	1.49	2.21	2.37	0.66	-	6.73
8	स्टेनो टाइपिस्ट	1	-	1.78	2.61	3.28	3.43	4.53	2.38	18.01
9	पर्यवेक्षक	1	-	1.75	0.58	-	-	-	-	2.33
10	पर्यवेक्षक एजेई	1	-	-	12.16	14.12	0.96	-	-	27.24
11	पर्यवेक्षक एजेई	2	-	-	-	5.30	7.70	9.47	4.74	27.21
12	ओटो हेल्पर	3	-	-	1.55	7.37	9.52	9.83	-	28.27
13	ओटो हेल्पर	5	-	-	0	-	-	11.26	1.64	12.90
योग			1.48	13.22	32.79	62.26	76.36	74.16	29.20	289.43

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ परिच्छेद 3.1.3.2)

उच्च दरों पर निजी प्रयोगशालाओं से प्रतिदर्श जांच के आधार पर परिहार्य भुगतान का विवरण

क्रमांक	प्रयोगशाला का नाम	दालें		तेल		आयोडीन कृत नमक		अन्य मदें		अतिरिक्त भुगतान ¹¹ (₹ लाख)
		प्रतिदर्शों की संख्या	प्रति प्रतिदर्श दर (₹)	प्रतिदर्शों की संख्या	प्रति प्रतिदर्श दर (₹)	प्रतिदर्शों की संख्या	प्रति प्रतिदर्श दर (₹)	प्रतिदर्शों की संख्या	प्रति प्रतिदर्श दर (₹)	
1.	दिल्ली जांच शाला	102	3000	47	4500	13	4000	33	3000	3.66
2.	फेअर लैब्स	121	3000	29	3000	16	3000	14	3000	2.59
3.	अन्तर्राष्ट्रीय जांच केन्द्र	137	1500	46	2300	35	2500	10	1500	--
4.	श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान	16	9450	13	9450	8	11250	48	13500	9.73
5.	टीयूवी एसयूडी दक्षिणी एशिया प्रा.लि.	42	1950	18	8300	11	6850	16	6600	2.88
6.	कुल संवीक्षित प्रतिदर्श	418		153		83		121		18.86
7.	कुल संवीक्षित प्रतिदर्शों की तुलना में प्रयोगशाला 1 के समक्ष रखे गए आदेशों की प्रतिशतता	32.78		30.07		42.17		8.26		

11 (12.36 प्रतिशत की दर पर सेवा कर भी सम्मिलित है।)

परिशिष्ट 3.2

उपभोक्ताओं से निर्धारित मांग प्रभागों की वसूली न होने के कारण हुई हानि के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी
(संदर्भ परिच्छेद 3.3)

क्रमांक	उपभोक्ता का नाम खाता संख्या	संस्वीकृत भार (कि.वा.)	संस्वीकृत संविदा मांग (के.वी.ए.)	प्राप्त की गई संविदा मांग (के.वी.ए.)	संविदा मांग का 90 प्रतिशत प्राप्त नहीं किया गया (के.वी.ए.)	आपूर्ति देने की तय्यारी तिथि	प्रति किलो वोल्ट एम्पीयर दर (₹)	मांग प्रभागों को प्रभारित करने की अवधि	महीनों की संख्या	अल्प उद्ग्रहीत मांग प्रभाग (₹) (6x8x10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	एल डब्ल्यू एस एस डुडर स्टेज- I (ईडी मण्डी)	149.2	133	नगण्य	120	नवम्बर 2009	150 175	02/2010 to 03/2011 04/2011 to 01/2012	14 10	252000 210000
2	एल डब्ल्यू एस एस डुडर स्टेज- II (ईडी मण्डी)	149.2	133	नगण्य	120	नवम्बर 2009	150 175	02/2010 to 03/2011 04/2011 to 01/2012	14 10	252000 210000
3	एल डब्ल्यू एस एस नवोलिया एवं घेरन (ईडी मण्डी)	89.52	76	नगण्य	68	सितम्बर 2011	175	12/2011 to 01/2012	2	23800
4	एल डब्ल्यू एस एस दनयारी स्टेज- I (ईडी मण्डी)	298.4	265	नगण्य	239	दिसम्बर 2010	150 175	03/2011 4/2011 to 01/2012	1 10	35850 418250
5	एल डब्ल्यू एस एस दनयारी स्टेज- II (ईडी मण्डी)	328.24 0	295	नगण्य	266	दिसम्बर 2010	150 175	03/2011 4/2011 to 01/2012	1 10	39900 465500
6	एल डब्ल्यू एस एस ऊहल से तुंग बीजनी (ओप. सर्किल मण्डी)	280	249	नगण्य	224	जून 2011	175 220 300	09/2011 to 03/2012 04/2012 to 03/2013 04/2013 to 09/2013	7 12 6	274400 591360 403200
7	एल डब्ल्यू एस एस बरूरी (ओप. सर्किल नाहन)	180	160	नगण्य	144	अगस्त 2012	220 300	11/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	5 3	158400 129600
8	एल डब्ल्यू एस एस कलिकोटी (ओप. सर्किल नाहन)	112	100	नगण्य	90	जुलाई 2012	220 300	10/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	6 3	118800 81000
9	एल डब्ल्यू एस एस रंगवा पन्डार माशू (ओप. सर्किल नाहन)	390	347	नगण्य	312	अप्रैल 2012	220 300	07/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	9 3	617760 280800
10	एल डब्ल्यू एस एस बेता मण्डी, सतीवाला (ओप. सर्किल नाहन)	118.70	106	नगण्य	95	जुलाई 2011	175 220 300	10/2011 to 03/2012 04/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	6 12 3	99750 250800 85500
11	एल डब्ल्यू एस एस भटावाली-किशनपुरा (ओप. सर्किल नाहन)	114	101	नगण्य	91	दिसम्बर 2012	220 300	03/2013 04/2013 to 06/2013	1 3	20020 81900
12	एल आई एस एल ओ एच किशनकट का क्षेत्र (ओप. सर्किल नाहन)	257	228	नगण्य	205	जून 2012	220 300	09/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	7 3	315700 184500
13	एल आई एस शिला बाग, राजगढ़ (ओप. सर्किल नाहन)	171	152	नगण्य	137	सितम्बर 2012	220 300	12/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	4 3	120560 123300

14	आई पी एच-एल आई एस चंदोल, तहसील-राजगढ़ (ओप. सर्किल नाहन)	179	159	नगण्य	143	अगस्त 2012	220 300	11/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	5 3	157300 128700
15	आई पी एच-एल आई एस अजूली, नडूवाला- ज्वालापुर (ओप. सर्किल नाहन)	269	239	नगण्य	215	अगस्त 2012	220 300	11/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	5 3	236500 193500
16	आई पी एच-एल आई एस धमान्दर एवं आसन गांव (ओप. सर्किल नाहन)	269	239	नगण्य	215	अगस्त 2012	220 300	11/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	5 3	236500 193500
17	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य- दिम्बेर लिफ्ट सिंचाई स्कीम का निर्माण जीपी दिम्बेर (ओप. सर्किल नाहन)	552	491	नगण्य	442	अगस्त 2012	220 300	11/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	5 3	486200 397800
18	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य- लिफ्ट सिंचाई स्कीम का निर्माण धमून नाई-नाती (ओप.- सर्किल नाहन)	530	471	नगण्य	424	अगस्त 2012	220 300	11/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	5 3	466400 381600
19	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य- लिफ्ट सिंचाई स्कीम का निर्माण जीपी कथली भरन में कोटला मंगन (ओप.- सर्किल नाहन)	75	67	नगण्य	60	अगस्त 2012	220 300	11/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	5 3	66000 54000
20	आई पी एच-एल आई एस अट्टरी (ओप. सर्किल नाहन)	302	268	नगण्य	241	जुलाई 2011	175 220 300	10/2011 to 03/2012 04/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	6 12 3	253050 636240 216900
22	एलआईएस रेहाना (ईडी सोलन)	104	92	नगण्य	83	फरवरी 2012	220	05/2012 to 03/2013	11	200860
23	एल डब्ल्यू एस एस टुंडाल बाशा पर स्टेज- I (ईडी सोलन)	90	80	नगण्य	72	अगस्त 2012	220 300	11/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	5 3	79200 64800
24	एल डब्ल्यू एस एस टुंडाल बाशा पर स्टेज- II (ईडी सोलन)	60	53	नगण्य	48	अगस्त 2012	220 300	11/2012 to 03/2013 04/2013 to 06/2013	5 3	52800 43200
25	एलडब्ल्यू एसएस गनियारी बेलीधर (ईडी गोहर)	150	133	नगण्य	120	अगस्त 2012	220 300	11/2012 to 03.2013 04/2013 to 07/2013	5 4	132000 144000
26	एल डब्ल्यू एस एस नंदी छपराहन (ईडी गोहर)	150	133	नगण्य	120	जून 2010	150 175	09/2010 to 03/2011 04/2011 to 02/2012	7 11	126000 231000
27	एल डब्ल्यू एस एस खुम्मी (ईडी गोहर)		33	नगण्य	30	मार्च 2011	175	06/2011 to 08/2011	3	15750
28	जीपी टिक्कर में बागवानी क्षेत्र के	225	200	नगण्य	180	मार्च 2013	220 300	06/2012 to 03/2013	10 2	396000 108000

2014 का प्रतिवेदन संख्या 2 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

	लिए एल आई एस							04/2013 to 05/2013		
29	एल डब्ल्यू एस एस चिरिम् नाहोल (ईडी टियोग)		172.400	नगण्य	155	दिसम्बर 2012	220 300	03/2013 04/2013 to 11/2013	1 8	34100 372000
30	एल डब्ल्यू एस एस शिरगुल कदारन (ईडी टियोग)		71.100	नगण्य	64	फरवरी 2013	300	05/2013 to 11/2013	7	134400
31	एल डब्ल्यू एस एस बागरी (ईडी टियोग)		71.100	नगण्य	64	अप्रैल 2013	300	07/2013 to 11/2013	5	96000
32	एल डब्ल्यू एस एस बासा (ईडी टियोग)		100	नगण्य	90	मई 2013	300	08/2013 to 11/2013	4	108000
33	मैसर्ज रास रिमोट (पी) लि. (ईडी टियोग)		219	नगण्य	197	अप्रैल 2012	220 300	07/2012 to 03/2013 04/2013 to 05/2013	9 2	390060 118200
34	श्रीमति संजना गर्ग (ईडी परवाणु) (एसपी)		90	नगण्य	81	मार्च 2013	80	06/2012 to 12/2013	7	45360
35	मैसर्ज जनता लैंड प्रमोटर्स (ईडी परवाणु)		225	नगण्य	203	मार्च 2013	140	06/2012 to 12/2013	7	198940
36	मैसर्ज स्कोट इंडिल पैराबोलिक इंएसडी बरोटीवाला	1500	500	नगण्य	450	अक्टूबर 2010	185 240	01/2011 to 03/2011 04/2011 to 11/2012	3 8	249750 864000
								योग:		14153260
1	मैसर्ज डार लि. मानपुरा (ईडी बदी)	2100	1600	1000	540	जुलाई 2010	225 240	10/2010 to 03/2011 04/2011 to 03/2012	6 12	729000 1555200
2	मैसर्ज ट्रांसकेन हाई-टेक इन्विपमेंट, संतोषगढ़ (ईएसडी धौलाकुंआ)	200	200	95.820	93.762	मार्च 2010	225 240 300 200	06/2010 to 03/2011 04/2011 to 03/2012 04/2012 to 03/2013 04/2013 to 07/2013	10 12 12 4	210964 270034 337543 75009
3	मैसर्ज विज इंजिनियरिंग (ईएसडी धौलाकुंआ)	600	600	386.54	192.114	जून 2010	225 240 300 200	09/2010 to 03/2011 04/2011 to 03/2012 04/2012 to 03/2013 04/2013 to 07/2013	7 12 12 4	302580 553288 691610 153691
								योग:		4878919
								सकल योग:		19032179

परिशिष्ट 3.3

अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2013 तक भुगतान किये गए परिहार्य मांग प्रभागों का विवरण दर्शाती विवरणी
(संदर्भ परिच्छेद 3.9)

क्रमांक	सम्बद्ध भार: 1084 कि.वा. महीना	अधिकतम अभिलिखित मांग (के.वी.ए.)	संविदा मांग: 373 के.वी.ए.			कम की गई संविदा मांग अनुसार भुगतान योग्य मांग प्रभार (₹)	मांग प्रभागों का परिहार्य भुगतान (₹)
			भुगतान किये गए वास्तविक मांग प्रभार (₹)	प्रति के.वी.ए. मांग प्रभागों की दर (₹)	प्रत्येक वर्ष अप्रैल से नवम्बर के दौरान 10 के.वी.ए. संविदा मांग तथा दिसम्बर से मार्च के लिए 373 के.वी.ए. के लिए पूर्णतः तथा संविदा मांग के 90% के लिए भुगतान योग्य मांग प्रभागों की प्रविष्टि करार में की जानी थी।		
1	अप्रैल-08	0	33600	100	9	900	32700
2	मई-08	0	33600	100	9	900	32700
3	जून-08	0	33600	100	9	900	32700
4	जुलाई-08	0	33600	100	9	900	32700
5	अगस्त-08	0	33600	100	9	900	32700
6	सितम्बर-08	0	33600	100	9	900	32700
7	अक्टूबर-08	0	33600	100	9	900	32700
8	नवम्बर-08	0	33600	100	9	900	32700
9	दिसम्बर-08	0	33570	100	335.7	33570	0
10	जनवरी-09	489	45900	100	335.7	33570	0
11	फरवरी-09	9	33570	100	335.7	33570	0
12	मार्च-09	4	33570	100	335.7	33570	0
13	अप्रैल-09	4	33570	100	9	900	32670
14	मई-09	5	33570	100	9	900	32670
15	जून-09	0	33570	100	9	900	32670
16	जुलाई-09	0	33570	100	9	900	32670
17	अगस्त-09	0	33570	100	9	900	32670
18	सितम्बर-09	0	33570	100	9	900	32670
19	अक्टूबर-09	0	33570	100	9	900	32670
20	नवम्बर-09	0	33570	100	9	900	32670
21	दिसम्बर-09	0	33570	100	335.7	33570	0
22	जनवरी-10	7	33570	100	335.7	33570	0
23	फरवरी-10	5	67140	100	335.7	33570	0
24	मार्च-10	3	33570	100	335.7	33570	0
25	अप्रैल-10	6	33570	100	9	900	32670
26	मई-10	4	33570	100	9	900	32670
27	जून-10	0	33570	100	9	900	32670
28	जुलाई-10	9	33570	100	9	900	32670
29	अगस्त-10	0	33570	100	9	900	32670
30	सितम्बर-10	0	33570	100	9	900	32670
31	अक्टूबर-10	0	33570	100	9	900	32670
32	नवम्बर-10	0	33570	100	9	900	32670
33	दिसम्बर-10	25	33570	100	335.7	33570	0
34	जनवरी-11	157	33570	100	335.7	33570	0
35	फरवरी-11	19	33570	100	335.7	33570	0
36	मार्च-11	0	33570	100	335.7	33570	0

2014 का प्रतिवेदन संख्या 2 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

37	अप्रैल-11	0	33570	100	9	900	32670
38	मई-11	0	33570	100	9	900	32670
39	जून-11	0	33570	100	9	900	32670
40	जुलाई-11	0	33570	100	9	900	32670
41	अगस्त-11	0	33570	100	9	900	32670
42	सितम्बर-11	0	33570	100	9	900	32670
43	अक्टूबर-11	0	33570	100	9	900	32670
44	नवम्बर-11	0	33570	100	9	900	32670
45	दिसम्बर-11	4	33570	100	335.7	33570	0
46	जनवरी-12	5	33570	100	335.7	33570	0
47	फरवरी-12	5	33570	100	335.7	33570	0
48	मार्च-12	5	33570	100	335.7	33570	0
49	अप्रैल-12	4	33570	100	9	900	32670
50	मई-12	3	40284	120	9	1080	39204
51	जून-12	3	40284	120	9	1080	39204
52	जुलाई-12	3	40284	120	9	1080	39204
53	अगस्त-12	4	40284	120	9	1080	39204
54	सितम्बर-12	4	40284	120	9	1080	39204
55	अक्टूबर-12	5	40284	120	9	1080	39204
56	नवम्बर-12	5	40284	120	9	1080	39204
57	दिसम्बर-12	5	40284	120	335.7	40284	0
58	जनवरी-13	275	40284	120	335.7	40284	0
59	फरवरी-13	4	40284	120	335.7	40284	0
60	मार्च-13	4	40284	120	335.7	40284	0
61	अप्रैल-13	9	40284	120	9	1080	39204
62	मई-13	9	46998	140	9	1260	45738
63	जून-13	3	46998	140	9	1260	45738
64	जुलाई-13	3	46998	140	187	26180	20818
65	अगस्त-13	3	46998	140	187	26180	20818
66	सितम्बर-13	3	46998	140	187	26180	20818
67	अक्टूबर-13	4	46998	140	187	26180	20818
68	नवम्बर-13	4	46998	140	187	26180	20818
69	दिसम्बर-13	6	46998	140	335.7	46998	0
						योग	1587548

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.ahp.cag.gov.in